C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXVII, Eleventh Session, 2012/1934 (Saka)
No. 6, Friday, August 17, 2012/Sravana 26, 1934 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 101 to 124	3-108
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380	109-641

* Due to continuous interruptions in the House Starred questions could not be taken up for oral answers. Therefore, these Starred questions were treated as Unstarred questions.

SUBMISSION BY MEMBERS
Situation arising out of exodus of people from the North-East Region States from Bangalore and some other cities due to alleged threat to their security **642-683**

PAPERS LAID ON THE TABLE **684-689**

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL PASSED BY RAJYA SABHA **690**

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
27th Report **690**

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the Recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Overseas Indian Affairs.
Shri Vayalar Ravi **691**

BUSINESS OF THE HOUSE **692-696**

CHEMICAL WEAPONS CONVENTION (AMENDMENT) BILL, 2012 **697**

Motion to Consider 697-700
Shri Jaswant Singh 701-703
Shri Sanjay Nirupam 704-706
Shri Shailendra Kumar 707-708
Shri Kaushalendra Kumar 709
Dr. Baliram 710
Shri R. Thamaraiselvan 711-712
Shri S. Semmalai 713
Dr. Raghuvansh Prasad Singh 714

MOTION REGARDING TWENTY-SEVENTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 715

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(i) Setting up of a Central University in Motihari district of Bihar 716-740

Shri Arjun Ram Meghwal 716-717

Shri Harish chaudhary 718-721

Dr. Raghuvansh Prasad Singh 722-727

Shri Ramashankar Rajbhar 728-729

Dr. Prasanna Kumar Patasani 730-731

Shrimati. D. Purandeswari 732-740

Resolution – Negatived 740

(ii) Effective steps to curb rising incidents of violation of Human Rights in the Country 741-766

Shri Basu Deb Acharia 741-752

Shri Hukmadeo Narayan Yadav 753-757

Shri Shailendra Kumar 758-760

Shri Ramashankar Rajbhar 761-762

Shri Mahendrasinh P. Chauhan 763

Shri Jitendra Singh 764-766

Resolution – Negatived 766

(iii) Formulation of an Action Plan to Rehabilitate persons displaced from Pakistan 768-769

Shri Arjun Ram Meghwal 768

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 781
Member-wise Index to Unstarred Questions 782-787

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 788
Ministry-wise Index to Unstarred Question 789

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, 17 August, 2012/Sravana 26, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, देश में क्या हो रहा है...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, let us take up Question Hour.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं और मेरी बात सुनें। यह बहुत गम्भीर विषय है। हमें इस सम्बन्ध में एडजर्नमेंट मोशन मिला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: लालू जी आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब शांत हो जाएं, कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

(Interruptions) *

* Not recorded

11.02 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Situation arising out of exodus of people from the North-East Region Sates from Bangalore and some other cities due to alleged threat to their security

MADAM SPEAKER: I have received notices of Adjournment Motion from Shri Shailendra Kumar, Shri Basu Deb Acharia and Shri Rewati Raman Singh. I have disallowed them.

Similarly, I have received notices for suspension of Question Hour from Yogi Aditya Nath, Shri Ananth Kumar, Shri Basu Deb Acharia, Shrimati Sushma Swaraj and Shri Sharad Yadav. I have disallowed them also. However, considering that it is a very sensitive matter, I am allowing brief submissions to be made by the leaders and other Members.

Shrimati Sushma Swaraj.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि आपने नियमों में ढील देकर मुझे इतने गम्भीर विषय पर अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान की। अध्यक्ष जी, कोकराझार की हिंसा अभी थमी ही नहीं थी, कल भी वहां घटना घटी है और छः लोग मारे गए। इसी बीच देश के अन्य भागों से पूर्वोत्तर के छात्रों पर हिंसक हमलों की और पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन की खबरें आने लगीं। आज सुबह आपने भी अखबार देखे होंगे, हर अखबार की सुर्खी यही है। बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद और अब चेन्नई से भी 13,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ कर भाग गए। सुर्खियां हैं कि लोगों पर हिंसक हमले हो रहे हैं।

अध्यक्ष जी, हिंसा की पहली घटना 8 अगस्त को पुणे में हुई थी, हडप्सर और कोंडवा के इलाके हिंसाग्रस्त हुए थे। दो मणिपुरी लोग उस हिंसा के शिकार हुए थे। एक मणिपुरी छात्र 18 बरस का, 12वीं में पढ़ने वाला, जिसका नाम है प्रेमानंद खोमग्राम, उस पर हमला हुआ। दूसरा व्यक्ति 29 साल का इन्फोसिस का कर्मचारी खोमदईपनीमई, उस पर हमला हुआ। मात्र तीन दिन के बाद, 11 अगस्त को प्रेमानंद पर फिर हमला हुआ और वह हमला इतना खतरनाक था कि उस बच्चे के सिर पर सात टांके आए और उसका शरीर घायल हो गया।

अध्यक्ष जी, एक बोडो सिक्योरिटी गार्ड पर हैदराबाद में हमला हुआ। हिंसक घटनाएं अगर हम गिनें तो लगभग इतनी बनती हैं, लेकिन इसके बाद अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया। बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, अब चेन्नई में, केरल भी अब जुड़ गया है। जगह-जगह यह कहना शुरू कर दिया गया कि आप यहां सुरक्षित नहीं हैं, अपना घर छोड़ कर भाग जाएं। हज़ारों-हज़ार लोग अपना घर छोड़ कर भाग रहे हैं। लगता है कि सारी रेलगाड़ियों का मुंह गुवाहाटी की तरफ मुड़ गया है। जिसे गुवाहाटी की ट्रेन मिल रही है, वह गुवाहाटी की ट्रेन पकड़ रहा है और जिसे कोलकाता की ट्रेन मिल रही है, वह कोलकाता की ट्रेन पकड़ रहा है।

अध्यक्ष जी, कल 20 बच्चे मुझसे मिलने आए। उनमें पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से भी थे और बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी था। उन्होंने मुझे कहा कि हमें धमकियां मिल रही हैं कि 20 तारीख से पहले-पहले तुम अपना घर छोड़ कर चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बुरी बनेगी।

मैंने उन्हें कहा कि ऐसा मत करो, सरकार तुम्हारे साथ है, पुलिस तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। उनमें से एक बच्चे ने कहा कि मुम्बई में आपकी सरकार पुलिस की सुरक्षा नहीं कर सकी और आप कहती हैं कि सरकार हमारी रक्षा करेगी। अध्यक्ष जी, उसकी इस बात ने मुझे निरुत्तर कर दिया क्योंकि वह एक ऐसा तथ्य बयान कर रहा था जो सच था। मैंने उन बच्चों को आश्वस्त करने के लिए उसी समय पुलिस कमिश्नर को फोन किया और कहा कि मैं इन्हें भेज रही हूं, तुम इन्हें संतुष्ट करके भेजो। मुझे खुशी है कि वे पुलिस कमिश्नर की बात से संतुष्ट होकर आये। लेकिन कई बार जो सुर सुनाई पड़ते हैं वे सुर बहुत चिंताजनक हैं। कई बार एक सुर आता है कि असम समझौते पर पुनर्विचार होना चाहिए। कई बार सुर आता है कि बोडो-ट्राइबल-कौंसिल की आरक्षित सीटों में कमी कर देनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम समय की नजाकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम क्षेत्र है और वहां इंसरजेंसी है, इसलिए मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि वे इस बात को भी न भूलें कि भूमिगत संगठनों से सरकार शांति वार्ता कर रही है और उनमें से कुछ संगठन ऐसे हैं जहां आपकी वार्ता पूर्ण होने वाली है। अगर हम इस राह पर चले जो सुर में सुन रही हूं तो सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन के माध्यम से केवल दो मांगे, दो अपीलें करना चाहती हूं। पहला तो यह कि हम केवल मौखिक आश्वासन न दें। बैंगलोर में आपने देखा, वहां के उप-मुख्यमंत्री, गृह-मंत्री रेलवे स्टेशन पर स्वयं पहुंचे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उन्होंने कहा कि आप मत जाओ, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, खाने तक का इंतजाम किया। दोनों तरफ के प्रतिनिधियों की बैंगलोर के मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई और सारे नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को बुलाकर कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। मेरा कहना है कि आप केवल मौखिक आश्वासन

न दें। जो भी राज्य सरकारें हैं, चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस की और केन्द्र सरकार भी वहां हैल्प लाइन्स बनाकर नम्बर दे, जहां वे रहते हैं उन इलाकों में पुलिस बल स्थापित करो, पुलिस की पेट्रोलिंग कराओ और उन्हें यह आश्वासन मिलना चाहिए कि ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। यह मेरी पहली मांग है।

माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, जब तक आप हैल्प-लाइन बनाकर बच्चों को नम्बर नहीं देंगे, तब तक वे आश्वस्त नहीं होंगे। उनके होस्टल्स जहां हैं, जहां मॉल्स में वे काम करते हैं खासकर उन मॉल्स में उन्हें धमकियां दी जाती हैं। उस जगह पर पुलिस बल तैनात करो। इस सदन से दूसरी मेरी मांग है कि यह सदन सुर में सुर मिलाकर कहे कि नार्थ-ईस्ट के लोगों, तुम हमारे भाई-बहन हो, यह देश तुम्हारा है, तुम इस देश के हो, तुम जहां चाहो पढ़ों, तुम जहां चाहो रहो, कोई तुम्हें असुरक्षित नहीं कर सकता, हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार तुम्हारे साथ है, देशवासी तुम्हारे साथ हैं, हम सुरक्षा करेंगे, यह सदन सुरक्षा करेगा, सरकारें सुरक्षा करेंगी, इस देश का हर वासी तुम्हारी सुरक्षा करेगा, यह सुर आज इस सदन से जाना चाहिए, यह मेरी आपसे मांग है।

श्री निनोंग ईरींग (अरुणाचल पूर्व): आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे भी इस मामले पर बोलने का मौका दिया। मैं सुषमा जी विपक्ष की नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मसले को सदन में उठाया। एक हफ्ता पहले कोकराझार और असम में जब अप्रिय घटनाएं हुई थीं तो हम उनसे कुछ आशंकित थे और इसलिए अपने एमपीज साथियों के साथ माननीय गृह मंत्री सुशील कुमार जी के पास गये और अपनी बातें रखीं, प्रस्ताव रखा कि इसमें उत्तरी पूर्वी राज्यों के बच्चों को भय महसूस हो रहा है उसे दूर करने की कोशिश करें। हम अपने कुछ एमपी साथियों के साथ गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे के पास गए और हमने प्रस्ताव रखा कि हमारे जितने भी उत्तर-पूर्वी राज्यों के बच्चों को जो भय महसूस हो रहा है, उसे दूर करने की आप पूरी कोशिश करें। वैसे उन्होंने तीनों राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी आलरेडी इस बारे में उनसे बातचीत हुई है और उन्हें सतर्क कर दिया है। लेकिन फिर भी यह जो गंभीर स्थिति आई है, जो मीडिया में देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे बच्चों को भय प्रतीत हो रहा है, इसके लिए हम बहुत ही दुखी थे। हम अपने लिए सोचते थे कि हम भारतीय हैं। पिछले कुछ सालों से ऐसी छोटी-मोटी बहुत-सी घटनाएं हुई हैं। कोकराझार एक बहुत छोटा-सा क्षेत्र असम में है, जैसे एक ब्लाक एरिया होता है। इस ब्लाक के कारण अरूणाचल के, नागालैंड के, मणिपुर के, त्रिपुरा के या पूर्वोत्तर राज्यों के लोग मंगोलियन शक्ल के हैं, उनके ऊपर वार करना बहुत गलत बात है। अभी हमने सुना कि तिब्बतियों के ऊपर भी हमला किया गया। यह बहुत गलत मैसेज देश में जा रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को अपने दिल से प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या को एक गंभीर रूप में लें ताकि भविष्य में भी ऐसी अप्रिय घटना न हो। मैं जानता हूं कि आज की स्थिति को सामान्य लाने के लिए जितने भी सदन के सदस्य हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि सिर्फ इन तीन राज्यों में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो सभी को एकजुट होने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि दक्षिण से जितने भी बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि बीस हजार लोग आलरेडी वहां से निकल चुके हैं तथा और भी लोग वहां से निकलने के लिए तैयार हैं। हम सोचते हैं कि हम अगर दिल्ली में हूं तो ऐसा लगता है कि मैं अरूणाचल में ही हूं लेकिन अगर मैं बैंगलोर में हूं तो भी मैं भारत में ही हूं, क्योंकि हमारा एक ही देश है। अगर हम अपने आपको देशवासी नहीं समझते, तो चाहे मैं असम में ही क्यों न रहूं, मैं अपने को भारतवासी नहीं समझूंगा। जिस व्यक्ति ने हमला करना है, वह तो हमला करेगा ही। मेरा आपसे यही कहना है कि यह भय समाप्त होना चाहिए और कैसे हम शांति कायम कर सकेंगे, इसका निर्णय लेना होगा।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहां की जो मेन तीन सीटीज हैं, उनसे सम्पर्क रखा है। अरूणाचल से हमारे साथी श्री तकाम संजय को हमारे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, जो वहां के स्थानीय लोगों से चाहे वहां के विधायक हैं या सांसद हों या स्टूडेंट्स यूनियन या एनजीओज हों, वहां सामान्य स्थिति बनाने के लिए भेंट वार्ता करेंगे। मैं यही कहूंगा कि अभी तक अफवाहों से या लेटैस्ट टैक्नोलॉजिस, एमएमएस से, आप देख सकते हैं कि जो गलती की है, Those who have been involved in this उनके खिलाफ सख्त से सख्त क़दम उठाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण आज देश में इनस्टैबिलीटी उन्हीं के कारण आयी है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे महाराष्ट्र और बैंगलोर के सभी सांसदों ने आश्वासन दिया है कि सब चीज सामान्य है। कल रात मेरी संजय निरूपम जी से भी मेरी बात हुई थी, वहां के पैरन्ट्स चिन्तित हैं, वह हमें एसएमएस कर रहे हैं, फेसबुक पर लिखा है कि इसका समाधान लाइएगा, क्योंकि यह उनके बच्चों की पढ़ाई का मामला है, उनके भविष्य का मामला है। हमें पार्टी लाइन पर नहीं बोलना है, हमें एक्रॉस पार्टी लाइन बोलना है। मैं हिन्दू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ईसाई हूं, मैं बौद्ध हूं, इस सबसे उभरकर हमको आना होगा, जैसा कि हमारी विपक्ष की नेता ने कहा We have to come across the party-line; we have to come above it. अभी हमें सोचना होगा कि इस शिचुएशन को कैसे कन्टेन करे और इसके लिए हमें सभी का सहयोग और सहानुभूति चाहिए होगी। आपको पर्सनल इंटरैस्ट लेना होगा। खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों के क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, उनमें जो एक फियर साइकोसिस है, जो भय का वातावरण है, उसको दूर करने के लिए आप सबका सहयोग जरूरी है। मैं ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा और इतना ही कहूंगा

कि यह जो अभी रक्षा बंधन और ईद जैसे त्यौहारों का माहौल है, जो भाईचारा का माहौल है और इसमें जो एंटी-सोशल एलीमेंट्स बीच में सामान्य स्थिति को डिस्टर्ब करने में कार्यरत हैं, इसके लिए हम सबको एकत्रित होकर एक साथ, एक शब्द से साथ बोलना है कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं चाहे वह चीन का हो या पाकिस्तान का हो, चाहे बंग्लादेश से हो और चाहे वह म्यंमार से हो, कोई भी हो, अगर वह ऐसी साजिश कर रहा होगा तो उसको भी हमें पक़ड़ना है। उसके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी होगी।

अंत में, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदया, अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश के सांसद महोदय ने अपनी बात कही और मैं भी यही कहूंगा कि अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। वह भय का वातावरण ऐसे नहीं हुआ है बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि यह इस देश के खिलाफ एक सुनियोजित षडयंत्र है और कुछ तत्वों ने जानबूझकर इसे फैलाने का काम किया है। मुझे आश्चर्य है कि भारत के जो गृह मंत्री हैं और अभी सुषमा जी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब वहां रेलवे स्टेशन पर गये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई आज तक पकड़ा गया? हजारों की संख्या में मैंने देखा कि हर स्टेशन पर, हालांकि पुणे में कम हो रहा है लेकिन बैग्लोर और चेन्नई में तो ऐसा लग रहा है, जैसे कोई इतना बड़ा खतरा आ गया है कि लोग पलायन कर रहे हैं और वे एक मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरी इस सरकार से एक मांग है और हालांकि पूरा सदन इसका समर्थन कर ही रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूरे सदन से एक प्रस्ताव होना चाहिए। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि देश में जो आत्मविश्वास खत्म हो गया है, जो भाईचारा खत्म हो गया है, हमें इसको कायम करने के लिए जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल एनएसए के तहत कार्यवाही होनी चाहिए और उनको जेल में बंद करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं है कि केवल बात करने से यह हो गया। मोबाइल फोन का इस्तेमाल उन लोगों ने किया होगा, कोई एसएमएस किया होगा, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को यहां भी और जिस भी राज्य में यह हुआ है, जो प्रभावित राज्य हैं, वहां के जो मुख्य मंत्री हैं, उनको तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए तथा ऐसी भावना पैदा की जाए कि इस अफवाह को कोई नहीं सुने और यह तभी होगा जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी वर्ना हम कितना भी कहते रहेंगे, चूंकि भय

का वातावरण पैदा कर दिया गया है, इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए कि यह कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेवार हैं?

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आज नेता प्रतिपक्ष और हमारे दूसरे साथी भी जिस गंभीर विषय को ले आए हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बधाई देना चाहता हूं कि हमेशा सदन ने हर महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर एकता का परिचय दिया है। मैं समझता हूं कि आज भी पूरा सदन इस संवेदनशील विषय पर एकता का परिचय दे रहा है।

अध्यक्ष महोदया, जिस तरीके के समाचार पत्रों में, मीडिया में चाहे नॉर्थ-ईस्ट का हो, पुणे हो, बैंग्लोर हो या चेन्नई हो, पूरे देश में खासकर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, चाहे कर्मचारी हों या व्यापारी हों या छात्र हों, जो पढ़ने वाले हैं या जो लोग रोजगार के लिए तमाम क्षेत्रों में जाते हैं, इस संविधान में उनका संवैधानिक अधिकार है। मैं समझता हूं कि जो साजिश हो रही है, यह साजिश उनको भगाने के लिए नहीं बल्कि संविधान में जो अधिकार दिया गया है, उसको तोड़ने की एक साजिश हो रही है। मैं जानता हूं आज पूरे देश में, सूबे में मरकज़ी हकूमत है। मै समझता हूं और जहां तक मेरा और मेरी पार्टी का मानना है कि यह सरकार की कमी नहीं, लोगों की कमी नहीं, विश्वास की कमी है। हम समझते हैं कि जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही है या फैल रही है, इस अफवाह के पीछे कोई न कोई साजिश है। जब तक साजिश का पर्दाफाश नहीं होगा, मैं समझता हूं कि हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नारद यादव (मधेपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदया, सुषमा जी के सहित सभी साथियों ने अपनी बात रखी है और अभी और सदस्य भी रखेंगे। यहां जिस बात की चर्चा हो रही है, होम मिनिस्टर साहब का बयान आया है। मैंने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का बयान सुना है। मैंने असम के मुख्यमंत्री गोगई साहब का बयान देखा है। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। वे उन बीमारियों के बारे में भी बोल रहे थे, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय जवाहर लाल नेहरू उन्हीं बातों को बोलते रहे थे। अजीब विडंबना है कि देश बन गया, 15 लाख लोगों के हालात ऐसे हैं। आजादी की उम्र सरक रही है और अब तो सभ्यता बढ़ गई है। सभ्यता बढ़ने से लोग सभ्य नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस देश में जो गरीबी और भूख है, मुझे इस देश में सबसे बड़ी समस्या के बारे में बोलना नहीं है। सभ्यता बढ़ी है, अब एसएमएस, ट्विटर, फेसबुक और जाने क्या-क्या है। सुषमा जी बोल रही थी, रेवती रमण जी बोल रहे थे कि एनएसए में बंद कर दो। अब कोई मुझे बताए, किन्हें एनएसए में बंद करोगे?

कितने लोगों को करोगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभ्यता के विस्तार से मुल्क नहीं बनते, समाज के उठने से मुल्क बनते हैं।

महोदया, राम-रहीम वाले लोगों ने देश बांट लिया और आज भी इस देश में सब लोग यही कर रहे हैं। यही सवाल चला हुआ है। ...(व्यवधान) कोई इससे अलग नहीं है। आकंठ डूबे हुए हैं, आप हों चाहे हम हों। ...(व्यवधान) मैं आपको तो नमन करता हूं। आप तो चुप ही रहिए। ...(व्यवधान) मैं कोई राम रहीम वाला नहीं हूं। इस देश में इंसान पैदा नहीं होता है, जाति और राम-रहीम वाला पैदा होता है। इस देश में एक ही आदमी पैदा हुआ, जिसका नाम महात्मा कबीर है, जिसकी न जाति है और न धर्म है। मुझे बताओ कि इस सदी में कोई और ऐसा इंसान पैदा हुआ है? इंसान पैदा हुए बगैर दुनिया नहीं बनती है, समाज नहीं बनता, देश नहीं बनता है। होम मिनिस्टर साहब, आप कह रहे हैं कि सख्ती से कार्रवाईं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि किस पर करेंगे? आपका दोष नहीं है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। मैं अपने सहित बोल रहा हूं कि किस पर कार्रवाई करोगे? अफवाहों का खेल है, कोई एक बीमारी नहीं है। ...(व्यवधान) मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि चुप रहो।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देख कर बोलिए। आप क्या कर रहे हैं?

श्री शरद यादव: आप बहुत बड़े विद्वान हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद जी, आप बोलिए।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, आपको कहना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप रहने दीजिए, टीका-टिप्पणी मत कीजिए। शरद जी, आप बोलिये।

श्री शरद यादव : इन्होंने भुला दिया, पता नहीं मैं क्या बोल रहा था। ...(व्यवधान) आप बताएं मैं क्या बोल रहा था।...(व्यवधान) वह बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, यह अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : देखिये इस समय जो चर्चा चल रही है, उसमें कभी भी हंसने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कृपया बहुत गम्भीरतापूर्वक सुनिये।

श्री शरद यादव: महात्मा कबीर जैसा हजारों-हजार बरस में एक इंसान बन पाया। आज भी मगहर में चले जाओ, रामवाला भी घंटी बजा रहा है और रहीमवाला औंधा लेटा हुआ है, पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कबीर कौन था। सवाल यह है कि शासन करने वाले लोग जो बोल रहे हैं, हम क्या करते। साइकिल आने से इंसानियत नहीं बढ़ती, मशीन आने से इंसानियत नहीं बढ़ती। कार और जहाजों के आने से इंसानियत नहीं बढ़ती। इंसानियत ट्विटर, एसएमएस और फेस बुक आने से नहीं बढ़ती। महीने-डेढ़ महीने मेरे बच्चों ने इसके बारे में मुझे सिखाया, मैंने कहा छोड़ो, यहां से भागो, यह मेरे बस का नहीं है। इतने लोगों के साथ

कौन माथा मारेगा। फिर इसे आप कैसे रोकोगे। आप सब अपील कर रहे हैं कि पूरा सदन एक हो जाए, एकमत से प्रस्ताव पास करो, आप किस प्रस्ताव को पास करोगे, क्या करोगे, अभी यहां से सब लोग निकलेंगे और दो-दो मिनट बाद एसएमएस करेंगे। कुछ दिन बाद ऐसी सभ्यता आये, जिसे आप नमन करते हो, सलाम करते हो। प्रधान मंत्री जी यहां नहीं है। जिसे सलाम करते हो, उस सभ्यता से इंसानियत कभी नहीं बढ़ी। इंसानियत यह है कि हमारी आजादी को दिलाने वाला सबसे बड़ा आदमी महात्मा गांधी जिस दिन आजादी का झंडा फहरा रहा था, उस दिन कोलकाता की गलियों में नौआखाली में इंसान बनकर घूम रहा था। उसने आजादी नहीं मनाई और आज भी जब आजादी का दिन आता है तो यदि देश, समाज और इंसान से प्रेम करने वाला आदमी हो तो आजादी तो आयेगी। यह आजादी इस तरह से दोनों तरफ थी, जिस तरह इस तरफ है, उस तरफ ज्यादा है।

महोदया, मैं जबलपुर के जिस इंजिनियरिंग कालेज में पढ़ता था, मैं वहां टापर था। मेरे साथ वहां नार्थ ईस्ट के 27 लोग थे। मैंने उनसे अच्छे इस मेन लैंड में रहने वाले लोग नहीं देखे। आज उन लोगों को इस तरह से अफवाह फैलाकर परेशान किया जा रहा है। ये अफवाह फैलाने वाले कौन लोग हैं, मुम्बई में ये कौन लोग हैं। ये रामवाला या रहीमवाला कौन है। यदि देश को बढ़ाना है तो इनकी टांग तोड़ देनी चाहिए। चाहे वह कोई हो, भले इस देश में सरकार गिर जाए, मुल्क बनना चाहिए वरना तब तक यह देश बनने वाला नहीं है। कौन थे मुम्बई में, कौन हैं एसएमएस करने वाले, कौन हैं ये ट्विटर करने वाले, आप उन्हें कैसे पकड़ोगे। रामवाले और रहीमवाले तुम लोग क्यों नहीं बोले। जब कोई चीज होती है तो इकट्ठे होकर प्राइम मिनिस्टर से मिलते हो, होम मिनिस्टर से मिलते हो, सब लोग मिलते हैं। लेकिन नार्थ ईस्ट में यह जो इतना बड़ा मामला हो गया, मैं उसे सैगरिगेट करता हूं। उस पर बोलना माथा मारना है। इस देश में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन क्या करें, देखते हैं तो तकलीफ होती है। जब मैंने देखा कि ट्रेन जा रही है, भाग रही है तो आपको उस स्टेट के मुख्य मंत्री को कहना चाहिए था। आपका सबसे बड़ा आदमी महात्मा गांधी आजादी के समय भी इंसानियत के लिए मर रहा था। वहां मुख्य मंत्री क्या कर रहे थे, रेल मंत्री क्या कर रहे थे। इन्होंने ट्रेन क्यों नहीं रोकी? किसी भी कीमत पर उन्हें घर में रखना चाहिए था। उनको यहां लाकर रखना चाहिए था। मैं दिल्ली में कहना चाहता हूं, मेरी पार्टी बड़ी नहीं है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लोग बड़े हैं। मगर मेरे पास अखाड़े बहुत हैं।

मैं नॉर्थ-ईस्ट के लोगों से यहां से कहता हूँ कि दिल्ली में मुझे फोन भर कर दें, मैं उनको वह सबक दूंगा, भले ही मुझे जेल जाना पड़े लेकिन उनको छोड़ूंगा नहीं। या वे जाएंगे ऊपर, या मैं जाऊंगा ऊपर। ये देश कैसे चलेगा? हम लोग यहां सिर्फ भाषण करेंगे। हम 120 करोड़ लोगों के एमपी हैं। हम खड़े

हुए? मैं तो नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के पास पांच जगह गया। हम में से कोई गया? वे लोग आपसे मिलने आए। अरे! हिंदुस्तान का मुकुट नॉर्थ-ईस्ट है। ये सिर नहीं है तो यह धड़ नहीं चल सकता है। धरती के कितने-कितने टुकड़े करोगे? ये नकली टुकड़े? ये नकली बनावट? हम लोगों में से कितने लोग गए? हम 540 एमपी संकल्प कर लें तो किसी की हिम्मत नहीं है। जो अफ़वाह फैलाने वाले हैं, उनको हम भी जानते हैं। जो दिन भर बकवास करते हैं। राम का और रहीम का भजन करते है, वे इंसान नहीं हैं, वे तो ऐसे लोग हैं, कि ये राम और रहीम इंसान बनाने के लिए थे, लेकिन हैवान बन गए हैं। ये काहे का धर्म है? जो धर्म इंसान को इंसान न बनाए। यरूशलम से ले कर के बंगाल की खाड़ी तक इसकी क्या हालत है? वे बाहर से आते हैं, हथियार बगैर आदमी के पटकते हैं, जीतते हैं, यूरोप और अमेरिका के लोग। यहां इतने देवी-देवता, इतने भगवान, इतने मजार हैं। ये हम लोगों को क्यों नहीं बचाते हैं? ये नहीं बचा सकते हैं, ये अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन हम अच्छे रास्ते पर चलने के लिए ही तैयार नहीं हैं। ये एक बीमारी है?

अध्यक्ष महोदया : शरद जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव: नहीं मैं बैठ ही जाता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : नहीं, ऐसे मत कीजिए। आप नाराज़ क्यों होते हैं।

श्री शरद यादव: नहीं, मैं बैठ ही जाता हूँ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नाराज़ मत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: नहीं, नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूँ ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हाँ, ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: नहीं, मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मगर आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद जी, नाराज़गी की क्या बात है?

श्री शरद यादव: नाराज़गी इसलिए है कि यहां पर सिर्फ बातें चलती हैं और आज सही बात को सुनने नहीं देना चाहते। मैं पांच मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए but You cannot challenge the direction of the Speaker.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You cannot challenge the power of the Speaker.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, बोलिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, बोलिए। नाराज़ मत हुआ कीजिए और वह भी चेयर से।

श्री शरद यादव: मैं आपको नमन करता हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनुशासन रखना चेयर का काम है। इसलिए चेयर से नाराज़ नहीं होते हैं। अब आप बोलिए।

श्री शरद यादव: देखिए, देश बर्बाद हो रहा हो तो किसी से भी नाराज़ हो सकते हैं। आप क्या बात करती हैं, हम नियम में बंधे रहेंगे? ...(व्यवधान) यह देश बर्बाद हो रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप ये क्या कह रहे हैं।

…(व्यवधान)

श्री शरद यादव: ये देश तबाह हो रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, यह गलत बात है।

…(व्यवधान)

श्री शरद यादव: सदन, को नियम से चलाओ। ...(व्यवधान) ये लोग खूब नियम से चलाओ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नाराज़ मत होइए।

…(व्यवधान)

श्री शरद यादव: नियम से चलाओ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : चेयर से नाराज़ मत होइए।

…(व्यवधान)

श्री शरद यादव : लेकिन ये नियम कभी-कभी ढीले किए जाते हैं। ...(व्यवधान) आपसे मेरी माफी के साथ विनती है कि मैं आज बैठना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, यह मेरा सवाल नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : आप कहेंगी तो मैं बोलूंगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। शांत हो जाइए। यह मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है कि आप मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं। यह स्पीकर का, स्पीकर के अधिकार का और स्पीकर के वर्चस्व का सवाल है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कभी भी कोई भी व्यक्ति नियम को तोड़े। सब को हमेशा नियम के अनुसार चलना है। अगर स्पीकर कुछ कहती हैं तो स्पीकर पर नाराज़ न हों।

श्री शरद यादव: मैं आपको बहुत नमन करूंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हाँ, ठीक है अब आप आगे बोलिए। अब इस प्रकरण को बंद कीजिए।

श्री शरद यादव: नहीं, आपने बहुत बातें कह दीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम पर नियम हैं। ये दस दिन से, पांच दिन से, चार दिन से या इतने दिन से ये टीवी वाले बोल रहे हैं। हमारे बारे में क्या-क्या बोल रहे हैं? हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं। ये कैसा नियम है? आप प्रिवलेज़ मोशन लाते हैं। 540 लोग हैं, 400 लोगों पर केस नहीं हैं। लेकिन नियम जो कहता है, वह प्रिवलेज़ बनेगा।

इसलिए मैं यह कह रहा हूँ ये जो समस्याएं हैं, इसमें हम यहां से एमपी, एमएलए, सरकारें, मिल कर के इसको घेर कर के ये जो अफ़वाहखोर हैं, ये जो देश को तबाह करने वाले लोग हैं, आज की तारीख में संकल्प लो कि जहां-जहां हम लोग खड़े रहते हैं, इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, संग्राम करेंगे और नया देश बनाएंगे। आज से संकल्प ले कर आगे बढ़ें तो बात बनेगी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY): Madam Speaker, a few days back, the Assam issue was debated on the floor of the House and our Party, Trinamool Congress very categorically explained the views of our party and the role of the Government also. I think that was appreciated by all.

Whenever any incident occurs in the North Eastern part of the country, West Bengal is to share the load because West Bengal is the gateway of the North Eastern Region *via* North Bengal to Siliguri to North Eastern Region. We live in India and our philosophy is that India is a country which is believer in the principles of unity in diversity. We are the firm believer in the principles of communal harmony, secularism and unity of the country. But when we find that the people of North Eastern Region have become panic-stricken and are trying to flee from Bangalore, Chennai, Hyderabad and from a few other parts, we naturally become worried. The Parliament should certainly rise to the occasion; *vis-à-vis* this panic-stricken situation is to be removed. We firmly believe that the Government of India is well concerned with the whole situation.

It is also alarming that the people from North Eastern Region are not in a mood to stay any further over there. So, if necessary, a Parliamentary Delegation can be referred by you to go there and meet the people who are becoming really panic-stricken over there. That can be a very good gesture on behalf of all of us.

Madam, we firmly believe that if the decision which we are going to take is delayed, then the agent provocateurs, those who create provocations, will try to take the position in their own command which has to be resisted by all means. We want to give a message to the people of North Eastern Region that not only Parliament but the whole country stands behind them to give them the full security. We are behind them. They should live as Indians wherever they like to stay. That is my submission, Madam.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, this is an incident which, I think, is a shame for the people of the South because the South is

known for its kind heart, is known for accepting the people from the North. The people from the North have always felt safe in the hands of the people in the South. There may be some differences in language but that has never stopped people from the North coming to the South and settling there.

Now, when I see the newspapers that there is an exodus of the North East People going back to their homeland to Assam, to Meghalaya from Chennai or from Bangalore, I feel sorry that somewhere we have failed. A small spark of fire has engulfed a huge area. It is an isolated incident – maybe because the communication strength has created fears in the minds of these people living in the entire Southern States. I am sorry, all political leaders of the South should take this as a personal 'shame' that somebody who had come to our place, we must host him properly and they should not feel afraid of us. This feeling should be created by the political leaders. I request the Government of India to hold discussions with all the four State Governments in this regard and see that the people from the North East still feel safe to live in the Southern part of India.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam Speaker, this is a matter of great concern that the people from North East Region are feeling insecure in other parts of our country. It is a Fundamental Right of the citizens of our country to go to any place, any part of our country and to reside in any part of the country except Jammu & Kashmir. He can work and study anywhere. This is the Fundamental Right. What is happening today is an attack on the Rights of the people of our country. The attack is nothing but an attack on the Constitutional Right. The Right given by the Constitution of India is being attacked

In the past we have seen that the people of North India were beaten up and assaulted in Maharashtra. In this House we condemned such incident. When we find that the people from one part, from one State are being attacked in other States, we condemn such incidents. It is a matter a matter of great concern. It affects the unity and integrity of our country.

Madam, while speaking on the Adjournment Motion on the very first day when the issues of Kokrajhar incident and the displacement of thousands and thousands rather lakhs and lakhs of people were taken up, I warned that this should not be communalised. The reason behind such incident is localised reason and it should not be spread to other parts of the country. The people belonging to any section, general people, common people, they are peace loving. What happened in Assam and Kokrakhar is also the handy work of a section, the militant section of both sides Bodo as well as minority. There are militant sections that are vitiating the peaceful atmosphere in the country. What is happening since yesterday is that thousands and thousands of the students, people, workers and the employees feeling unsafe. Why? Any citizen of our country should feel secure because they are the citizens of our country. Why the people from North East feel insecure in Karnataka, Bangalore, Chennai and in other parts of the country even after 65 years of Independence. आज अगर हमारे देश के किसी भी प्रान्त की आबादी के मन में यह शंका, यह डर या भय पैदा होता है तो हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि आज़ादी के इतने सालों के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं और इतने सालों के बाद भी हम क्यों इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए । Our people should not be divided on communal basis. We always find that there is an attempt to divide the people on communal basis. That is the main reason behind such incidents. We should be more cautious. That is a great concern for us.

Madam, I demand that both the State Government and the Central Government … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

श्री बसुदेव आचार्य: राज्य सरकार और केन्द्र सरकार असम की समस्या का जैसा समाधान करेगी। आज भी करीब-करीब ढाई लाख आबादी रिलीफ कैम्प में है।

I have seen the Report of the National Minority Commission on Kokrajhar incident. It said that in one camp, 6,665 people are staying in a very deplorable condition. The Central Government should come forward and help the State

Government of Assam in rehabilitating these people. Displacement of the people tantamount to violation of the human rights, I feel. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA: There is displacement of lakhs and lakhs of people. So, the Government should seriously think over it and try to rehabilitate all the people, although it is a difficult task. Indeed, it is a difficult task but भाईचारे का माहौल बनाना पड़ेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो, जैसी की घटना घटी है, वह न घटे और आज इस तरह के रूमर फैला कर influx of the people, exodus … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude now. Now, Shri Baijayant Panda.

SHRI BASU DEB ACHARIA: There should not be such a feeling among any section of the people. Madam, I appeal to all sections of the people of our country to foil this attempt to divide the people of our country.

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to speak on this important subject.

Madam, the troubles which started in Assam some weeks ago have now started radiating to various parts of the country like poisoned arrows which leave marks that we all ought to be ashamed of.

Madam, this is not an occasion for finger-pointing between Parties, between the States and the Centre. There are so many Parties represented in Parliament. Virtually all of us have had the experience of being in Government at some time or another either at the Centre or in the States and we have experienced similar difficulties, therefore we must consider this a national problem and find a national common solution. But, Madam, we must face up to certain candid truths. What I am going to say is not with the intention of finger-pointing but to try and identify systemic weaknesses that we should all work towards unanimously.

Madam, in the modern era, rumours and misinformation no longer spread by word of mouth; they spread at the speed of electrons to hundreds of millions of people simultaneously. The current situaiton requires a different approach to

tackle problems one that is different from the approach adopted in the earlier years.

Madam, the hon. Chief Minister of Assam had said that he wished that the Central assistance had arrived in Assam earlier. This is something that some other Members have also spoken. I wish to share our experience. In Odisha, four years ago we experienced certain ethnic disturbances after a decade of no such problems and subsequently also there have been no such problems. But we also experienced a similar problem. When we asked for Central Forces, they did arrive but they came on the fifth day. Most of the damage, most of the deaths that happened, had happened in the first four days. This is the problem which is not between the Centre and the State or between a Ruling Party and an Opposition Party. This is the problem of changing and adapting to the new needs of the kind of problems that we face today.

Madam, the hon. Home Minister may be new to his current assignment but he has long years of experience in Governments; and I would like to humbly give two suggestions that I think, can be implemented and would make a very big difference in preventing and controlling in future such riots, ethnic disturbances or communal disturbances.

Madam, on the issue of terrorism, this House and the other House, and as a country, we have worked together to now create a Rapid Action Force so that incidents like 26/11 in Mumbai do not happen and do not get protracted. We need to have a similar approach, Madam, so that we have a Rapid Action Force of the Central Forces available for immediate deployment because the States are overwhelmed. The States are sometimes overwhelmed and when very suddenly these tensions rise and before they can react, the trouble has spread beyond their capabilities.

We need to strengthen the linkages between the Intelligence Wings and these Rapid Action Forces so that they can move in very quickly and prevent the situation from getting worse from a bad start.

Another thing which I wish to say is about the Rapid Action Force. It cannot be only about Paramilitary Troops; it also has to have other assets because the rumours, which are being spread, the provocation, which is taking place is on the internet. It requires technical competence; and it requires the kind of competence to track it down quickly so that you can take quick action against the perpetrators of these problems.

The final thing, Madam, that I wish to say is that not just a Rapid Action Force but we must commit ourselves to fast-track prosecution of whoever is identified. We will make the problem worse, when we have identified the people in Mumbai and hopefully soon in Bangalore and may be in Kokrajhar and other parts of Assam but bringing them to justice, if it takes, years or months, it will cause a loss of confidence that cannot be repaired. So, whether it is through fast-track courts or through other means, I would urge the hon. Home Minister to initiate these steps urgently.

MADAM SPEAKER: Thank you.

Now, the hon. Prime Minister.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : माननीय प्रधानमंत्री इंटरवीन कर रहे हैं। I will call you later. It is not over.

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): He is intervening… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, he is intervening. Please sit down.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। हर समय खड़े नहीं होना चाहिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: No. Please sit down. All the time, you stand up. What is all this? He is intervening.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Let the Prime Minister listen to us and then respond… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): The Home Minister will respond. I just want to intervene… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The Home Minister is there to reply.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)[*]

MADAM SPEAKER: Yes, the hon. Prime Minister.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKEAR: The Home Minister will reply in any case.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This is getting to be too much. I have allowed this under my discretion; and please listen to me and please allow me to conduct it.

श्री लालू प्रसाद (सारण): आप ही अगर गुस्से में रहेंगी तो हाउस कैसे चलेगा?

अध्यक्ष महोदया : मैं गुस्से में नहीं हूं, लालू जी। आपको भी बोलने के लिए बुलाऊंगी।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Yes, the hon. Prime Minister.

---

[*] Not recorded

DR. MANMOHAN SINGH : Madam Speaker, I rise not to reply to the various points that have been made in the debate but merely to add my voice to the feelings that I have heard being expressed in this august House. That what has been happening in the last few days in some parts of our country, the growing sense of insecurity among people from the North-East living in different parts of our country is something, which is most reprehensible, and that all of us should work together to get this sort of situation brought under control without any further loss of time.

I commit that the Government will work with all like-minded people to create a feeling of security among the people of the North-East residing in various parts of our country. They have as much right as anyone else to live, to earn and to study at wherever place they may go to.

The unity and integrity of our country is being threatened by certain elements and, without apportioning blame, I would urge this House to send a message loud and clear to all the people of the North-East residing in different parts of our country that our people are one, that we will do everything to provide security to the people of the North-East residing in various parts of our country, and that this is an obligation, which we will discharge to the best of our ability, with all political parties joining hands to send out a clear message to the people of the North-East that we will work to restore peace and amity so that the this feeling of insecurity is brought under control. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Now, Shri Anant Geete.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) *

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस की तरफ से अरुणाचल के सांसद बोल रहे थे, हमने उनकी बात को गौर से सुना। उनके दर्द और दुख को भी हमने सुना है, लेकिन जब उन्होंने अपनी

* Not recorded

बात को समाप्त किया तो अंत में उन्होंने एक साजिश का जिक्र किया। मैं उस बात को सदन में इसलिए दोहराना चाहता हूं, क्योंकि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। अंत में उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि चीन, पाकिस्तान, बंग्लादेश और म्यांमार की शायद ये साजिश भी हो सकती है। अरुणाचल के जो सदस्य हैं, उन्होंने ये बात कही।...(व्यवधान) मैं जो कहना चाहता हूं, आप सुनिए।...(व्यवधान)

श्री निनोंग ईरींग : अध्यक्ष महोदया, शायद मेरी हिन्दी इतनी शुद्ध नहीं होगी, इसलिए मैंने शायद कुछ गलतफहमी में बोला होगा कि ये कुछ ऐसी अंदरूनी या बाहरी ताकतें भी हो सकती हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप माननीय सदस्य की बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You have taken his name. Let him say.

...(व्यवधान)

श्री निनोंग ईरींग: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि कोई समुदाय या कोई देश, इस विषय में, हमारे अंदर भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि बाहर की ताकतें भी हो सकती हैं, लेकिन अपने देश की एकता और अखंडता के लिए हम सबको मजबूत होना है।...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदया, मैंने जो कहा, वही इन्होंने कहा। मैं यहां पर इनके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं। मुझे इनसे कुछ भी शिकायत नहीं है, पूरे सदन को आपके और नॉर्थ-ईस्ट के प्रति कोई शिकायत नहीं है। नॉर्थ-ईस्ट भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा।...(व्यवधान) आप न्यौता देंगे तब आ जाऊंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ये क्या हो रहा है? आप इधर देख कर बोलिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदया, मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि जो डर इनके मन में है, इन्होंने आज जो बात यहां पर सदन के सामने रखी है, मेरे मन में भी वही डर है कि ये शायद विदेशी ताकतों की साजिश हो सकती है। कोकराझार में जो दंगा हुआ है, वहां की जो घटना है, वह भी उसी साजिश के तहत है। उसके बाद जो प्रतिक्रिया मुंबई में हुई और मुंबई में जो दंगा हुआ, वह भी उसी साजिश का एक हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि यदि इस वास्तविकता को स्वीकार करके कोई कार्यवाही करते हैं, तो ही हम या सरकार, विदेशी साजिश हो या स्वदेशी साजिश हो, उनसे निपटने में सफल हो पाएगी।

12.00 hrs

यह देश के अन्दर की साजिश हो, उस साजिश के खिलाफ लड़ने में आप तब सफल हो पाएंगे, जब आप वास्तविकता को स्वीकार करेंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब शरद यादव जी यहां पर बोल रहे थे तो उन्होंने राम और रहीम का जिक्र किया। 120 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है। देश में अलग-अलग विचारधाराएं हैं, अलग-अलग जीवन-पद्धति हैं, अलग-अलग हमारी सभ्यता है। इस देश के हर प्रान्त के हर हिस्से में सभ्यता बदलती जाती है। हमारी अलग-अलग सभ्यता है, अलग-अलग विचारधारा है, जीने की पद्धति अलग-अलग है, जीने का स्टाइल अलग-अलग हो सकता है। राम को भी मानने वाले हैं, रहीम को भी मानने वाले हैं और दोनों को न मानने वाले भी हैं, लेकिन यह बात श्रद्धा की है, यह बात विश्वास की है और सभ्यता है, वह अपनी-अपनी सभ्यता को हर एक अपने-अपने ढंग से मानता है तो राम को मानने वाले हैं, रहीम को मानने वाले हैं और दोनों न मानने वाले भी हैं। यह अलग-अलग विचारधारा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और आपत्ति होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जो कोकराझार की घटना हुई है, वह कोकराझार की घटना भी कोई हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं है, पूरे सदन ने उस दिन इस बात को स्वीकार किया है। हर एक सदस्य ने यह कहा कि कोकराझार में जो कुछ हुआ, वह हिन्दु-मुस्लिम दंगा नहीं है, जो नोर्थ ईस्ट में रहने वाले हमारे ट्राइबल्स हैं, उन ट्राइबल्स के ऊपर यदि कोई अत्याचार होता है, उनको जो डर लगने लगा है, उनको भय लगने लगा है कि शायद अब हमारी भूमि से ही, हमारे देश से ही हमें यहां से हटाया न जाये, हम अपने ही देश में पराये न हो जायें, हम अपने ही देश में वहां पर रिफ्यूजी न हो जायें। आज उनकी वहां पर वही हालत है कि रिफ्यूजी बनने का समय आया है और इसीलिए कोकराझार में जो दंगा हुआ है, वह भी कोई जातीय दंगा नहीं है, हिन्दु-मुस्लिम दंगा नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रतिक्रिया मुम्बई में हुई, यहां देश के गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब समाप्त करिये।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं समाप्त कर रहा हूं। जो दंगा मुम्बई में हुआ, वहां पर जो अमर जवान ज्योति, जिन शहीदों ने देश को आजादी दिलाई, उसकी अमर जवान ज्योति मुम्बई महानगरपालिका ने बनायी थी, उसे ध्वस्त किया गया और ध्वस्त कैसे किया, सरकार को मालूम नहीं, पुलिस को पता है कि नहीं, मालूम नहीं, लेकिन एक फोटो अखबार में आया है, मैं यह फोटो अखबार का गृह मंत्री जी को देना चाहूंगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: नहीं, नीचे रखिये। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: यह कैसे लात मार रहा है, अमर जवान ज्योति को लात मारकर तोड़ रहा है। देश को आजादी दिलाने वाले जवानों के स्मारक को, ज्योति को लात मारकर तोड़ रहा है। इस राष्ट्रद्रोही को, इस देशद्रोही के खिलाफ हमारी सरकार को, चाहे राज्य की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो, इस देशद्रोही के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

यह सबसे बड़ा खतरा है, आजकल जब हम दूरदर्शन पर देख रहे थे, झुंड के झुंड नोर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के पलायन कर रहे हैं, यह देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे को आप स्वीकार करिये, प्रधानमंत्री जी, यह हमारे देश के लिए चुनौती है, अपने देश की सुरक्षा के लिए। आज पूरे नोर्थ ईस्ट को अलग करने की एक साजिश रची जा रही है। जिस दिन ये सारे देश के, नोर्थ ईस्ट के हमारे जवान युवक मजबूर होकर देश से पलायन करके वहां पर जाएंगे तो शायद नोर्थ ईस्ट को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है और इसलिए हमें पूरे नोर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को आश्वस्त करना है कि सारे देश के अन्दर आपकी रक्षा हम करेंगे, आपको कोई खतरा नहीं होगा। हम उनको आश्वस्त कराना है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद। आपका हो गया। डॉ. संजीव नाईक।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं मेरी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में पूरी तरह नोर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हों या वहां रहने वाले जितने भी ट्राइबल्स हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है और हम उनकी पूरी सुरक्षा करेंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डॉ. संजीव गणेश नाईक, आप अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *

* Not recorded

डॉ. संजीव गणेश नाईक: महोदया, यहां सदन में सभी सदस्यगण एक साथ इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सदन के नेता और गृह मंत्री जी से विनती करूंगा कि जिस तरीके से देश में 65 साल के बाद यह जो समस्या आयी है, सदन के सभी नेताओं को और सभी सदस्यों को इस समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी 10 मिनट पहले मुंबई से एक बहुत गलत न्यूज आ रही है कि हजारों की संख्या में, पहले पूना थी, बैंगलुरू थी, अभी मुंबई से पलायन करने की कोशिश हो रही है। मुंबई में कम से कम साढ़े तीन से चार लाख लोग रहते हैं।

महोदया, मैं विनती करना चाहूंगा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी और केंद्र सरकार को उसमें इन्टरवीन करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में करीब 600 से लेकर 700 बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े-बड़े कांप्लेक्सेज हैं। पता चला है कि फैक्ट्रीज नहीं चल रही हैं, क्योंकि वहां आज कामगार नहीं आये हैं, काम करने वाले लोग नहीं आ रहे हैं। वे क्यूं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कल रात से वहां घरों में लॉक लग गये हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं अपनी पार्टी की ओर से सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस पर हम एकता दिखा रहे हैं।

मै एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, जैसा हमारे पांडा जी ने भी कहा कि यूट्यूब में एक बहुत गलत फिल्म दिखायी जा रही है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए, आज के आज और अभी के अभी बंद करना चाहिए। जो युवा लोग हैं, खासकर कुछ ऐसे संगठन हैं, जो उसको सेल कर रहे हैं, यूट्यूब को ऑन करके वे उसे देख रहे हैं, इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि तुरंत यूट्यूब को बंद किया जाए। हमारे फेसबुक ऊपर, हमें भी पता नहीं है, जैसे ही फेसबुक ओपन कर रहे हैं, इसमें गलत-गलत, दोनों तरीके से वहां बातें बतायी जा रही हैं, उसको तुरंत बंद किया जाए, वरना इस चीज को हम नहीं रोक पाएंगे। कल मुझे फेसबुक पर एक से डेढ़ हजार मैसेजेज आए, उसमें 90 परसेंट गलत मैसेजेज आए हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, वे समझदार हैं, लेकिन जो युवा हैं, उनको मालूम नहीं है कि 65 साल पहले देश को आजादी कैसे मिली है? मैं आपसे विनती करूंगा कि इसको तुरंत रोका जाए, वरना जो आज महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ, कल यह पूरे देश में होने की संभावना है। इसलिए मैं खासतौर से प्रधानमंत्री जी से विनती करूंगा कि सभी देशवासियों को इस बात के बारे में आश्वस्त करें। जो लोकल संगठन हैं, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि आप 30-35 लाख लोगों में से चुनकर आ रहे हैं। आपकी बात जनता जरूर सुनेगी। दो दिन की छुट्टी है। आप अपने क्षेत्र में वापस जा रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी के हों, वहां के एनजीओज को साथ ले लीजिए और सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करिए।

---

* Not recorded

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, just as the hon. Prime Minister has said, unity and integrity of the country are more important at this hour. This morning we have seen in the news that workers and students belonging to the northeastern area are indulging in exodus from the southern States of the country. They are all our brothers. We all have that kind of affinity towards people of all parts of our country.

Tamil people are also working in all parts of the country. In the same way, our brothers from the northeastern part, Bihar, Uttar Pradesh and other parts of the country are working in Tamil Nadu. Recently, you would have heard a piece of news that when some construction workers from Bihar died in Tamil Nadu, immediately our hon. Chief Minister intervened and arrested the people who were responsible for that. That is the way the Tamil Nadu Government is doing it. Therefore, law and order situation is very good in Tamil Nadu.

At the same time, the news appeared that some students and workers belonging to North-Eastern parts of the country are leaving from the southern part of the nation. In this regard, I verified from my State, Tamil Nadu, that no such incident or attack has taken place in Tamil Nadu on the students and workers from the North-Eastern parts of the country. That is how we are treating them. As the news said, this is a rumour. We do not know who raised this rumour. The Central Government has to find who raised this rumour and why this kind of a rumour is being spread in this country and creating some kind of aversion among the people. That is what we have to address to.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): It is YouTube.

DR. M. THAMBIDURAI: That is YouTube. The men responsible for spreading this kind of a message must be taken into custody and severe action should be taken against them.

On behalf of my party, I am assuring the House, and want to put it on record, that as a southern part of the country, in Tamil Nadu, we are treating

persons from all other parts of the country in the State as our brothers and giving protection to them. Our hon. Chief Minister is always functioning in such a manner that we are treating them as our brothers. Whatever is the requirement, we are ready to give them protection as we are getting protection in other parts of the country.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): धन्यवाद, स्पीकर मैडम। मैडम स्पीकर, असम का जो इश्यू है यह बहुत दिन से चल रहा है। यह आज का इश्यू नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री से बात करने के समय उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें बताईं। एक तो विथआउट फरदर लॉस ऑफ टाइम, इश्यू को इमीडिएटली टैकल करने के लिए, second point is unity and integrity of the country, इसे कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑलरेडी काफी समय लॉस हो गया। आज के दिन हम लोग इस इश्यू पर चर्चा कर रहे हैं।

मैडम स्पीकर, इसके पहले भी जब आपके माध्यम से लीडर्स की मीटिंग हुई थी उसमें भी सभी लीडर्स असम के इश्यू को ले कर काफी कंसर्न थे। इसके बाद ही हाउस में चर्चा हुई है। इतना होने के बाद इस इश्यू को जितना सिरियसली लेना चाहिए उतना सिरियसली हैंडल नहीं कर पाए।

सेकेण्ड प्वाइंट, यूनिटी एंड इंटीग्रीटी, जब कंट्री में है तो जिस तरह से बोल कर जो जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वह कौन है? उसको आइडेन्टीफाई करने में स्टेट गवर्न्मेन्ट और सेन्ट्रल गवर्न्मेन्ट का मैकेनिज्म क्यों फेल हो रहा है? इसको तुरंत आइडेन्टीफाई करना चाहिए। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी काफी शिक्षा देनी चाहिए। यह मामूली इश्यू नहीं है। नार्थ ईस्ट से जो लड़के डिफरेंट स्थानों पर पढ़ने के लिए गए हैं, जो रोजगार के लिए गए हैं और आज के दिन में एसएमएस, यूट्यूब, ईमेल्स, फेसबुक जैसे टेक्नोलॉजियों का जो मिसयुज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आइडेन्टीफाई करने में यह गवर्न्मेन्ट क्यों डिले कर रही है?

हम आप के माध्यम से बोलना चाहते हैं। इस पूरा रिस्पॉन्सबिलीटी, जिस स्टेट में यह हो रहा है, उस स्टेट गवर्न्मेन्ट एण्ड सेन्ट्रल गवर्न्मेन्ट को इसे काफी सिरियसली लेना चाहिए। इतने सिरियस इश्यू को कम से कम एक महीना हुआ है। एक महीना से यह इश्यू देश भर में स्प्रेड हो रहा है। आज के दिन हम लोग इस पर बात कर रहे हैं मगर जो स्प्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्न्मेन्ट को तुरन्त ऐक्शन लेना चाहिए। जिस स्टेट में हो रहा है उस स्टेट को भी तुरंत ऐक्शन लेना चाहिए। कल तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को टीवी में देखा है। उन्होंने कहा कि मैंने आंध्रप्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बात की है। आज

के दिन यूथ बहुत प्रभावित है। एसएमएस, यूट्यूब , फेसबुक के द्वारा जो स्प्रेड किया जा रहा है पहले उसको कंट्रोल करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री नामा नागेश्वर राव: गवर्न्मेन्ट की तरफ से यह एसएमएस भी रिवर्स एसएमएस भेज दे। हमारे तरफ से, मुख्य रूप से हमारी पार्टी तेलगुदेशम की तरफ से, हमारे नेता चन्द्र बाबू नायडू की तरफ से नार्थ-ईस्ट के लोगों को अपना भाई-बहन समझ कर, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I join everybody in the House to give a clarion call to the entire nation to restore sanity which seems to have been disturbed. It is not in consonance with the tradition of India that racial riot and racial discrimination raises its head in India. We must say that India as a whole stands by the North-Eastern brothers, whether they are Bodos or whether they are Tribals. We are with them. India is united as it remained ever before. This clarion call has to go from the Parliament.

But that is not enough, Madam. We know who the victims are, but we must know who the villains are. It is not enough to say that we appeal. It is important that punitive measures are taken urgently everywhere to arrest the people who are made responsible for this in India. If it is not known who the villains are, then this is a failure of the Intelligence Department. This is a fallout of Assam development. Therefore, it is known everywhere who these miscreants are and who these anti-socials are who had been doing this.

May I ask the hon. Prime Minister what prevents him in telling the House as to how many people have been arrested, how many people have been booked and how many criminals have been sent to jail? Madam, sweet words do not bring sense to the villains. Sweet appeals do not bring sense to the senile people. Let us be heard once for all. Our rhetoric must match the deeds. Words must match the deeds. The Government must take action.

Mr. Prime Minister, I appreciate your feelings. I appreciate the feelings of Madam Sonia Gandhi and the Congress Party. But excuse me for saying that the

Government has not been so hard as it should have been in tackling the situation. This weakness further gives handle to the miscreants. There must be a circular to all States to make preventive arrests immediately. In Delhi, why should there not be preventive arrests? In Delhi, why should there not be police pickets in the hostels where the students are living?

Madam, let me tell you that it is mainly the young girls and boys who are being attacked. It is the youth who is being attacked. Please remember it will have its impact on the terrorists' movement in North-East India. It will rebound; it will not remain limited to rest of India. It will rebound and it will give further incitement to the terrorists who had been holding a seize of Manipur and other parts of North-East India.

Therefore, the Government must act decisively. Not only rhetoric, not only speeches, not only appeals, not only parliamentary unity, we want to see that the law enforcement machinery all over the country rises to the occasion and give them the clear message that if you go on doing it, the State will come down heavily on you. That message must go from this Parliament.

Our appeal to the nation for sanity and our direction to the Government 'act hard', put them into prison, ensure that Indian State machinery will never tolerate lawlessness or racial discrimination destabilizing the unity of the nation and the society.

श्री लालू प्रसाद: धन्यवाद मैडम। आज बहुत ही गंभीर सवाल पर बहस छिड़ी है और सबने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया। हम यहां नेताओं का भाषण सुनते हैं। आज हंसने का दिन नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के भाषण पर भीतर से हंसी आती है और तरस भी आता है। यह रयूमर नहीं है, यह साजिश, कौन्सपिरेसी, षडयंत्र है। नार्थ ईस्ट, बोडो, माइनॉरिटी के नाम पर देश के टुकड़े-टुकड़े करना, मैं बड़ा खतरनाक लक्षण देख रहा हूं। इसमें कोई बचने वाला नहीं है। जो लोग ये खेल खेल रहे हैं, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह न समझिये कि ...(व्यवधान) क्या आप नहीं जानते हैं? शरद जी ने राम और रहीम के बारे में बोला था। ...(व्यवधान) यहां पर बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान) हम आपका भी भाषण सुन रहे थे।

मैडम, कुछ दिन पहले देश भर में इसी तरह की अफवाह फैलायी गयी थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। उस समय सभी देश वासी उन्हें दूध पिलाने लग गये। एक-दूसरे को टेलीफोन और एसएमएस करने लगे। एसएमएस फैलाने वाले लोग और वर्ष 2014 के चुनाव को ध्यान में रखने वाले लोग, असली बात समझिये। आप लोगों को मत डांटिये। यह राजनीतिक लाभ कौन उठाना चाहता है? यह कौन उठाना चाहता है? यह सरकार ...(व्यवधान) अब आपकी दाढ़ी में तिनका, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, यह बता देते हैं। ...(व्यवधान) आप बैठकर शांति से सुनिये। ...(व्यवधान) यह षडयंत्र है। देश में ट्राइबल्स, नॉन-ट्राइबल्स, माइनॉरिटी और बंगलादेशी के नाम पर भाई-भाई को लड़ाना चाहते हैं। नार्थ ईस्ट हमारा पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग है। हम देशवासियों को नार्थ ईस्ट के लोगों को टॉप प्रॉयरिटी देकर हमेशा यह विश्वास दिलाना है कि आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। शरद जी गुस्से और तकलीफ में बोल रहे थे। आपको भी गुस्सा आ गया कि आसन के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। वे ठीक बोल रहे थे। होम मिनिस्टर साहब जब सुबह हाउस अटैंड करने आ रहे थे तो मैंने उन्हें रास्ते में टोका कि आपने कल टीवी में स्टेटमैंट दी कि हमने बंगलुरू में तीन रेलगाड़ियां लगवा दी हैं। रेल राज्य मंत्री ने भी कहा, हमें मीडिया के लोगों ने घेरा। यह वहां से बड़े पैमाने पर प्लान हो रहा है। मैंने होम मिनिस्टर साहब को कहा कि आपने जो बयान दिया, यह ठीक बयान नहीं है, मैं इसे पसन्द नहीं करता। बंगलुरू, चेन्नई या कोई भी जगह हो,...(व्यवधान) मुम्बई, पुणे हो...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

(Interruptions) *

श्री लालू प्रसाद: मैडम, चाहे बिहार हो। गीते जी यहां बोल रहे थे। बिहार के साथ भी इसी तरह का व्यवहार हुआ था। यहां उपदेश की बात कर रहे थे, बता रहे थे। गीते जी, बिहार के साथ भी इसी तरह हुआ।...(व्यवधान) आप हमारी बात सुनिए।...(व्यवधान) जो जय महाराष्ट्र बोलेगा, वही रहेगा, यह बड़ा गलत संकेत है। इससे लोगों को बढ़ावा मिला। शरद जी ने कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने ट्रेन क्यों लगवा दी? वहां घेरकर, चाहे जो भी हो, क्या विभाग को मालूम नहीं है कि कहां से, कौन एसएमएस कर रहा था? फेसबुक, यूट्यूब, आपने क्या-क्या बनाकर रखा है। इससे देश नहीं चलता, देश कड़ाई से चलेगा, भाषण से नहीं चलेगा। चाहे जो भी हो, एक्शन लीजिए। क्या दूध पिलाने वाले तत्वों को मालूम नहीं है कि कौन लोग हैं? यह एक षडयंत्र है देश को टुकड़े-टुकड़े करने का। यह षडयंत्र है भाई को भाई से लड़ाने का। आप कार्रवाई कीजिए। ठीक कहा शरद यादव जी ने, बोलते हैं इनकी पार्टी छोटी है। नहीं, आप बड़ी

* Not recorded

जमात के साथ हैं, आपके दाहिनी ओर जमात है, जिसके कन्वीनर आप हैं। आपने कैसे बोल दिया कि हम अखाड़ा वाले लोग हैं? आपने कहा कि टांग तोड़ दो, टांग तो मरम्मत करा लेगा। इसलिए पूरी मजबूती के साथ ऐसा सबक सिखाना चाहिए लोगों को कि वे फिर ऐसी हिम्मत न करें। यह देश एक है, अटूट है और यह अटूट रहेगा। अगर कोई भी आदमी, कोई संगठन या पार्टी अगर चतुराई और बुद्धि से इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है, तो क्या हम लोग जानते नहीं हैं? क्या यह देश नहीं समझ रहा है? नाम लेने से लोगों को तकलीफ हो जाएगी। इसलिए कच्चा काम मत करिए। होम मिनिस्टर साहब, कड़ाई से कार्रवाई कीजिए, इसके पीछे जो भी ताकत है, उसको कुचलने की कार्रवाई कीजिए, पूरा सदन आपके साथ है, हम सभी लोग आपके साथ हैं। यही बात मुझे कहनी है।

अध्यक्ष महोदया : डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

(Interruptions) *

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग(अनंतनाग): मैडम, आज हाउस में ऑनरेबल मेंबर्स ने जो फीलींग्स एक्सप्रेस की हैं, मैं अपने आपको और अपनी पार्टी जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस को उसके साथ शामिल करता हूं और एक समझता हूं।

मैडम, इस वक्त जो इश्यू है, जो तकलीफ है, उसके बारे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक बात यह है कि हम किसी इश्यू को उस वक्त डिबेट करते हैं, उस वक्त डिसकस करते हैं जब वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मुझे याद है इसी हाउस में न सिर्फ कंसर्न एक्सप्रेस किया गया, बल्कि बड़ी सीरियसली डिबेट हुई जब कश्मीर में आग लगी हुई थी। आग खामोश हो गयी और तमाम वे सोल्यूशन्स जो हमने सोचे थे, जो गवर्नमेंट ने सोचे थे, जो इंटरलोक्यूटर्स भेजे थे, जो कमेटीज नॉमिनेट हुई थीं, जो रिकॅमेंडेशन्स आई थीं, हम सब भूल गए और यह सोचने लगे कि वहां अमन हो गया, जो कि टेम्पोररी है और उसी को हम परमानेंट अमन समझने लगे। हमारा मानना है कि यह बहुत हो चुका है, असम हो, नॉर्थ-ईस्ट हो, कश्मीर हो, जो भी इश्यूज हैं, उनका एक लॉंग टर्म सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अंडर-कारपेट रखकर मसलों को एड-हॉक बेसिस पर निभाने से इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे। बहुत बदकिस्मती है कि जब तक नॉर्थ-ईस्ट में आग नहीं लगेगी और उस आग को जब तक हम पोलिटीसाइज नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठते हैं। मगर चैन से हम तब बैठ सकेंगे जब हम इश्यूज को परमानेंटली एड्रेस करेंगे। यह आग इंशाअल्लाह बुझ जाएगी,

* Not recorded

मगर जो इश्यू है असम को लेकर, जो असम के हमारे भाइयों को परेशान कर रहा है, जो कभी खामोश हो जाता है, जब आग थोड़ी से कम हो जाती है, तो हम इसको भूल जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे ये मसले हल होंगे। इन मसलों को हेड-ऑन लेकर, उसके बाद कमेटीज भी भूल जाते हैं, इंटरलोक्यूटर्स भी भूल जाते हैं, इश्यू भी भूल जाते हैं और दुनिया एवं मुल्क को बताना चाहते हैं कि यह इश्यू रिजॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया for all times to come. अगर आप 60 साल की हिस्ट्री ले लीजिए, हरवक्त और हर मौके पर नॉर्थ-ईस्ट में ऐसा होता रहा। असम एकॉर्ड हुआ, आज भी कहते हैं कि वह असम एकॉर्ड 100 प्रतिशत इंप्लीमेंट नहीं हुआ। राजीव गांधी जी ने एकॉर्ड किया और शायद उस एकॉर्ड की अब फाइन-ट्यूनिंग करके, उसको और रिलेवेंट बनाकर, ऑनेस्टली और सिंसियरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इन विक्टिम्स को रिलीफ देना, रिहैबिलिटेट करना इसके टेम्पोररी सोल्यूशन्स हो सकते हैं, मगर यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो इश्यूज हैं, जो समय-समय पर भड़कते रहते हैं, इनको पोलिटीसाइज न करें, इनको कम्यूनल लाइन्स पर डिवाइड न करें और इस वक्त हम अपने उन ग्रेट लीडर्स को सलाम करें जिन्होंने ऐसे मल्टी-एथनिक कंट्री को, मल्टी-लिंग्विस्ट कंट्री को एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री का कांसेप्ट देकर हमेशा के लिए एक बनाया है। इस वक्त हमें उनको सलाम करना चाहिए और वे लोग जो इसे थ्योक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते थे, वह हमने देख लिया, पाकिस्तान ने वह ट्राई किया, वह फेल हो गया और डिसिंटिग्रेट हुआ। वह कांसेप्ट चला नहीं, यही कांसेप्ट चलेगा कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री को हमें मजबूत करना होगा।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Madam Speaker, thank you very much for allowing me to participate in this very important debate. It is very rarely that we come across a situation of this kind where for one and a half hours we continue to debate this particular issue.

I join the entire House in sending out a message from this august House to the people of India that the people of the Northeast are one with the people of India; are the citizens of this country and will continue to remain the citizens of this country. I join hands with all my fellow colleagues here in sending out a clear-cut message to those who are the perpetrators of this particular feeling of insecurity to the people of the Northeast, in telling them that the long hand of the law will ultimately catch up with them and that they will be booked.

I would demand from the Government that they take immediate action. I am very happy to hear the Prime Minister say that without any further loss of time action would be taken. And I do hope that action indeed will take place.

I only want to caution and say with a bit of feeling here that it is the young people of the Northeast who are getting affected. It is the young people who do not understand the politics that is behind all of this. It is the young people who are impressionable that are getting affected. It is, therefore, absolutely of utmost importance that we take corrective action, take collective action, and take action which will reach out to these people, and ensure that they all go back to what they were doing before this, whether they were studying or whether they were working.

I would like again to thank the Chief Ministers of all the States that are affected, who have reached out to the young people of the Northeast for ensuring that the situation will be brought under control, and a very strong message has been sent to them.

With these words, I thank this august House and thank the Speaker for this.

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): अध्यक्ष महोदया, मैं नार्थ-ईस्ट से आती हूं। मैंने यहां बैठकर सारी बातें सुनी हैं। मुझे लगा कि मैं क्यों ज़िंदा हूं। मैं 1986 से संसद में हूं। अभी असम की हालत ऐसी है, जब पार्टिशन हुआ था, उस समय असम में ग्रुपिंग हुई थी, तब नार्थ-ईस्ट असम एक ही था, तब असम को ईस्ट पाकिस्तान के साथ मिलाने की साज़िश हुई थी। महात्मा गांधी के कारण उस समय असम वहां जाने से बच गया। जब 1962 में जब चीन के साथ वार हुई, तब उस समय के प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि अभी यदि चीन ले लेगा, ते बाद में हम असम को मुक्त करा लेंगे।

अभी कश्मीर का मसला माननीय बेग ने रखा था। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, तो सात लाख वहां से भागकर देश के अन्य भागों में चले गए। लेकिन असम में 27 जिलों में से 14 जिलों में बांग्लादेशियों की मेजोरिटी है। वहां के लोग कहां भागेंगे, मान लीजिए बांग्लादेशियों के कारण असम के लोगों को भागना पड़ा, तो ये लोग कहां जाएंगे?...(व्यवधान)

SHRIMATI RANEE NARAH (LAKHIMPUR): Madam, this is highly objectionable. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions) *

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, आप क्यों खड़े हैं, मैं कह रही हूं।

...(व्यवधान)

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): मुम्बई में जो 50 हजार लोगों द्वारा हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ था, वहां पर 30-35 बसें और प्राइवेट कारें जला दी गयीं लेकिन किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया। इसके बाद चाहे हैदराबाद में हों, केरल में हों, बैंगलोर में हों, महाराष्ट्र में हों या कहीं और दूसरी जगह हों, उनके पास मैसेज गये कि रमजान महीना खत्म होने से पहले आप लोग भाग जाओ, नहीं भागोगे तो तुम लोगों की हत्या की जाएगी। होम मिनिस्टर बैठे हैं, असम का पुत्र [redacted]ाने वाले ... *।

MADAM SPEAKER: No. You cannot say that.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): No. Madam, I object to this. … (*Interruptions*) इस तरह से भाषण मत कीजिए। You withdraw your words. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please do not say this.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: All right; I will withdraw that. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right.

… (*Interruptions*)

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : अभी जिन्होंने रयूमर फैलाई, किसे अरैस्ट किया? मुम्बई की हिंसांत्मक घटना में जो बसें जलाई गयीं, लोगों की पिटाई की गयी, किसे अरैस्ट किया? पुणे में नार्थ-ईस्ट के दो लड़कों की जो हत्या हुई, किसे अरैस्ट किया? आंध्र प्रदेश से नार्थ-ईस्ट के 1500 लोग भागकर आ गये, किसे अरैस्ट किया? ...(व्यवधान) एक ही टाइम, एक ही दिन, सबके पास क्यों मैसेज गये और सभी को जाने के लिए स्पेशल ट्रेन क्यों लगाया गया? यह किसकी साजिश है? नार्थ-ईस्ट के सारे लोग भाग कर आ जाएं, उन लोगों के लिए ट्रेनें खड़ी की गयीं, इसका मतलब क्या है?

* Not recorded

मैडम, बहुत मुश्किल से नार्थ-ईस्ट अभी नार्मल हो रहा है, जो उग्रवादी थे वे मेनलाइन में आ रहे थे। नार्थ-ईस्ट के लोग जगह-जगह पढ़ने आते हैं, सर्विस के लिए आते हैं और मेन-स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर दुबारा ऐसा हो जाएगा तो नार्थ-ईस्ट कहां जाएगा? नार्थ-ईस्ट भारत के साथ क्यों रहेगा, कैसे रहेगा? ...(व्यवधान) You must listen to me. … (*Interruptions*) You must listen to me. … (*Interruptions*) भारत के साथ रहने के लिए ...(व्यवधान) आपने क्या किया, मुझे बताएं? भारत के साथ रहने के लिए आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी...(व्यवधान) महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को. कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को, आंध्र के चीफ मिनिस्टर को, केरला के चीफ मिनिस्टर को इस तरह की बातों को रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हालात ऐसे हो जाएं कि नार्थ-ईस्ट के लोगों को भगाने के लिए ट्रेनें खड़ीं की जाएंगी तो नार्थ-ईस्ट के लोग कहां जाएंगे? ...(व्यवधान) मुझे दुःख है कि नार्थ-ईस्ट के लोगों को भगाने के लिए ट्रेनें खड़ी हैं लेकिन उन लोगों को रखने के लिए, कर्नाटक के चीफ-मिनिस्टर को छोड़कर और कोई चीफ-मिनिस्टर्स खड़े नहीं हैं। यहां एक माननीय सदस्य ने बयान दिया था कि यहां के रेडिकल मुस्लिम कुछ रिएक्शन करने के लिए रेडी होगा, अगर कोई एमपी ऐसी बात करता है तो उसे एरैस्ट क्यों नहीं किया मैडम? मैं अपील करती हूं नार्थ-ईस्ट शांत रहे, संयमित रहे और नार्थ-ईस्ट के लोगों को वापस जाने के लिए कुछ कीजिए, हम लोग भारत में भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। यही मुझे कहना है।

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Thank you, Madam Speaker. I seek indulgence of this august House to participate in this particular discussion or debate. Actually, I had raised the same problem in the 'Zero Hour' last time. It is really a very serious matter. At that time, I spoke in my mother-tongue and perhaps some of the hon. Members in the House must have understood that. The issue is not that simple. It is a very complex issue.… (*Interruptions*) I would request the Members from the other side to listen to us. If somebody keeps on talking, it distracts our mind. Please do not do that.

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please take your seat.

DR. THOKCHOM MEINYA : I was listening to all the interventions with rapt attention. I am very glad and rather very grateful to all of you for all the sympathy and cooperation that you have extended so far to the people of Northeastern region.

As the hon. Leader of Opposition has mentioned, being one from that region, I would like to say that the boy who was attacked in Pune belongs to my own village. It was a very serious incident.

He was actually doing a part-time study in a Poona College and just to sustain his education he was working in a shoe factory in the night. On Thursday when he was going to the college he was attacked and on the third day, that is on Saturday, when he was coming back from his work at about 10.00 p.m., he was chased and attacked again. He was hurt badly. He got stitches on his head and injury on other parts of his body was so grave that he had to be hospitalized. That was the crux of the problem. But we did not say that all this was the after effect of the Kokrajhar issue. We did not want to say this because it is a very-very complex and a delicate issue.

We know that our country is so vast, full of diversities.We have to be very careful when we say something across the table to solve a problem. I am very sorry to say that Madam Chakravarty has infused certain things which we do not like.

As I was mentioning in the beginning, the Government of India and for that matter the State Governments of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala and all the Northeastern States are working together. They have their own communication systems. I think they are working very hard under the guidance of the Union Government and I hope the matter will be subsided. As you know when a certain thing happens, we have to take immediate action. For example, if I have a headache, I will have to immediately take a Crocin to subside the pain. We can afterwards think over the remedial process taking into account various factors.

That is why I always insist that the people of this great country, India, have to know each other very well. We do not know some of them well. Fortunately or unfortunately, during my student days we used to have elaborate subjects like History, Geography and Moral Science. At the Secondary level, Class X, we used to learn the history of Kerala. We knew the freedom fighters of our country. We

knew everything. Now the Information Technology has come in and we want to infuse all the information in the syllabus which perhaps lacks in elaborate subjects like Geography, History or Moral Science. The other day I was suggesting that we have to have elaborate compulsory subjects like Geography, History and Moral Science because every region has its folk tales and beliefs. We have to make our younger generations know about them. If they know all these things together that will make them understand the country well and will help us to develop the national character so that we can proudly say that we are Indians first than we are Manipuris, Punjabis and so on. But that we have not been able to do and that is why we have to give important thrust on this in our education. I always say that education is the only way to solve the problem of ignorance. I am sorry to say that we won Independence 60 years ago but ignorance is still there throughout the country and we have yet to overcome it.

Coming back to the immediate problem, I am very sorry to say that the modern technology has made the situation worse, in the sense that some SMS and some MMS or for that matter some cassettes are being distributed which are really doctored. They are not correct. Some of them have been taken from some other incidents. They have been joined together, edited and sent out to mesmerize or to mislead the thinking of the people. So, this is a very serious matter. We have to take action in such a way that those who are responsible for this are booked immediately. Action should be taken against them immediately so that they cannot do further damage to our people.

I would again request all of you to listen to me very carefully. The other day also I said the same thing. We are all hon. Members. I would request you to try to propagate in all your constituencies that all this is not actually happening. Rumours are working like anything. We cannot take rumours as humours. We cannot take cartoons as humours. There are so many things which we have to take as humour also. But we have to take rumours seriously as they can damage and can de-stabilize everything.

I have to mention very humbly that this country is facing the problem of poverty. Poverty is one area, which affects everything. Why do our people from North-East go out? It is because they do not have any jobs there. They go out to study. They go out for jobs. They are not doing very respectable jobs. They are just in a 'hand to mouth' situation. They work there but they do not get handsome wages. They get only a small amount of money. Five to six people live together in one room. They cook together. Every person gets just about Rs.5000 per month. They work in hotels, mall shops, etc. just for sustenance. They do not come here to earn money. That is why, I would say that poverty brings them out of their homes and they are facing problems there.

Therefore, we have to see that the countryside is equally developed so that they could have jobs and education there. In that way, we can progress together. This is one very big lacuna which is there.

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

DR. THOKCHOM MEINYA: Another most important area is that everybody thinks that North-Eastern India consists of eight States including Sikkim brother. As all the hon. Members know, pre-Independence, there were only three States – one was a big Assam and other two were Tripura and Manipur. Tripura and Manipur were princely States. They got merged into India in 1949 just after Independence. Manipur State did have her own Constitution and an elected Government. They were running their own Governments. But in 1949, we joined India. Therefore, we are part of India. We do not say that we are not Indians. We have joined India. So, this history should be known to everyone.

Madam, I have taken much of your time and I thank you very much for your indulgence. But this has to be told to everyone. It has to be understood by everyone. Why are the people of Manipur angry today? There is one simple reason. We got merged in 1949. We were put as Part C States for many years. In 1972 when we got statehood. During that time, a small hill district of Nagaland which was made an Autonomous Hill District got statehood in 1963-1964. People

became wild at that time. You must be remembering the history. At that time, when Madam Indira Gandhi came to Manipur, we were students and we were fighting for statehood. You know our language, Manipuri, our culture, our sports persons, etc. Our language was recognized in 1980 only and it was put in the Eighth Schedule. It was too late. So, these things have happened there. This has created a sense of alienation in the minds of younger generations. We have to inspire them by letting them know the history of the country. We should be able to tell them that they are Indian first and then Manipuri, etc. In this way, all of us have to work together and such types of ugly things which are happening time and again, these are the creations of some of the anti-social elements. We always condemn them. Such things should not happen.

MADAM SPEAKER: Shri S.S. Ramasubbu is allowed to associate himself with the above issue.

श्री सुशीलकुमार शिंदे: माननीय अध्यक्ष महोदया, आज आपने सदन का क्वश्चन आवर सस्पेंड किया।

अध्यक्ष महोदया : मैंने क्वश्चन आवर सस्पेंड करने का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: सभी सदस्यों की विनती करने के बाद आपने परमिशन दी थी। एक ऐसे विषय पर सदन में चर्चा हो रही है कि आज पूरा सदन इस देश के साथ है, देश के विचारों के साथ है। दुखद घटनाएं घट रही हैं, चल रही हैं। आज जिस तरह से सदन में सभी सदस्यों ने एकता के रूप में नार्थ ईस्ट के बच्चों को और जनता को विश्वास दिलाया है, इसके लिए मैं विरोधी दल के नेता और आप सभी सदस्यों का आभारी हूं। आज पूरा सदन इकट्ठा होकर उनके दुखों के साथ समर्थन दे रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, सदन में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि 13 तारीख को यूपीए की चेयरपर्सन और मैं कोकराझार गए थे। हम देखने के लिए गए थे कि वहां जो दुखी लोग हैं उनका रिहेबिलिटेशन किस तरह हो रहा है। हमने एक ऐलान किया कि प्रथम शांति बहाल हो। कैंप्स में जो लोग बैठे हैं, उन्हें अच्छी तरह सिक्योरिटी मिले, यह हमारा पहला प्रयास था। यहां से वापिस आने के बाद दूसरी दुर्घटना घटी, सदन में विलासराव जी के बारे में दुखद सूचना मिली। हम 15 तारीख को उनके फ्यूनरल से वापिस आ रहे थे। मैं शार्ट में ही बताउंगा और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हम 15 तारीख को वापिस आ रहे थे और प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट में ही मुझे बताया कि बंगलौर में बड़ी तादाद में विद्यार्थी इकट्ठा हो गए हैं, आप इसे देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की। मैंने भी तुरंत कर्नाटक मुख्यमंत्री से बात की और विनती की कि इमीडिएटली ऐलान कीजिए, विशेषतः विद्यार्थियों को ऐलान कीजिए कि वे न जाएं, हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे लेकिन तब तक स्टेशन पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वहां कम से कम 5000-6000 लोग इकट्ठा हो गए थे। साढ़े दस बजे ट्रेन में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 लोग जा सकते थे। मुझे यह बताने में खुशी होती है कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर को वहां भेजा और तुरंत कार्रवाई की। वहां चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो एक्शन लिया मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। जब ऐसी

घटनाएं होती हैं तो हमें पार्टी से ऊपर सोचना चाहिए। आज इस सदन में देश से कहा जा रहा है कि हम सब एमपीज़ आपके साथ हैं। मैंने उनसे बात की और दो हैल्पलाइन चलाने के लिए कहा, जहां भी कुछ हो वहां नोडल अफसर लगाकर एनाउंस कीजिए। ऐसा मैंने कहा और तुरंत उन्होंने किया। मैंने होम सैक्रेट्री को कहा था कि मैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूं क्योंकि वहां भी एक इंसीडेंट हो गया था। इसके बाद मैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा था क्योंकि सिरोही के पास कुछ इंसीडेंट हो रहा था। जब मैं सबसे बात कर रहा था तब रात के 11 बज रहे थे और सवा 11 बजे मेरे घर नार्थ ईस्ट के दो एमपी, विशेषकर एजीपी के आ गए। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से ट्रेन निकली है और उस पर अटैक हो रहा है। मैंने कहा कि कहां अटैक हो रहा है आप बताइए। इस पर उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है लेकिन हमें फोन आया है। मैंने इमीडिएटली आंध्र प्रदेश सरकार को एलर्ट कर दिया कि पूरी ट्रेन पर बंदोबस्त लगा दीजिए और गुवाहाटी तक स्कवाएड करते जाइए। इस तरह की बातें हो रही हैं और अफवाहें बहुत फैलाई जा रही हैं।

महोदया, मैं कल तक देख रहा था कि मैसेजिस आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि हमारे पास नहीं हैं लेकिन मैसेजिस आ रहे थे। अभी कहा गया कि इंटरनेट और फेसबुक पर मैसेजिस आ रहे हैं। हम इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कल ही डायरेक्टर इंटेलिजेंस को कहा है कि जो इंटरनेट पर मैसेजिस कर रहा है, उसे ट्रेस कीजिए। मिलना कठिन है लेकिन ट्रेस कीजिए। और जब वे ट्रेस हो जायेंगे तो उनका पूरा इंतजाम करेंगे, यह मैं सदन को बताना चाहता हूं। मैंने देखा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई एक बोलता है कि यह हो रहा है तो दूसरे भी बोलने लगते हैं, मैं वह उदाहरण देना नहीं चाहूंगा। ...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): क्या कोई अरैस्ट हुआ है?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : देखिये, जरा मुझे बोलने दीजिए। मुझे पता है, आप बहुत सीनियर हो। लेकिन थोड़ा अभी मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि इससे बीच में ब्रेक हो जाता है।

मैं बताना चाह रहा था कि कई बार इस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं कि उसका मूल पता नहीं चलता है। एक कहता है तो दूसरा भी कहे जाता है कि वैसा हो गया है। मैंने कल कई लोगों से बंगलौर में भी पूछा, आंध्र प्रदेश में भी पूछा, कल रात मैंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से बात की और उन्होंने इस तरह का ऐलान किया कि महाराष्ट्र में कोई हैल्पलाइन लगाई है, चाहे पुणे हो, नासिक हो या मुम्बई हो, वहां यदि इस तरह की बातें होती हैं तो इंफॉर्म करें। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। परंतु सरकार इसे इतनी आसानी से नहीं लेती है। जैसे मैंने कहा था कि जब पुणे

में बॉम्ब विस्फोट हुआ था तो उसमें कोई बहुत ज्यादा इंजुरीज नहीं हुई थीं, केवल एक आदमी को इंजुरी हुई थी। लेकिन सरकार ने उसे इतना सिम्पल नहीं लिया, हम उसके डिटेल्स में जा रहे हैं। इतना ही नहीं हम यह भी देख रहे हैं कि उसके सूत्र देश के बाहर तो नहीं हैं।

महोदया, कई चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार उन्हें बताने का दिल नहीं होता है, क्योंकि इसमें सीक्रेसी न रखने से फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, उसमें बाधा आती हैं, इसलिए मैं कई बार बताना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि क्या किसी को अरैस्ट किया गया है, ऐसा अभी आपने बोला, मैं बताऊंगा कि अभी तक आसाम में 170 लोग अरैस्ट हुए हैं, मुम्बई में 21 अरैस्ट हुए हैं और जिस पुणे की इंसिडैन्ट के बारे में आप बात कर रहे थे और हमारे साथी मणिपुर के सदस्य कह रहे थे कि जिस बच्चे को उन्होंने मारा है, वहां प्रथम एक को अरैस्ट किया था, लेकिन अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि अब वहां 13 लोगों को अरैस्ट किया गया है और मुम्बई में 24 लोगों को अरैस्ट कर लिया गया है। हम ये सभी अरैस्ट तो जरूर करते हैं, लेकिन हम उनके डिटेल्स में भी जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आसाम से शुरू हुई है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एडजर्नमैन्ट मोशन पर मैंने बताया है कि इसकी हिस्ट्री क्या है और यह तभी से चला आ रहा है। आज मैं इस सभाग्रह से ऐलान करना चाहता हूं कि जो भी लोग गये हैं, कृपया आप वापस लौट आइये, भारत तुम्हारा देश है, चाहे आप मणिपुर के हों, चाहे अरूणाचल प्रदेश के हों, चाहे बंगलौर हो, मुम्बई हो या हैदराबाद हो, यह हमारा देश है और हमारे देश में इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं और आज का यह समय कितना अच्छा है कि हम सब एक साथ मिलकर उन्हें धैर्य दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि यही धैर्य हमारे देश को आगे लेकर जायेगा और आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा और चेतना देगा कि भारत का पार्लियामैन्ट हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से इस देश में एक विनती करूंगा और विशेषतः हमारे नार्थ-ईस्ट के जो बच्चे हैं और केवल बच्चे ही नहीं, बल्कि नार्थ-ईस्ट में गोहाटी का एक प्वाइंट है, गोहाटी के उस प्वाइंट से चाहे त्रिपुरा हो, सिक्कम हो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम हो या मणिपुर हो, वह एक सैंट्रल प्वाइंट है और वहां लोग जाते हैं...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हो गया, वह ठीक है। लेकिन जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार आदि है, आपको वहां के मुख्य मंत्रियों, यहां की सरकारों से भी बात करनी चाहिए, ताकि वे पहले से ही बता दें कि अफवाह फैल रही है। उस पर आप प्रिवेन्टिव एक्शन लीजिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया, तीन दिन पहले ही मेरे विभाग ने सबको एलर्ट मैसेज दे दिया है और जहां-जहां भी हो, मैं बातें कर रहा हूं। अभी आपने सजैस्ट किया है, यह हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे आपसे बहुत प्यार भी है। मैं यह सभी चीफ मिनिस्टर्स से जरूर बोलूंगा और इतना ही नहीं और भी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्हें भी बोलूंगा कि सदन की इच्छा कुछ कम नहीं है।

13.00 hrs

मैं समझता हूँ कि ज्यादा भाषणबाजी करने में मैं आपका और सदन का वक्त नहीं लेना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने यहां जो आश्वासन दिया है, वह आश्वासन हम पूरा करेंगे। होम मिनिस्टर बनने के बाद यह पहला मौका है कि यहां इतना अच्छा वातावरण मिला है कि हम देश के साथ हैं।

अध्यक्ष महोदया : यहां पर जो चर्चा हुई, वह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय था। यह सभी की इच्छा थी और मेरी भी उत्कट इच्छा थी। हमारे सदन में 38 दल हैं और उनके अलावा निर्दलीय भी हैं। पूरे भारत की जितनी जनता है, उन सभी का प्रतिनिधित्व यहां है। मैं चाहती थी और जो कि हुआ है कि इस सदन से एक स्वर में सिंह गर्जना हो, हुंकार भरें और नॉर्थ-ईस्ट के जो हमारे भाई हैं, उनसे कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं और यह देश तुम्हारा है। जो भी शरारत कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे नॉर्थ-ईस्ट के भाई-बहनों को, पूरे देश को और हमको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनके दिल में इस सिंह गर्जना से खौफ़ पैदा करें। मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने बहुत ही सफलतापूर्वक इस चर्चा को पूरा किया।

13.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 2, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7094/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2010-2011.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 7095/15/12)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): On behalf of Dr. Farooq Abdullah, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Indian Renewable Energy Development Agency Limited and the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7096/15/12)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): On behalf of Shri Salman Khursheed, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Judicial Academy, Bhopal, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Judicial Academy, Bhopal, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7097/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI DINSHA PATEL): I beg to lay on the Table a copy of the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 593(E) in Gazette of India dated 27th July, 2012 under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

(Placed in Library, See No. LT 7098/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 5 of 2012-13) (Performance Audit)- Implementation of Public Private Partnership; Indira Gandhi International Airport, Delhi, Ministry of Civil Aviation for the year ended March, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7099/15/12)

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 6 of 2012-13) (Performance Audit)-Ultra Mega Power Projects under Special Purpose Vehicles, Ministry of Power for the year ended March, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7100/15/12)

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 7 of 2012-13) (Performance Audit)- Allocation of Coal Blocks and Augmentation of Coal Production, Ministry of Coal for the year ended March, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7101/15/12)

(2) A copy of the Andhra Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations,

2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. 666/3/20/IR/324 in Gazette of India dated 29th October, 2011 under sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 7102/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the India Tourism Development Corporation Limited and the Ministry of Tourism for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7103/15/12)

(2) Memorandum of Understanding between the Donyi Polo Ashok Hotel Corporation Limited and the India Tourism Development Corporation Limited for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7104/15/12)

(3) Memorandum of Understanding between the Pondicherry Ashok Hotel Corporation Limited and the India Tourism Development Corporation Limited for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7105/15/12)

(4) Memorandum of Understanding between the Madhya Pradesh Ashok Hotel Corporation Limited and the India Tourism Development Corporation Limited for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7106/15/12)

(5) Memorandum of Understanding between the Assam Ashok Hotel Corporation Limited and the India Tourism Development Corporation Limited for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7107/15/12)

(6) Memorandum of Understanding between the Ranchi Ashok Bihar Hotel Corporation Limited and the India Tourism Development Corporation Limited for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7108/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI S. GANDHISELVAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 7109/15/12)

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy of the Indian Medicine Central Council (Election) Second Amendment Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 372(E) in Gazette of India dated 18th May, 2012 under sub-section (3) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

(Placed in Library, See No. LT 7110/15/12)

(4) A copy of the Homoeopathy Central Council (Election) Second Amendment Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 373(E) in Gazette of India dated 18th May, 2012 under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council
Act, 1973.

(Placed in Library, See No. LT 7111/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI VINCENT H. PALA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the U.P. Projects Corporation Limited, Lucknow, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the U.P. Projects Corporation Limited, Lucknow, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7112/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI K.C. VENUGOPAL): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the NTPC Limited and the Ministry of Power for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7113/15/12)

(2) Memorandum of Understanding between the Rural Electrification Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7114/15/12)

13.03 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA *

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:--

> "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore Bill, 2012 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 13th August, 2012."

Madam Speaker, I lay on the Table the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Bill, 2012 as passed by Rajya Sabha on the 13th August, 2012."

13.03 ½ hrs

Committee on Private Member's Bills and Resolutions

27th Report

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी): अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

---

* Laid on the Table

13.04 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the Recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demans for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Overseas Indian Affairs. *

THE MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): I beg to lay the Statement under Direction 73-A of the Speaker on the status of implementation of the recommendations contained in the Ninth Report of the Standing Committee on External Affairs.

The Ninth Report of the Standing Committee on External Affairs on the Demands for Grants 2011-12 was presented to the Lok Sabha on 29th August, 2011 and laid in Rajya Sabha on 29th August, 2011. Action Taken Replies (ATR) of the Government on the recommendations/observations of the Committee were sent to the Committee on 27th March, 2012.

As required, the present status of implementation of the recommendations of the Ninth Report of the Standing Committee is detailed at the Annexure which is laid on the Table of the House.

I hope that the hon. Members will be satisfied with the action taken by my Ministry.

———

* Laid on the Table and also placed in Library, see No. LT-7115/15/12

13 .05 hrs

BUSIENSS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Tuesday, the 21st of August, 2012, will consist of:

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.
2. Further consideration and passing of the National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010.
3. Consideration and passing of the Banking Laws (Amendment) Bill, 2011.
4. Discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Ordinance, 2012 and consideration and passing of the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Bill, 2012.
5. Consideration and passing of the North-Eastern Areas (Reorganization) Amendment Bill, 2011.
6. Consideration and passing of the National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore Bill, 2012, as passed by Rajya Sabha.

MADAM SPEAKER: Submissions by Members. Shri Kaushalendra Kumar.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषय जोड़े जायें।

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो डीप बोरिंग ट्यूबवेल की स्थापना की नीति।
2. देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की नीति बनायी जाए।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का कष्ट करें।

1. बाल लिंग अनुपात के दृष्टिकोण से संवेदनशील राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान सरकारों को इन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक माननीय संसद सदस्य (लोक सभा एवं राज्य सभा) के लिए पांच लाख रूपए की दर से निधियां सन् 2007 में जारी की गयी हैं। इस प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित रखें, क्योंकि बाल लिंग अनुपात में कोई सुधार नहीं हुआ है।
2. मेहसाणा उत्तर गुजरात का बड़ा शहर है। वह मिल्क, ऑयल और इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जाना जाता है और उंझा जो एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी है, लेकिन उनके साथ रेल स्टॉपेज के बारे में अन्याय हो रहा है। मेहसाणा में अभी भी 6 गाड़ियों (गरीब रथ, पोरबंदर-मुजफ्फरपुर, दादर-बीकानेर, अहमदाबाद-ऊधमपुर, यशवंतपुर-जोधपुर और कोच्चिवल्ली-बीकानेर) को स्टॉपेज नहीं मिल सका है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन गाड़ियों को शीघ्र ही स्टॉपेज दिया जाए।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदया, कृपया निम्नलिखित अति-महत्वपूर्ण विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

घाघरा नदी में बाढ़ के कारण बारांबकी, सीतापुर, बहराइच, गोण्ड़ा जनपदों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। आबादी के पास मजबूत ठोकर एवं पक्के बांध बनाये जाएं ताकि हर वर्ष हो रही तबाही से बचा जा सके।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाये।

1. नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के अंतर्गत बुन्देलखंड की केन बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाये।
2. छतरपुर में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वीकृति को भेजा गया है। इसे शीघ्र प्रारंभ कराने की केन्द्रीय औपचारिकतायें पूरी की जायें।

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाये।

1. देश के किसानों के उत्पादित माल को घर तक या मार्केट तक पहुंचाने के लिए रास्ते नहीं होने से साल में देश को 40 से 50 हजार करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है। यह सरकार की रिपोर्ट में भी कहा गया है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक विशेष प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय और योजना आयोग में प्रस्तावित है। जो किसानों को खेती अंतर्गत रास्ता बनाने के लिए है, जिससे उत्पादित माल रास्ते के अभाव में खराब न हो, लेकिन उस पर सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक विचार नहीं किया है। इन मांगों को सरकार को गंभीरता से लेकर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
2. जलगांव जिला, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों जोन में आता है और यहां से काफी ट्रेनों का आना-जाना होता है, लेकिन पिछले कई सालों से जलगांव, चालीसगांव, धरणगांव, अमलनेर और पाचोरा में कुछ फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने की घोषणा हुई है। लेकिन अभी तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। कई सालों से लंबित इन मांगों को सरकार गंभीरता से लेकर तत्काल फ्लाई ओवर ब्रिज का काम शुरू करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया : आप लोग संक्षेप में बोलिये, पूरा विस्तार में मत जाइये।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदया, मेरी आपसे प्रार्थना है कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये।

नर्मदा नदी पर अंतरराज्य एवं बहुहेतुक सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट की ऊंचाई 121.92 मीटर सम्पन्न की गई है। उसे अपनी पूर्ण ऊंचाई 138.68 मीटर और उनके दरवाजे जल्द ही लगवाने की कार्रवाई शीघ्र की जाये।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए :-

1. सरकार द्वारा देश में विद्यार्थियों को शिक्षा अध्ययन हेतु कक्षा 1 से 12 अथवा कक्षा 6 से 12 तक स्कूलों की स्थापना किए जाने के लिए एक प्रावधान बनाए जाने से संबंधित विषय।
2. पाकिस्तान बॉर्डर से केलिफोर्निया बादाम की तस्करी से भारतीय राजस्व को होने वाली क्षति से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने से संबंधित विषय।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, आगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए और सदन में चर्चा कराई जाए :-

1. अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के समतुल्य संवैधानिक दर्जा दिया जाए एवं आरक्षण की सभी सुविधाएँ तथा प्रोन्नति में आरक्षण के लिए संवैधानिक व्यवस्था की जाए।
2. पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण तथा स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों समेत अन्य राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों के किनारे बढ़ रहे अतिक्रमणों के कारण यातायात पर अवरोधक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसको रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कानून बनाने के लिए इस विशेष महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाए।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Madam, the following items may be included in next week's agenda:-

1 Step to ease the corridor congestion for taking contracted power from other surplus States to meet immediate power requirement by Tamil Nadu which is facing power congestion in the Southern Corridor in utilizing the same and to postpone the proposal for further tightening the grid frequency till the situation improves.

2 Need to evolve a proper mechanism to avoid delay in coal linkage in starting new power plants and to expedite the allocated coal block to ensure uninterrupted power generation in the existing plants in Tamil Nadu and to urge the Ministry to frame proper guidelines to enable Tamil Nadu to import coal in a hassle-free manner.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के मामले को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूँ।

1. देश में बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। अवैध शिकार और वन-व्यवस्थापन के कु-प्रबंधन के कारण बाघों की बढ़ती मृत्यु का संज्ञान लेकर इस पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता।

2. मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आर्णी और घाटंजी में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। बाढ़ के कारण प्रभावित परिवार, व्यापारी तथा किसानों को तत्काल प्रभाव से केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, if the House agrees, we may postpone Item No. 15 relating to Calling Attention for some other day. I think the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned for Lunch to meet again at 2.15 p.m.

13.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

14.45 hrs

*The Lok Sabha re-assembled at *forty-five minutes past Fourteen of the Clock.*

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

CHEMICAL WEAPONS CONVENTION (AMENDMENT) BILL, 2012 ….Contd

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item 16; hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a Bill which has been passed by Rajya Sabha. Chemical Weapons Convention (CWC) is the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and use of Chemical Weapons and on their Destruction. The U.N. General Assembly approved the Convention on November 30, 1992 and opened the Convention for signature in Paris on January 13, 1993. The agreement is administered by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), which is an independent organisation based in The Hague, Netherlands. The whole intention of giving this is that India is a signatory and about 188 countries have signed this Convention and India has already ratified this. Six countries namely Angola, Egypt, Somalia, Syria, North

---

*At 14.15 hours quorum bell was rung. No quorum was made. At 1418 hours quorum bell was rung again and no quorum was made. At 1421 hours once again quorum bell was rung and no quorum was made. Thereafter, the Secretary-General informed the members present as follows:

> "There is no quorum. So, the House cannot meet; and we cannot start the House till there is a quorum. Hon. Speaker has directed that the House will re-assemble at forty-five minutes past Fourteen of the Clock. "

Korea and South Sudan have not signed the Convention. India declared and destroyed its stockpile of chemical weapons of nearly 1000 tonnes by 2007; and that was the deadline which was given by the Convention.

A National Authority in the Cabinet Secretariat has been established under Section 6 of the Act which is the national focal point for liaison with the OPCW and other State Parties. At present, National Authority consists of Secretary in the Cabinet Secretariat as the Chairman and DG, DRI, Joint Secretary (NA) and Joint Secretary (Chemicals) as its Directors. National Authority has the power to call for any information, declaration or return regarding toxic chemicals or precursors under Section 12 of the Act.

Sir, as you know, the amendment was required, which is a very minor amendment, and this Bill was sent to the Standing Committee. On the recommendation of the Standing Committee, we have accepted the Standing Committee recommendation. The amendment in Section 9 provides for appointment of specified officers of the Central Government besides the officers of the National Authority to perform the enforcement functions. This amendment seeks to widen the scope and reach of officers who can be appointed as Enforcement Officers as at present National Authority has very limited number of officers who have to perform this function all over India. Corresponding rules will be made to ensure that only qualified officers having requisite technical qualifications, relevant experience in the field, unblemished track record and integrity of Central Government are conferred this power of enforcement. That was the recommendation of the Standing Committee which we have accepted.

The second amendment in Section 16 seeks to ensure that no toxic chemical or precursor listed in Schedule 2 of the Convention is transferred not only between the citizens of non-state party but also between the state parties. This will not only bring Chemical Weapons Convention Act in conformity of the International Treaty but also will ensure no scope for transfer of toxic chemicals between any unauthorized entities.

Then, the amendment to Section 18 is being done so that the facilities manufacturing scheduled chemicals beyond a particular threshold limit are only required to undergo the requirement of registration and consequently filing of mandatory declarations. Normally in our country, there are so many small-scale manufacturers of different chemicals, of Schedule 2 chemicals and Schedule 3 chemicals. There were very minor production maybe half kilogram or less than that but they were supposed to register themselves and they were supposed to be inspected. So, on the basis of the Convention, the threshold limit has been finalised. When the rules will be prepared, the threshold limit will be declared. On the basis of that, the units which are within that threshold limit need not come under the registration and that is why this amendment was required.

The limit has also been declared like in Schedule 2A, the maximum limit can be 1 kilogram, verification threshold is 10 kilogram and accordingly the threshold limit has been identified.

Then the amendment in Section 42 is a consequential amendment to that in Section 16 as it provides penal provision for persons or non-State parties engaging in transfer of scheduled chemicals.

Section 56 is a rule-making provision and the amendment is proposed to provide rule making power to the Central Government to ensure eligibility of Central Government officers for appointment as enforcement officers as in Section 9 and also to provide threshold limit, procedure or form of certificate of registration and terms and conditions for granting such a certificate.

Sir, basically these are the small amendments to the Bill. Since this is an obligation which needs to be done, I hope, without any further delay we can

amend this and the House will agree with me. If Members have anything to say they can participate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Chemical Weapons Convention Act, 2000, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI JASWANT SINGH (DARJEELING): Mr. Deputy Speaker, Sir, the hon. Minister has ably explained that we ought to enact this amendment without further delay, therefore, I must, at the very beginning congratulate the new Leader of the House. I was congratulating you for extracting quorum from where there was no quorum. You extracted the quorum out of a vacuum. Therefore, you and your assiduous Minister for Parliamentary Affairs deserve our congratulations.

I do not want to be so rude as to suggest to the Leader of the House to proceed to his other occupations but do please proceed because we have the hon. Minister for Chemical and Fertilizers to pilot this Bill.

I had begun, Mr. Deputy Speaker, to despair of this Bill ever coming up for consideration. It felt as if it had been orphaned and abandoned because day after day it would get listed and for one reason or another get postponed.

Today, really, I thought that it is not fated because of some evil eye on this Bill. So, I congratulate the Government for finally managing to get this Bill for consideration and passing.

Sir, I must, before I express my support for the provisions, express some confusion as to why the Hon'ble Minister for Chemicals and Fertilizers ought to be dealing with chemical weapons. Chemical weapons are not a subject which harmonises either with fertilizer or with chemicals. It is really a subject that ought to be considered either by the Ministry of External Affairs or if you stretch the point of being weapons, then it is the Ministry of Defence.

I would tell the honourable and able Minister of Chemicals and Fertilizers, who is a colleague of very old standing, whom I respect, that this is not a comment on your abilities, Mr. Minister; this is a comment on really the dysfunctional style of this Government.

The Explanatory Notes and the Objects and Reasons are sufficiently clear. Then, the able Minister has further clarified issues. Therefore, there is very little for me to say except to support the measures that this Bill intends to enact.

I do wish, however, to point out one or two aspects. One is, I wish to illustrate, what chemical weapons can do. I cite to you, Sir, the example of, perhaps, the names that strike some chords of memory – Danang, in Vietnam for four decades, as per the very recent Report: forty years after the end of the Vietnam War, the US have now started cleaning up the area because what was used in Vietnam, Cambodia and also parts of Laos by the United States of America was an herbicide chemical called 'Agent Orange'. That caused so much damage that even now, 40 years later, not a blade of grass grows on that soil. Also this has caused so much damage to succeeding generations; children are born with defects, with cancerous tendencies. The damage that is caused by chemical weapons is long-lasting and really pernicious.

I would also cite the example of what is happening in Syria today. Despite what is happening in Syria, if there is great hesitation on the part of the Western countries to intervene, it is because Syria has already announced openly that if the United States of America or any other Western country were to intervene, they would use the chemical weapons that they have, which takes me to an aspect that I wish to underline. And that is about the totality of weapons of mass destruction, in particular the need for verification of the claims that are made that we have banned the use of chemical weapons but we have also destroyed the stock that we had in the nation. A classic example of the violation of this, of course, is this very recent Report that has been made public. It is a Report prepared by the Lawmakers of the United States of America. They have made it public now, that Pakistani officials have stated: "The Government may be increasing significantly its nuclear arsenal." I do not know whether Pakistan is a subscriber to the Chemical Weapons Convention or do the subscribers have an obligation to go through verification; internationally verifiable measures that ensure that there is no inadvertent or deliberate storage of chemical weapons.

I will give you another example, and that is, of course, Bhopal. Bhopal is a living example of what damage can be done to land, to environment and to human beings, and for many generations by misuse or mal-use of chemicals.

15.00 hrs

Bhopal is the living example; and I have another example, Sir, which is daily confronted by the country is the state of our rivers. If our rivers are polluted, it is because of the discharge of chemicals into those rivers. With the result, the rivers even like Ganga and Yamuna, today, are not rivers of great reverence that they were; they have become virtually a flowing chemical poison. These are the examples, which would justify why we do need these amendments and why we do need these laws.

I would also like to add here that I not only fully support the measures that this Government is bringing about but that I would also recommend very strongly, if the Government examines the question of international verification of what the Convention and subsequent follow-up legislations require; and if possible for the Hon. Minister to inform us as to what the Government can bring in. For that purpose, as a suggestion, I would say, though he is a very able Minister, that the question of Chemical Weapons is not his subject that the Ministry for Chemicals and Fertilisers aught to be dealing with.

I conclude, Sir, by saying that we support this legislation.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष जी, सन् 2000 में कैमिकल वैपन कन्वैंशन एक्ट बना था। उसमें संशोधन के लिए जो विधेयक लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।

15.02 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

मैं अपनी बात रखने से पहले कहना चाहता हूं कि जसवंत सिंह जी ने अपनी चिर-परिचित शैली में बात शुरू की। उन्होंने जिस तरह नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री को बधाई दी कि कोरम लाने के लिए मैम्बर्स को एक्सट्रैक्ट किया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह बात सही है कि सदन चलाने की जवाबदारी सरकार की है। हमारी जवाबदारी बनती है और हमने जवाबदारी निभाई, लेकिन इसमें मुख्य विपक्षी दल का भी थोड़ा सहयोग होते रहना चाहिए।...(व्यवधान) इस तरफ के मैम्बर्स कोरम पूरा करने की दिशा में लगातार बढ़ रहे थे। माफ कीजिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं देख रहा था कि क्या मुख्य विपक्षी दल के कुछ सदस्य भी कोरम पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्यवश वह नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं।

हमने वर्ष 2000 में यहां जो बिल पास किया था, 1993 में जो कैमिकल वैपन कन्वैंशन हुआ था, जिसमें हमने भी सिगनेचर किए हैं, उसके एक ऑब्लीगेशन के तहत हमने अपने देश में कानून बनाया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी सिगनेटरी कंट्रीज़ होंगे, उनके पास कैमिकल वैपन्स नहीं होंगे। दूसरा, ऐसे खतरनाक रसायनों का स्टॉक पाइल नहीं होगा जिससे कभी भी, कोई भी इस प्रकार के खतरनाक कैमिकल वैपन्स बना सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सिगनेचर करने के बाद उस ऑब्लीगेशन को निभाते हुए हमने कानून बनाया। वर्ष 2005 में वह कानून लागू हुआ और 2007 तक हमने हमारे पास एक शैडयूल के तहत आने वाले जितने भी खतरनाक कैमिकल्स हैं, उन्हें डिसट्रॉय किया। लगभग एक हजार टन के आसपास रसायन हमने डिसट्रॉय किए। हमने कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय भावना का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया। यह दूसरी बात है कि दुनिया में दो बड़े देशों- अमरीका और रशिया, ने अभी तक अपने कैमिकल्स डिसट्रॉय नहीं किए, हालांकि उन्होंने भी सिगनेचर किए हैं। मैं सदन के माध्यम से इन बड़े देशों से अपील भी करना चाहूंगा कि जैसे हमने हस्ताक्षर किए और अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान करते हुए अपने खतरनाक कैमिकल्स नष्ट किए, बिल्कुल उसी तरह बड़े देशों को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

आज जो अमैंडमैंट लाया गया है, वह मुख्य तौर पर तीन प्रावधानों को संशोधित करने के लिए है। पहला यह है कि सैंट्रल गवर्नमैंट को ज्यादा पावर, ज्यादा ताकत दी जा रही है। हमने बुनियादी कानून के

तहत नैशनल अथॉरिटी की जो स्थापना की थी, उसमें इनफोर्समैंट आफिसर एप्वाइंट करने के लिए एक संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि एक बार यह बिल कानून में कन्वर्ट होता है, एक बार कानून लागू होता है। हमारे देश में बड़े पैमाने पर कैमिकल और फर्टिलाइजर फैक्टरी चलाने वाले लोग हैं, कम्पनी चलाने वाले लोग हैं। उन कम्पनियों और फैक्टरियों में कौन से लोग जायेंगे, जिन्हें इन कैमिकल्स की जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं, जो विशेषज्ञ नहीं हैं, ऐसे में एक नया इंसपैक्टर राज शुरू हो सकता है। ऐसे में जो छोटी-छोटी कैमिकल फैक्टरीज के मालिक हैं, उनका हरासमैंट हो सकता है। इससे बचने के लिए हमारे देश के जो छोटे उद्यमी हैं, उन्हें राहत देने के लिए, संरक्षण देने के लिए इस कानून में इस प्रकार का संशोधन किया गया है कि जो नैशनल अथॉरिटी होगी, वह अच्छे, ट्रेंड, एक्सपर्ट आफिसर्स एप्वाइंट करेगी, जो इसे इनफोर्स करेगी। जो इनफोर्समैंट आफिसर्स के तौर पर जाने जायेंगे। निश्चित तौर पर यह अमैंडमैंट एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है और इसका मैं समर्थन करता हूं।

दूसरा संशोधन जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वह सैक्शन 16 का अमैंडमैंट है। वह यह कहता है कि हमारे देश मे अगर कोई भी व्यक्ति कैमिकल प्रोडक्शन में है, तो कैमिकल प्रोडक्शन के बाद वह अपने उत्पाद को कहीं भेजना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो कभी भी, कहीं भी उन देशों या उन देशों के नागरिकों को नहीं दे सकता, जो इस कन्वैंशन में सिगनेटरी नहीं हैं। इस आशय का भी एक संशोधन यहां पर लाया गया है। निश्चित तौर पर यह संशोधन भी बहुत अच्छा है। सिगनेटरी कंट्रीज के अलावा किसी और देश के नागरिक के साथ कोई ट्रांजेक्शन न हो, कोई कारोबार न हो, इस प्रकार का इसमें आयोजन किया गया है।

तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन है कि एक थ्रैशहोल्ड लिमिट तय करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सारे कैमिकल्स डेंजरस होते हैं। ऐसा भी नहीं कि हमारे देश में कैमिकल्स की आवश्यकता ही नहीं है, दुनिया या समाज में कैमिकल्स की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैमिकल्स का कोई उपयोग नहीं है। कैमिकल्स का उपयोग है, अगर उसका एक लिमिट, सही दिशा और सही टेक्नोलॉजी के आधार पर इस्तेमाल किया जाये। एक थ्रैशहोल्ड लिमिट तय करने के लिए एक तीसरा संशोधन पेश किया गया है। बहुत सारी कैमिकल्स फैक्टरीज हो सकती हैं, जो अपने-अपने देशों में, अपनी-अपनी फैक्टरी में एक लिमिट तक अपने यहां कैमिकल्स रख सकती हैं। अलग-अलग शैडयूल की अलग-अलग जो लिमिट है, अभी मंत्री जी ने यहां पर बताया है और मेरे ख्याल से वह कन्वैंशन के तहत निर्धारित हुआ है। लेकिन इस संशोधन विधेयक में इस प्रकार के लिमिट का कोई जिक्र नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम रूल्स फ्रेम करेंगे, तब अपने यहां, अपने देश में, अपनी व्यवस्था के हिसाब से शायद उस थ्रैशहोल्ड लिमिट को संशोधित करेंगे या जो कन्वैंशन में निर्धारित किया गया है, उसे स्वीकार करेंगे। यह तीसरा संशोधन है। मैं इन तीनों संशोधनों

का स्वागत करता हूं। जिन देशों ने सिगनेचर नहीं किये हैं, निश्चित तौर पर उन देशों के बारे में इस सदन में चिंता व्यक्त करनी चाहिए। उन देशों को भी सिगनेचर करने चाहिए। बाकी जो अंगोला वगैरह छोटे-छोटे देश हैं, लेकिन सीरिया, जो मिडल ईस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, पूरे मिडल ईस्ट में एक डेमोक्रेसी है, ऐसे देश को भी सामने आकर, नार्थ कोरिया नहीं करता। कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। उनको भी कायदे से करना चाहिए। लेकिन सीरिया जैसे देशों को भी इस प्रकार के कन्वैंशन में सिगनेचर करने चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में हमने जो हथियार रहित समाज की कल्पना की है, उस कल्पना को साकार किया जाये। पूरी दुनिया में कैमिकल वैपन्स का इस्तेमाल न हो, उनका प्रोडक्शन न हो और उसके जरिये कोई नरसंहार न हो, कोई विध्वंस न हो, यह जो यूनाइटेड नैशंस का सपना है और जिस सपने के तहत कन्वैंशन बनाया गया, पास किया गया, उस सपने को साकार करने के लिए हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। उस सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार लगातार सन् 2000 से प्रयास कर रही है। इस प्रयास के लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं।

माननीय मंत्री जी आज जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, उस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अगर देखा जाये तो यह बिल सदन में बहुत ही जद्दो-जहद के बाद पास हो रहा है।

यह बहुत छोटा सा विधेयक है। आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में भारतवर्ष की जो ख्याति रही है, भारतवर्ष ने हमेशा शांति और विकास का पैगाम दिया, जिसका पूरे विश्व में अपना एक अलग महत्व है कि किस प्रकार से मानव की रक्षा हो। किसी भी देश में नरसंहार न हो, इस पर भारतवर्ष ने आगे बढ़-चढ़कर जो पहल की है, वह सराहनीय है, पूरे विश्व में उसकी सराहना हुई है। दूसरी तरफ, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया है, जो अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ है, जो सम्मेलन हुए थे, बहुत से देशों ने हस्ताक्षर किए हैं कि अपने यहां रासायनिक आयुध समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ देशों ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे ही मंशा प्रतीत होती है कि कौन सा देश शांति और विकास चाहता है और कौन से ऐसे देश हैं जो विध्वंस की ओर जा रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को यह भी बता दिया कि हमारे यहां जो रासायनिक आयुध भंडार थे, उनको हमने समाप्त कर दिया है। भारतवर्ष पूरे विश्व में तीसरा ऐसा देश बन गया है और उसी तर्ज पर अल्बानिया एवं दक्षिण कोरिया ने भी अपने यहां रासायनिक आयुध समाप्त करने की पहल की है। यह एक बहुत ही सराहनीय एवं खुशी की बात है कि भारतवर्ष को देखकर अन्य देश भी इस पर पहल कर रहे हैं। भारत के पास वर्ष 1997 में जो करीब 1044 टन सल्फर का भंडार था, उसको नष्ट किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। जैसा अभी आदरणीय जसवंत सिंह जी ने कहा है, जो ऐसे रासायनिक हथियार हैं, उनका प्रकृति और मानव पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है और इसका दुष्परिणाम आपने देखा होगा कि जापान में जब हिरोशिमा पर परमाणु बम डाले गए, वहां आज भी पैदावार नाम की कोई चीज नहीं है और वहां पर लोग अपंग पैदा हो रहे हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान पड़ता है प्रकृति और मानव पर। इस बिल में कहा गया है कि सामग्री के उत्पादन व स्थानांतरण पर रोक लगाने से संबंधित यह बिल लाया गया है कि यह सामग्री गलत हाथों में न पड़ने पाए। दूसरी बात यह भी कही गयी है कि इसका दुरूपयोग न हो सके, इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है - आजीवन कारावास से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माने की बात आपने कही है। इसके साथ ही आपने यह भी बताया है कि यह मंत्रालय एनफोर्समेंट अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। अभी संजय निरुपम जी ने सही कहा है कि ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति न हो जिससे इंसपेक्टर राज को बढ़ावा मिले और बहुत से केमिकल्स से जो अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं, वहां पर लोगों का शोषण न हो। बहुत से प्रोडक्ट मानव के हित में बनते हैं, इस प्रकार के तमाम प्रोडक्ट बनते हैं, वहां पर लगे लोगों का ह्रासमेंट न हो, इस ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पड़ोसी देश

पाकिस्तान ने पता नहीं रासायनिक हथियारों को नष्ट किया है या नहीं, उसने हस्ताक्षर किए या नहीं किए, लेकिन अगर अन्य देशों ने पहल की है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अन्य देश भी अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट करें। युद्ध से संबंधित एटॉमिक आदि हमारे जो अन्य हथियार हैं, उन पर भी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, जिनका दुष्परिणाम आपने भोपाल त्रासदी के रूप में देखा होग। अन्य तमाम घटनाएं देश में हुई हैं, तमाम फैक्टरियों के रासायनिक पदार्थों एवं गैसों के लीक होने से मानव पर दुष्परिणाम पड़े हैं, यहां तक कि जो हमारी नदियां हैं, वे प्रदूषित होती हैं। जो पानी बहता है, जमीन के अंदर जाता है, जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त होती है, पानी प्रदूषित होकर जहरीला हो जाता है। इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह बिल लाकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से दूसरे देश भी इस पर जरूर अमल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापति जी, मैं अपनी पार्टी जनता दल (युनाइटेड) की तरफ से इस संशोधन बिल का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन विधेयक के मूल कानून को पहली जुलाई, 2005 को लागू किया गया था, जिसमें हर तरह के रसायन रखने पर रोक लगाई थी।

इस मूल कानून में यह कहा गया है कि रासायनिक पदार्थ रखने वालों का निबंधन में समय सीमा निर्धारण नहीं है। इसके अलावा इस कानून का उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष से कम सज़ा तथा एक लाख रुपए का ज़ुर्माना था। इसलिए इस मूल कानून का संशोधन विधेयक, राज्य सभा में 16 जुलाई, 2010 को लाया गया था और अब इसे लोक सभा में पारित करने के लिए लाया गया है। क्योंकि मूल कानून में निबंधन की समय सीमा नहीं थी इसलिए इस संशोधन विधेयक में इस समय सीमा को स्पष्ट किया गया है तथा इस कानून का उल्लंघन करने वालों को आजीवन कारावास की व्यवस्था भी की गई है।

माननीय सभापति जी, इस संशोधन विधेयक पर मेरे कुछ सुझाव हैं, जिस पर मैं चाहूंगा मंत्री जी इस बिल को पारित करने से पहले विचार जरूर करें। मेरी यह मांग है कि इसके उत्पादन, परिवहन, भंडारण और निस्तारण में संल्पित प्रत्येक व्यक्ति से इस बात का शपथ पत्र लिया जाए कि उसके पास किसी भी तरह के मिश्रण से रासायनिक हथियार बनाया जा सकता है, जो कि जनता के लिए हानिकारक है। जहां तक संभव हो इस उद्योग में शामिल प्रत्येक जिम्मेदारी व्यक्ति की बैंक गारंटी व अन्य ज़मानतों का प्रावधान होना चाहिए, जिससे इसकी हैंडलिंग और सुरक्षित हो सके। क्योंकि संसार के कुछ देशों के द्वारा समय-समय पर इसके प्रयोग करने के आरोप हैं, जिससे भयानक विभीषिका होती है। इसलिए इसके हैंडलिंग करने के प्रावधानों को और कड़ा किया जाए और इसमें संल्पित प्रत्येक व्यक्ति का उचित रूप से पुलिस सत्यापन किया जाए और हर तरीके से प्रत्येक कोण से सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा कार्गो के प्रत्येक डिब्बे में गोपनीय रूप से जीपीआरएस लगाया जाए, जिससे इसकी चोरी को शत प्रतिशत रोका जा सके। इसी तरह इसकी फैक्टरी में सभी सीसीटीवी कैमरे प्रत्यारोपित किए जाएं और इनकी रिकार्डिंग छः माह के लिए सुरक्षित की जाए। माल के वित्तीय अंकेक्षण की समय सीमा को कम करके मासिक किया जाए, इससे इसकी पिल्फेरेज रोकी जा सकती है।

उपरोक्त प्रावधानों से इसके आतंकवादियों, नक्सलवादियों एवम् असामाजिक तत्वों के हाथ में नहीं जाने का खतरा नहीं रहेगा तथा पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रासायनिक आयुध संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। यह जो रासायनिक आयुध संशोधन विधेयक लाया गया है, यह काफी सार्थक है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो रासायनिक पदार्थों से मानव जीवन और प्रकृति पर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं और ये जमीन के अंदर भी काफी प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे हमारी कृषि पर भी असर पड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कई देशों के साथ इस बारे में समझौते हुए हैं कि सभी देश अपने यहां से ऐसे रासायनिक हथियारों का उत्पादन नहीं करेंगे। अगर किसी के यहां इस तरह के हथियार हैं तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। इसके तहत भारत में 1,000 टन इस तरह से रासायनिक पदार्थों को जो हथियार बनाने के काम आते हैं, नष्ट किया गया है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे हमारा एक पड़ोसी मुल्क कभी-कभी धमकी देता है कि हम रासायनिक हथियार का प्रयोग कर सकते हैं।और भी कई देश हैं जिससे हमारे देश में भी ऐसी स्थिति बनती है। जैसा कि माननीय जसवंत सिंह जी ने कहा कि आज इस बात का पता लगाने की भी जरुरत है कि किन-किन देशों के पास जिन्होंने समझौता किया है, कैमिकल्स वैपन्स हैं या जिन लोगों ने समझौता नहीं किया है उनके पास हैं या नहीं हैं। आज यह जरूरी है क्योंकि इससे मानवता और प्रकृति दोनों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। भोपाल की त्रासदी हो या जहां-जहां एटोमिक वैपन्स का उपयोग किया गया है वहां-वहां बहुत तादाद में जनमानस की क्षति हुई है, प्राकृतिक वातावरण बिगड़ा है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे यहां जो प्रतिबंध लगा है इस तरह का प्रतिबंध हर देश पर लगना चाहिए और इसकी जांच भी करनी चाहिए ताकि पूरा विश्व शांति के साथ जी सके।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Sir, I thank you for allowing me to participate in the discussion on this important subject concerning the chemical weapons.

At the outset, I rise to support the Bill. I would like to appreciate the hon. Minister for bringing this important Bill.

The Bill seeks to amend the Chemical Weapons Convention Act, 2000 which was enacted to give effect to the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction. India had signed the Convention on 14th January, 1993. This amendment Bill accepts the recommendations of the Standing Committee.

The Bill establishes a National Authority to implement the provisions of the Convention. The Central Government has the power to appoint any officers of the National Authority as Enforcement Officers. The Bill broadens the scope by allowing the Central Government to appoint any of its officers as Enforcement Officers.

This Bill does not allow any person to transfer or receive specified toxic chemicals from a person who is not a citizen or a State party. The Bill amends the provision by prohibiting transfer from a State which is not a party to the Convention.

The Bill provides for registration of persons engaged in the production, processing, transfer, import, export or use of any toxic chemical or engaged in the production of discrete organic chemical. It also provides for specifying threshold limit for registration of chemicals.

The Chemicals Weapons Convention Act, 2000 was enacted primarily with the objective of discharging the obligations of the country under the Chemical Weapons Convention, a universal non-discriminatory, multilateral disarmament treaty, which bans the development, production, acquisition, transfer, use and stockpile of all chemical weapons. The amendment Bill includes a proposal for

amendment in provisions of five sections – Sections 9(1), 16, 18, 42 and 56 - of the Act pertaining to appointment of Central Government officers as Enforcement Officer, registration of persons engaged in production etc. of Schedules 1 to 3 chemicals in terms of the CWC Act etc.

Under Section 9(1) of the Chemical Weapons Convention Act, 2000, officers of National Authority, Chemical Weapons Convention only can be appointed as Enforcement Officers to facilitate implementation of CWC Act. Due to limited number of officers of National Authority to work as Enforcement Officers and requirement of their presence in different parts of the country, where chemical industry is located, the Government has proposed to amend this sub-section to enable it to appoint any of the Central Government officers to work as Enforcement Officer under this Act.

The eligibility criteria so set should lay due emphasis on requisite technical qualifications, relevant experience in the field, unblemished track record and integrity of the Central Government officer who has to be appointed as Enforcement Officer. It would be appropriate if the selected officers under this section, are given suitable training before their appointment as Enforcement Officers.

The Government should also ensure that the rules made under these provisions for effective implementation of the CWC Act are in conformity with the international treaty. The threat perception, both internal and external, being faced by our country need to be given due consideration before the Act is amended. Therefore, the Government should give a serious thought to incorporate in the proposed Bill suitable provisions for safety and security of the country and its people in the event of a chemical warfare. I support the Bill.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Bill, the Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2012. At the outset, I welcome the Bill as it is a necessity. After signing the Chemicals Weapons Convention in 1993 and 1996, India became the 62nd country to ratify the Convention. Following that, between 2003 and 2009, India has destroyed all the chemical weapons. Thus, we have become the third nation to completely destroy all the chemical weapons. Albania and Korea are the other two nations in this category.

At this juncture, I would like to share with the hon. Members that as on date, 26,296 metric tonnes of declared chemical agents and 2.85 million declared containers have been destroyed the world over. As we all know, still, US and Russia have not fully destroyed their chemical weapons and have been given time till 2012 to complete this task. Thus, Russia has eliminated 62 per cent of its chemical weapons, the largest in the world, and the US has eliminated 90 per cent of its arsenal. Only our country is willfully adhering to the commitment given to the world body.

Sir, passing of this Bill is not enough. It is not an end. We have to bear in mind that India is a victim of terror attacks. As advocated by our hon. Prime Minister at the Nuclear Security Summit held in Washington in the year 2011, the nation and the international community have to be very cautious and take note of the dangers posed by the nuclear and chemical weapons falling into the hands of non-State actors, especially in the hands of terrorists posing danger to India and others.

Recently, our hon. Defence Minister hinted that militants and terrorists are being funded by the outfits based abroad. They should be prevented from getting such type of dangerous weapons from any corner. We must be very cautious. In conclusion, I welcome all the amendments and support the Bill in toto.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, रासायनिक आयुध अभिसमय विधेयक माननीय मंत्री जी लाए हैं। मंत्री जी ने दावा किया है कि वर्ष 1993 में पेरिस में सम्मेलन हुआ कि रासायनिक हथियारों को खत्म किया जाए और इसके लिए उसका उत्पादन, उसका संचरन आदि में कठोरता लाने के लिए कानून बनाया। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने यूएनओ में दावा किया कि भारत ने रासायनिक हथियार भंडार खत्म कर दिए हैं। जब रासायनिक हथियार भंडार खत्म किए, तो चाहे कठोर कानून बनाएं या हल्का कानून बनाएं, क्या फर्क पड़ता है। जब हमारा भंडार ही खत्म हो गए, तो कानून बनाने से क्या फायदा। यह रस्म अदायगी की जा रही है, चूंकि दुनिया के देश कह रहे हैं कि रासायनिक हथियार को खत्म किया जाए और जब भारत सरकार ने दुनिया के देशों के साथ दावा किया कि हमारे रासायनिक भंडार खत्म हो गए हैं और फैक्टरी भी खत्म हो गई, तो कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हाल ही में पाकिस्तान में तालिबानी लोगों ने एटमी हथियारों पर कब्जा करने के लिए हमला किया । इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने चिंता व्यक्त की कि आज दुनिया में सब जगह आतंकवादी लोग कब्जा कर लेंगे और दुनिया में अभी एक रासायनिक हथियार है और एक जैव हथियार है, दुनिया को नष्ट करने वाला केवल एटमिक वैपन ही नहीं है,...(व्यवधान) ठीक है, बाद में कंटीन्यू करेंगे।

15.30 hrs

MOTION RE: TWENTY-SEVENTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Private Members' Bill.

Shri Semmalai to move the motion.

SHRI S. SEMMALAI: I beg to move:

> "That this House do agree with the Twenty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House today, the 17 August, 2012"

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do agree with the Twenty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House today, the 17 August, 2012"

The motion was adopted.

15.31 hrs

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

(i) Setting up of a Central University in Motihari District of Bihar – Contd.

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up further discussion on the resolution moved by Shri Om Prakash Yadav. Shri Arjun Ram Meghwal.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति जी, इस पर काफी चर्चा हो गई है। आगे लिया जाने वाला रिजोल्यूशन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको ले लिया जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा लाये गये संकल्प कि ''मोतीहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुलना चाहिए'' इस विषय पर बोल रहा था और इसी को ही मैं कंटीन्यू करते हुए बात कह रहा हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय वहीं खुलना चाहिए। मोतीहारी उसके लिए बहुत उपयुक्त स्थान है औऱ मुझे सूचना भी मिली है कि मोतीहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। ओम प्रकाश जी अभी बैठे नहीं है, अगर ऐसा सही है तो यह सरकार का बहुत ही उचित निर्णय है। मैं यही कहना चाह रहा था कि किसी भी संस्थान को खोलने से पहले जो हमारा कांस्टीट्यूशनल मेनडेट है कि हम रीजनल इम्बैलेंस दूर करेंगे, पिछड़े स्थानों पर ऐसे संस्थान खोलेंगे जहां ज्यादा शोध हो सकता है और रिसर्च की सुविधा को हम ज्यादा बढ़ावा देंगे। इसी कड़ी में मैंने पिछली बार कहा था कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा जब होती है और उसके बाद फिर एक टीम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जाती है जो यह देखती है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए अमुक स्थान उपयुक्त है कि नहीं है। घोषणा भारत सरकार से होती है, लोकेशन तय करने का काम राज्य सरकार का होता है लेकिन राज्य सरकार जो प्रस्ताव केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में भारत सरकार के पास भेजती है तो भारत सरकार उसकी जांच के लिए भी एक कमेटी बनाकर भेजती है। जब वह कमेटी उस लोकेशन को चैक करने के लिए जाती है तो उस कमेटी में कई ऐसे लोग रहते हैं जो ग्रामीण जनता से जुड़े हुए नहीं रहते औऱ ऐसे लोग यह देखते हैं कि यह स्थान एयर रूट से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। इनको वहां ठहरने के लिए सुविधाएं है कि नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर वे उस स्थान को रिजेक्ट कर देते हैं। मोतीहारी में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए यह विषय आया और यहां पर चर्चा हुई और भारत सरकार ने मोतीहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपनी सहमति दे दी है, हम उसका स्वागत करते हैं जिसके लिए श्री ओम प्रकाश यादव जी संकल्प लाए थे।

इसी कड़ी में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिहार में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गये और जम्मू-कश्मीर में भी दो हो गये।

मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं और जब केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान को एलॉट हुआ तो बीकानेर सबसे उपयुक्त स्थान माना गया क्योंकि राजस्थान सरकार ने प्रोफेसर व्यास की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए बीकानेर सबसे उपयुक्त स्थान है लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो कमेटी गई, उसने कहा कि "Bikaner is not connected with the air facilities." ऐसा कहकर यह कह दिया गया कि बीकानेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं होगा और उसका स्थान चेंज करके अजमेर के पास किशनगढ़ ले गये। भौगोलिक रूप से यदि देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है। मेरा कहना है कि जब बिहार में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर में दो हो सकते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार, एचआरडी मिनिस्ट्री से मांग है कि राजस्थान में भी दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं और उसमें एक बीकानेर में स्थापित किया जाए। यही मेरी आपके माध्यम से मांग है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने राजस्थान में सैंट्रल यूनिवर्सिटी के संदर्भ में जो बातें कही हैं, मैं उससे सहमत हूं। राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। बिहार जैसे प्रदेश को केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगली पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में घोषणा की है, अगले पांच सालों में महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रावधान है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो पैमाना महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में रखा है, पिछड़े इलाके का पैमाना रखा है, उसमें राजस्थान आता है। मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि एक तरफ जहां पूरे देश में लिट्रेसी रेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बाड़मेर में घट रहा है, 2001 के सेंसिस में महिलाओं का लिट्रेसी रेट 43.35 था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह रेट पूरे देश में बढ़ा है लेकिन बाड़मेर में घटा है। 2011 में बाड़मेर जिले का लिट्रेसी रेट 41.03 थी। आज राजस्थान में विशेषकर महिला लिट्रेसी रेट लगभग अंतिम स्थान पर है। राजस्थान में महिला लिट्रेसी रेट 52.66 है जो इस देश के एवरेज लिट्रेसी रेट से काफी कम है। हम इस देश के विकास की बात तो कहते हैं लेकिन सबसे प्रमुख विकास का आधार शिक्षा का है। आज हम दो प्रकार का देश देख रहे हैं, एक पिछड़ा हुआ है और एक उन्नत है। इस तरह से देश में दो वर्ग बने हुए हैं। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी ने पिछले समय से यूपीए 1 और 2 में शिक्षा के माध्यम से इस देश में जो व्यवस्था की है, उसके काफी नतीजे आ रहे हैं। आज पिछड़े इलाकों के लोगों को अगर शिक्षा अच्छी गुणवत्ता की नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आज हम शिक्षा में सिर्फ नामांकन की बात कह रहे हैं। क्या सिर्फ नामांकन से ही आने वाले समय में युवा पीढ़ी का सृजन हो पाएगा? इन्हीं सब चुनौतियों के बीच पिछड़े इलाकों के लिए अगर शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता और उच्च शिक्षा मिलेगी तो आने वाले समय में हमारे विकास की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रावधान रखा गया है, पिछड़े इलाके का पैमाना रखा गया है, अगर बाड़मेर में इसे स्थापित करेंगे तो इस देश के विकास में पिछड़े इलाके के लोग योगदान कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यह रेगिस्तानी इलाका ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। 20 से 25 प्रतिशत ऑयल का घरेलू उत्पादन बाड़मेर जिले से होता है। यह पहलू बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां के युवाओं में स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि वे

काबिल हैं, उन्हें मौके की आवश्कता है और यह उच्च शिक्षा का मौका केंद्र सरकार व्यवस्था के माध्यम से दे सकती है।

जैसे हम लोग ऊर्जा में योगदान कर रहे हैं, सिर्फ ऑयल के माध्यम से ही नहीं, लिग्नाइट के माध्यम से पावर प्लान्ट के अंदर, सोलर के अंदर पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर सबसे अच्छी गुणवत्ता जो सोलर रेडियेशन की है, वह भी हमारे रेगिस्तानी इलाके में मेरे संसदीय क्षेत्र में है। आज विंड पावर के माध्यम से भी ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य में इस देश को सबसे अग्रणी रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसमें भी हम लोग योगदान कर रहे हैं। गैस के क्षेत्र में भी हम लोग योगदान कर रहे हैं। कोल बेस्ड मीथेन में भी हम लोग योगदान कर रहे हैं। जिस शैल गैस की चर्चा अभी हमारे देश में शुरू भी नहीं हुई है, आज अमरीका जैसा देश ऊर्जा के क्षेत्र में शैल गैस के माध्यम से आत्म निर्भर हुआ है। वह भी मेरे संसदीय क्षेत्र में है। आने वाले समय में हम इस देश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान करने के लिए तैयार हैं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हम लोगों को इस योग्य, इस काबिल बनाये कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी योगदान रहे, उसमें हम लोगों की भागीदारी रहे और वह भागीदारी सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही रह सकती है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम लोगों को अच्छी उच्च शिक्षा मिल सके और वह उच्च शिक्षा मिलने का माध्यम महिला केन्द्रीय विश्वविद्यालय है या श्री अर्जुन मेघवाल जी ने जो पैमाने पिछड़े हुए जिलों के संदर्भ में बताये हैं, क्योंकि पिछड़े हुए जिलों के संदर्भ में कोई भी पैमाना हो तो शायद बाड़मेर और जैसलमेर से पिछड़ा हुआ जिला पूरे देश में कोई नहीं है।

15.42 hrs (Shri Basu Deb Acharia *in the Chair*)

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आज हम सिर्फ देश में नक्सल अफैक्टिड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदिवासी इलाकों की चर्चा करते हैं। परंतु मैं आपको बाड़मेर जिले का उदाहरण देना चाहता हूं कि लगभग छः प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब्स हम लोगों के यहां रहते हैं। आज उन लोगों की शिक्षा की क्या स्थिति है, शायद देश में सबसे बदतर आदिवासियों की शिक्षा की स्थिति यहां होगी। छः प्रतिशत जनसंख्या में उनकी जिले में भागीदारी है और उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की शिक्षा का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने के लिए जहां उनकी छः प्रतिशत जनसंख्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सिर्फ 33 बालिकाएं ही पूरे जिले में हैं। मैं ये आंकड़े अपनी स्थिति को सिर्फ सेंसलाइज करने के लिए नहीं बता रहा हूं। परंतु हमारी धरातल की स्थिति यह है। आज सरकार, मीडिया और बाकी लोगों की नजरें उस स्थान पर पड़ती हैं, जहां पर कहीं न कहीं अशान्ति है। हम लोगों के यहां शांति है। हम लोगों की जो पृष्ठभूमि रही है, हम लोगों का जो आचरण रहा है, वह बड़ा शांत आचरण रहा है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनम्र निवेदन

करना चाहता हूं कि आज हम देश के लिए बार्ड़र पर हैं। चाहे इस देश की रक्षा के संदर्भ में हमारा रेगिस्तानी इलाका है और इलाके में परिवर्तन हो रहा है, औद्योगिक परिवर्तन भी हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में भी हम लोगों के यहां आईजीएनपी और नर्मदा माध्यम से कैनाल की व्यवस्था है। मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो प्रथम स्प्रिंकलर के माध्यम से कृषि में नहरी क्षेत्र में व्यवस्था हुई है, वह भी मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र में ही हो रही है। प्रथम बार एक मेजर स्कीम को किसानों तक पहुंचाने के लिए मैनडेटरी तौर पर स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से जो व्यवस्था नर्मदा कैनाल पर हो रही है, वह मेरे क्षेत्र बाड़मेर में रोडामालानी और चौटन तहसील में हो रही है और लगभग 58 हजार हैक्टेअर में हो रही है। आज इस परिवर्तित परिस्थितियों के अंदर हमारे युवा विकास में भागीदार शिक्षा के माध्यम से ही बन सकते हैं और आज देश के अंदर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि हमें लोगों के नामांकन बढ़ाने चाहिए। उस संदर्भ में भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नामांकन बढ़ाने से हम जो आने वाले समय में हमारे युवाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो लक्ष्य रखना चाहते हैं, वह हम नहीं कर पायेंगे। जब तक गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोगों की भागीदारी निश्चित नहीं कर पायेंगे। हमारी उच्च शिक्षा की जो नीति रहनी चाहिए, वह इस आधार पर रहनी चाहिए कि हम ऐसा स्किल डैवलपमैन्ट करें, जिससे उनके रोजगार का सृजन हो सके, वे सिर्फ डिग्री लेने में नहीं कर सकें।देश के अंदर जो भी ग्रेजुएट्स हैं, आज उनको कहीं डायरेक्ट एंप्लायमेंट मिल रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि सिर्फ 10 प्रतिशत ग्रेजुएट्स को यह डायरेक्ट एंप्लॉयमेंट मिल रहा है। हम लोगों के सामने यह चुनौती है कि हम लोग कैसे, उस सिक्षा के अंदर जो ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन लोगों को रोजगार के सृजन से जोड़ें और मार्केट अंदर जो डिमांड है, आज मार्केट के अंदर जिस प्रकार के रोज़गार की डिमांड है, हम लोग वैसे करिकुलम सेट करें।

मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार पिछले दिनों में उच्च शिक्षा के अंदर जो बिल ले कर आई है, भविष्य के अंदर उन बिल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, उनको बहुत बड़ा योगदान करने का अवसर मिलेगा। मैं एक्रिडेशन बिल की बात करना चाहता हूँ। आज एक्रिडेशन बिल के बारे में पूरे देश में बहुत चर्चा है। एक्रिडेशन करने से किसको सबसे ज्यादा फ़ायदा मिलेगा? किसको सबसे ज्यादा मज़बूती मिलेगी? जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाला विद्यार्थी है, किसान और मज़दूर के परिवार से आने वाला जो आदमी है, उस व्यक्ति को मैंडेटरी एक्रिडेशन से सबसे ज्यादा फ़ायदा मिलेगा। केंद्र सरकार इस प्रकार के जो बिल ले कर आ रही है, मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बिल ला कर हम लोग इस देश को शिक्षा के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग जब देश के अंदर उच्च शिक्षा की सीटों के संदर्भ में बात करते हैं, आज लगभग हमारे देश के अंदर, उच्च शिक्षा के अंदर जो व्यवस्था है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का योगदान बहुत कम है। ऐसे बिल ला कर, उच्च शिक्षा

के माध्यम स ऐसे अवसर प्रदान कर के, जिससे ग्रामीण परिवेश के लोगों की भागीदारी हो सके। विशेषकर उन पिछड़े लोगों, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी हो सके। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ।

मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जब महिला सेंट्रल विश्वविद्यालय के जो फैसले होंगे, तो ये फैसले होने के वक्त बाढ़मेर, राजस्थान के अंदर भी उसको ध्यान में रखें। जो सब क्राइटेरिया हैं, मुझ से पूर्व वक्ता अर्जुन मेघवाल जी ने भी राजस्थान के संदर्भ में जो बताए और जो दलील दी हैं, वह दलील और वह पैमाना अगर नज़र रखें तो हमारे साथ न्याय होगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मैं इस विषय पर बोलने के लिए इसलिए उत्सुक हो गया क्योंकि मैंने इसी सदन में एक सवाल किया था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। सरकार ने उत्तर दिया कि मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का प्राइवेट मेंबर्स बिल है, हम उसके खिलाफ करने जा रहे हैं और पटना यूनिविर्सिटी की मांग राज्य सरकार ने नहीं की है। इस तरह का उत्तर आया। महोदय, लेकिन अब तो गजब हो गया। सरकार ने एलान किया मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। केवल मोतिहारी में नहीं होगी, गया में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी।

महोदय, ऐसा क्यों हुआ? पटना यूनिवर्सिटी की मांग पुरानी है। सन् 1987 से सन् 2005 तक बार-बार वहां की राज्य सरकार ने, वहां के राज्यपाल ने, वाइस चांसलर ने, मंत्री को, सचिव स्तर पर और फिर प्रधानमंत्री जी को डॉ. सिमांतरी, वाइस चांसलर ने लिखा-पढ़ी की कि पटना यूनिवर्सिटी देश की सातवीं पुरानी यूनिवर्सिटी है।

15.49 hrs (Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

यह नामी विश्वविद्यालय है। इसकी बराबरी दुनिया की विकसित यूनिवर्सिटीज़ से की जा रही है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का कंवर्जन अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है। इलाहबाद यूनिवर्सिटी को सेंटल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक साथ प्रस्ताव हुआ था। वहां उत्तर प्रदेश से मांग हो रही थी कि इलाहबाद को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। यहां से मांग हो रही थी पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल बनाया जाए। मैं नहीं जानता कि क्या कारण है, क्या वजह है कि इलाहबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई और पटना यूनिवर्सिटी अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हुई है। हमको आश्चर्य हुआ जब उत्तर मिला कि राज्य सरकार ने मांग नहीं की है। ठीक बात है कि वर्तमान की राज्य सरकार ने सात वर्षों से यह मांग नहीं की है। लेकिन हमने मुख्य मंत्री को लिखा है। उन्होंने भी अखबार में मांग की है। जसवंत सिन्हा जी कल ही वहां से भाषण कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो।

महोदय, इसकी कहानी है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट एक विधेयक लायी कि हम देश में 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनायेंगे और उसमें बिहार में भी एक यूनिवर्सिटी हम देंगे। तब पटना के बारे में दो-तीन वर्षों से चल रहा था, राज्य सरकार ने कहा है कि इसको मोतिहारी में किया जाए। भारत सरकार ने जांच कमेटी बैठा दी, उसने कहा कि वहां की जमीन उचित नहीं है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि वर्ल्ड वार टू के समय में तीन हजार एकड़ जमीन हवाई अड्डे के लिए गया में एक्वायर की गयी थी। वह जमीन डिफेंस के अधीन है। डिफेंस मिनिस्ट्री से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मांग की कि हमें जमीन दी जाए और डिफेंस मिनिस्ट्री ने दे दिया कि वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। भारत सरकार की जमीन है और भारत सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने को उत्सुक है, हमने उसका स्वागत किया। राज्य

सरकार कह रही है कि मोतिहारी में हो तो उसके बारे में भी हमने कहा कि राज्य सरकार जहां कह रही है, वहां भी खुले और गया में भी खुले, उसके लिए हमने यात्रा की और आंदोलन की शुरूआत कर दी।

यह अच्छा हुआ कि अभी पहले भारत सरकार के मंत्री ने ऐलान किया कि मोतिहारी में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी और गया में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। पटना यूनिवर्सिटी की मांग पुरानी है, वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हुयी? यह मैं जानना चाहता हूं, नहीं तो लड़ाई और युद्ध के लिए तैयार रहें, हम लोग फिर से यात्रा पर जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि अर्जुन सिंह जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, वे मंत्री थे, तो उसे करा लिया। अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का कन्वर्जन हुआ। जब सागर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गयी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गयी, तो पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हुयी? हम इसका जवाब चाहते हैं। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): क्या आपको इलाहाबाद से कोई ऐतराज है?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम इलाहाबाद का स्वागत करते हैं, लेकिन पटना छूट गया है, तो यूनिवर्सिटी से आपको क्या ऐतराज है? आप भी पटना का समर्थन कीजिये, इलाहाबाद हुआ तो पटना का भी आप समर्थन करिए।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आपको एक से दो यूनिवर्सिटीज मिल गयीं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमें चार मिलनी चाहिए।...(व्यवधान) इसलिए कि देश भर में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। हम 12वां हिस्सा हैं, बिहार के हिस्से में चार आती हैं, अभी तो दो ही हैं, तीसरी वहां पटना यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 11वीं योजना तक चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। 12वीं योजना में नयी योजना बनायी जा रही है। 12वीं योजना की अभी रूपरेखा तय नहीं हुई है, इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि 12वीं योजना में ऐसा प्रावधान हो कि बिहार में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हुई हैं, दो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वहां होनी चाहिए। यह सरकार की पॉलिसी के अनुकूल है। सरकार की पॉलिसी है, पिछड़ा क्षेत्र है, उपेक्षित क्षेत्र है, जो राज्य छूट गया है, उसे दीजिये। पांच लाख की आबादी, दस लाख की आबादी पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ-ईस्ट हमारा पिछड़ा इलाका है, सबको एक-एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बिहार उसी के पास है, लेकिन वह पीछे छूट गया है। वहां पढ़ाई का बुरा हाल है, वहां चौपट स्थिति है। प्राइमरी एजुकेशन, हॉयर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा सभी में बुरा हाल है। आधे-अधूरे शिक्षक हैं, कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। पटना यूनिवर्सिटी, जहां की मैं बात कर रहा हूं, वहां 48 फीसदी शिक्षक हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 64 फीसदी शिक्षक हैं ही नहीं,

वहां क्या पढ़ाई होगी? विश्वविद्यालय के विभागों में शिक्षक ही नहीं हैं, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं, फिजिक्स के शिक्षक नहीं, केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं, तब पढ़ाई क्या होगी?

महोदय, वहां पढ़ाई चौपट हो रही है। हरीश चौधरी जी कह रहे थे कि सुधार हो रहा है, हमारा बिल आ रहा है, एक और बिल निकल रहा है आपका,...(व्यवधान) नहीं, कोई सुधार नहीं है, सुधार का लक्षण भी नहीं है। एक्रीडेशन बना रहे हैं, वहां लड़के कहां नाम लिखायेंगे, जब है ही नहीं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिये, शत-प्रतिशत नम्बर हैं तो दाखिला होगा, 99 परसेंट नम्बर वाले का दाखिला ही नहीं होगा, बेचारा परेशान हो रहा है।

महोदय, पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं है। महोदय, हमारे यहां के बारे में आप तो सब जानते हैं।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, यह जो गैर-सरकारी संकल्प था, यह मोतिहारी जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर था।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, वह हो गया, उसी पर मैं उत्साहपूर्वक बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : वह तो अब हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: ऐलान हुआ है, अभी माननीय मंत्री जी पुष्टि कर दें, यहां सदन में हो जायेगा तो और पुष्ट हो जायेगा। अखबार में तो हो गया है। इसलिए वह हो गया है, लेकिन जो नहीं हुआ है, वह ज्यादा दुखदायी है। पटना यूनिवर्सिटी का और सभी यूनिवर्सिटीज़ का भी होना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: One bird in the hand is better than two in the bush.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: चार हमारे हिस्से में आते हैं। दो हुए हैं तथा दो और होने चाहिए। मुंगेर की कमिश्नरी है उसमें यूनिवर्सिटी ही नहीं है। फिर सभी कमिश्नरी में यूनिवर्सिटी हैं लेकिन पूर्णिया कमिश्नरी में यूनिवर्सिटी नहीं है। वहाँ दो कमिश्नरियाँ हैं जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं हैं। महोदय, एक कागज़ आज हमें मिला है। वहाँ त्रिदण्डी स्वामी बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे। उनके शिष्य जी.आर.स्वामी हैं। उनके शिष्यों ने कहा है कि 500 एकड़ ज़मीन शाहाबाद इलाके में, बक्सर में, जो एतिहासिक जगह है, जहाँ विश्वामित्र का आश्रम है और गंगा जी का किनारा है, और वहाँ बाबू कुँवर सिंह जी का और बाबू जगजीवन राम का इलाका है। डॉ. राम ईश्वर सिंह और एक से एक महारथी लोग वहाँ हुए हैं। उसमें 500 एकड़ जमीन मुफ्त में मिल रही है, वहाँ के भक्त लोग दे रहे हैं कि त्रिदंडी स्वामी जो पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा थे, उनके नाम पर एक सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी हो, यह मांग मैं कर रहा हूँ। संयोग से आप आसन पर हैं। हम समझते हैं कि हमारे यहाँ चतरा में बना हुआ है। आप आसन पर हैं इसलिए हम मांग करते हैं कि त्रिदंडी स्वामी का भी शाहाबाद इलाके में चूँकि ज़मीन मुफ्त में मिल रही है इसलिए वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी हो।

श्री हरीश चौधरी: 5000 एकड़ हम देने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपका तो मरुभूमि का इलाका है, वहाँ आप कितना भी दीजिए। ...(व्यवधान) आप महिला वाले की मांग कर रहे हैं तो हम सपोर्ट करते हैं।

वहाँ पटना यूनिवर्सिटी वाला एक सवाल, मुंगेर कमिश्नरी में, पूर्णिया कमिश्नरी में और त्रिदंडी स्वामी के शाहाबाद इलाके में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों सरकारों से हमारी मांग है कि वहाँ पढ़ाई के पिछड़ेपन को देखते हुए उच्चतर शिक्षा हो। वहाँ की मिट्टी में मेधा है। आर्यभट्ट और एक से एक विद्वान वहाँ हुए। वहाँ वाल्मीकि ऋषि हुए, विश्वामित्र ऋषि हुए, याज्ञवल्क्य ऋषि हुए। मिथिला इलाके में एक विद्वान वाचस्पति मिश्र थे। उनकी पत्नी दीप में तेल डाल रही थीं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में, बुढ़ापे में अपनी पत्नी से कहा - देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा - महाराज, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। आपकी पूजा और आपका जो अनुसंधान है जिससे आप ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस पर मैं रात दिन आपकी सहायता करती हूँ। वे इतना ध्यान में लीन थे कि अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पाए। अंत में वाचस्पति मिश्र ने अपनी पत्नी के नाम पर एक किताब का नाम *भामती* रखा जो ब्रह्मज्ञान की किताब है, जो शंकराचार्य की ऊँचाई का दर्शनशास्त्र है, उस किताब का नाम उन्होंने *भामती* रख दिया। वहाँ एक से एक दार्शनिक वहाँ पर हुए हैं। उसी तरह से भास्कराचार्य थे, अपनी लड़की लीलावती के नाम पर उन्होंने मैथमैटिक्स की किताब का नाम रखा। ज्योतिष शास्त्र में यह लिखा था कि उस लड़की की शादी यदि इस मुहूर्त में होगी तो वह विधवा हो जाएगी। फिर एक मुहूर्त निकाला गया कि इसमें शादी हो तो वह विधवा

नहीं होगी। एक कटोरी में एक छेद कर दिया और उसमें पानी रखा और कहा कि जब कटोरी का पानी खत्म हो जाएगा तो वही शुभ मुहूर्त है। उनकी पुत्री लीलावती पानी देखने लगी लेकिन उसके एक आभूषण का पत्र उस कटोरी में गिर गया जिससे कटोरी का छेद बंद हो गया। इससे शुभ मुहूर्त कट गया और उसकी शादी ऐसे मुहूर्त में हुई कि अंत में वह विधवा हो गई। उस गणितज्ञ ने अपनी मैथमैटिक्स की किताब का नाम *लीलावती* रख दिया। दर्शन की किताब का नाम है *भामती।* एक से एक दर्शन के गूढ़ विषय छिपे हुए हैं।

सभापति जी, आप जानते है कि वहाँ विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हुए। इन सभी का पुराना इतिहास है कि वहाँ एक से एक ज्ञानी लोग थे। भगवान बुद्ध के अनुयायी एक विद्वान जो तक्षशिला से पढ़कर आए जहाँ चाणक्य अध्ययन कर रहे थे, उनको गुरू ने कहा कि ऐसा कोई पदार्थ खोज लाओ जिसमें कोई गुण नहीं है। और शिष्य तो कुछ-कुछ ले आए।...(व्यवधान)

16.00 hrs

शिष्य लोग कुछ-कुछ ले आए।

सभापति महोदय : मैं आपके बोलने से इसलिए घबरा रहा हूं क्योंकि हुक्मदेव यादव जी सुन रहे हैं और आपको हर एक का जवाब भी सुनना पड़ेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हम यूनीवर्सिटी का सवाल उठा रहे हैं और उसका जवाब देंगे तो हम को खुशी होगी। इसलिए पटना यूनीवर्सिटी के लिए राज्य सरकार जमीन दे हम मांग करते हैं। इन्होंने एक बार भी मांग नहीं की है। यशवंत सिन्हा जी ने मांग की है। मुंगेर, पूर्णिया में यूनीवर्सिटी हो और त्रिदण्डी स्वामी की यूनीवर्सिटी हो। इन सब के लिए बारहवीं योजना में प्रावधान किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है।

मान्यवर, जब हम आजाद हुए तो 34 करोड़ देश की आबादी थी और आज देश की आबादी एक अरब तीस करोड़ है। तेरह वर्ष आयु वर्ग से ले कर पच्चीस वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की तादाद देश में 54 करोड़ के करीब है। मैं समझता हूं कि देश का बीस वर्ष आयु वर्ग से पैंतीस वर्ष आयु वर्ग का नौजवान शिक्षा चाहता है। लेकिन मैं कैसे कहूं कि हम अपने देश के नौजवानों को उच्च शिक्षा के संसाधन नहीं दे पा रहे हैं। मोतीहारी में विश्वविद्यालय की मांग हमारे साथी ने की है। महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार का जनसंख्या घनत्व इतना है कि जो युवा वर्ग की आबादी काफी संख्या में वहां से निकल रही है, क्योंकि वहां के विश्वविद्यालयों में उनका एडमिशन नहीं होता है। यह सौभाग्य है कि आज तकनीकी शिक्षा की तरफ हमारे देश का नौजवान बढ़ रहा है और तकनीकी शिक्षा की तरफ इंजीनियरिंग कालेजों में काफी कंवर्ट हुआ है। चाहे आप पुराने समय का उदाहरण लें, जैसे रघुवंश बाबू ने नालंदा और तक्षशिला यूनीवर्सिटी की बात कही और हमारे स्वतंत्रा संग्राम सैनानियों ने बहुत प्रयास किया तो इलाहाबाद और बीएचयू यूनीवर्सिटी बनी। फिर कुछ साथियों ने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनीवर्सिटी भी बनाई। यूपी और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, मैं कह सकता हूं कि वहां निश्चित तौर पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए विद्यालय नहीं है। यह बात केवल विश्वविद्यालयों की बात नहीं है, बल्कि प्राइमरी स्तर पर भी है, जूनियर स्तर पर भी है, इंटर मीडिएट स्तर पर भी है और उच्च शिक्षा में भी है। आज यह ट्रेजडी बन गई है कि जो बहुत तेज लड़का है, उसी का एडमिशन होगा। क्या इसके लिए छात्र जिम्मेदार हैं। तेज बच्चे का तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसका कहीं एडमिशन नहीं होगा। उसका इंटर पास होना मुश्किल हो जाता है। आज दो कारणों से उसकी शिक्षा रुक रही है।

सभापति महोदय : राजभर जी, हो सकता है कि वह विद्यार्थी इम्तिहान के समय बीमार पड़ गया हो। अगर मार्क्स कम आते हैं, तो विद्यार्थी का कोई भविष्य नहीं है।

श्री रमाशंकर राजभर: सभापति महोदय, यह बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या तेज को ही आगे बढ़ाना है? जिन बच्चों के अंक कम आए, जो बच्चे परीक्षा के समय बीमार पड़ गए और उनके कम अंक आए, तो क्या उन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। माता-पिता और बच्चे का आज इंटरव्यू लिया जा रहा है, तब प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो रहा है। यही हाल जूनियर और इंटरमीडिएट कालेज की स्थिति है। जबकि तेज बच्चे का एडमिशन हो गया। क्या इसमें बच्चों का दोष है? महोदय, हम लोग भी कभी बच्चे थे। जो

बच्चा कमजोर होता था, उसे पढ़ाने वाले गुरुजन कहा करते थे कि स्कूल के बाद शाम को दीये और तेल ले कर आना, मैं रात को तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि तब बिजली नहीं होती थी।

खैर, उधर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन, भाई ओम प्रकाश यादव जो बिल लाये हैं, इस संबंध में मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि बलिया, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोपालगंज, सीवान, बक्सर - ये ऐसे इलाके हैं जहां विद्यालय के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस पर बल देते हुए मैं यह कहूंगा कि शिक्षा ही हर चीज़ की दवा है। जहां शिक्षा पहुंची, वहीं लक्ष्मी भी पहुंचीं, वहीं अंधविश्वास भी मिटा, वहीं गरीबी भी मिटी। अगर हम अपने देश के नौजवानों को शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय नहीं दे पाते हैं तो हम अपने देश के नौजवानों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो भी कार्य योजना बने, उनमें निश्चित तौर पर हम अपने देश के नौजवानों को यह गारंटी दें कि चाहे जिस तरह के विद्यालय में वह दाखिला चाहता है, उसका एडमिशन जरूर होगा। महोदय, यह जो मोतिहारी से संबंधित बिल आया है, यह मोतिहारी, बिहार का इलाका मेरे बगल में ही बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां पर एक से एक हस्ती पैदा हुई हैं। अभी जैसी चर्चा हुई कि मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत हुआ, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि ऐसे पिछड़े इलाके केवल मोतिहारी में ही नहीं, पूरे देश में हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आज हर कमिश्नरी की आबादी और जनसंख्या घनत्व इतना हो गया है कि वहां एक विश्वविद्यालय में पढ़ने लायक बच्चे मिल जाएंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you that you have allowed me to participate in this august Bill relating to universities. लेकिन जहां यूनिवर्सिटी नहीं है, उस राज्य में आप यूनिवर्सिटी प्रोमोट नहीं कर रहे हैं। For example, Odisha needs 30 universities according to UGC norms but presently, we have only 15 universities. I am grateful to the Government on one point. After repeated requests by our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik to the Central Minister - and I myself also participated in the august debate to sanction one Central University - you have sanctioned it. You did it and it has already started functioning in the tribal areas of Koraput according to my demand. But according to the population, we need another Central University immediately in my constituency which is the capital of Odisha. Odisha has four crores of population and there are backward districts like KBK and people there are living below poverty line. Though we have been trying for it, crossing all barriers, presently, one Dr. Achyuta Samanta, the founder father of KISS is doing great service. In this august campus, hon. Prime Minister, hon. President and Vice President and most of the Cabinet Ministers had participated in many conferences. Recently, we heard that in the Science Congress in our country, not only the Prime Minister participated and but also other educationists of the world were there. So, our Government is protecting and promoting Dr. Achyuta Samanta. Our State Government and Central Government are cooperating with him. So, in a private sector, when a person who is the youngest Chancellor by age could do such ventures, why cannot the Government do it? You may find that even the Government is not able to feed 16,000 adivasis who are downtrodden and proletariat, whereas he is not only feeding and sheltering them but also providing finance to them. उनके शेल्टर के लिए घर, खाने के लिए, पहनने के लिए पोशाक दे रहे हैं। The Government has failed to provide shelter to the 16,000 downtrodden advasis whereas the great Dr. Achyuta Samanta is regularly feeding, protecting and financing them. So, when people in the private sector could do such august

endeavours and ventures, why not the Government sanction more universities to Odisha? The Government should also help Dr. Achyuta Samanta.

बिहार में यूनिवर्सिटी बनाने का जो बिल आपने पेश किया है। I agree that there should be another university in Bihar but at the same time, it should be there in Odisha and Jharkhand also. So, let us promote universities and let us promote education.

"रीचोखरे परमोब्योमन, जस्मिन देवाधी विश्वे निषेदु।" The knowledge is structured in the consciousness. Within that state of consciousness the impulse of creative intelligence may reside, where thinking is transcendented and mind may come in contact with pure thought. The university may lead towards that purity, the clarity, the chastity, that knowledge which is infinity and unbounded. That coherence should be synchronised within us in this august House to promote education.

We unanimously desire there should be more universities not only in Odisha or Bihar but also in other States to promote education.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Mr. Chairman, thank you. At the onset I would like to thank my hon. colleagues, 17 in number, who have participated very productively in the discussion that has been brought forward in the form of a Resolution. Shri Om Prakash Yadav is the mover of the Resolution. He has been supported by Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Shri Shailendra Kumar, Shri Vijay Bahadur Singh, Shrimati Meena Singh, Shri Mahabal Mishra, Dr. Bhola Singh, Shri Jagdanand Singh, Shri Satpal Maharaj, Shrimati Rama Devi, Shri Bwiswmuthiary, Shri Meghwal, Shri Harish Choudhary, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Ramashankar, and Shri Patasani. So, I would first start with thanking all of them for their very useful participation in the deliberations that have been happening in the House.

The issue is about establishment of a Central University in the State of Bihar, in Motihari. This has been under discussion and debate for quite some time. In the garb of discussion, various aspects and facets of the education sector in our country have been touched upon by the hon. Members. The concerns that have been raised are largely to do with the accessibility of quality education, the regional disparity that exists in the country, the quality of higher education which has been given to our children in our country, the faculty shortage and so on. These have been the concerns that have been raised by the hon. Members in the House.

The three corner stones of the education sector in our country, as my hon. colleagues are well aware, have always been the accessibility, quality, and equity. We have never lost focus of these three very important areas.

Talking about accessibility, according to the 2001 census, the Gross Enrolment Ratio in our higher educational institutions was around a little over 12 per cent. But today, according to the statistics available with the Ministry of

Human Resource Development, the Government of India, the Gross Enrolment Ratio has increased to close to 18 per cent. So, we did improve from 2001 till date when it comes to the Gross Enrolment Ratio.

I am sure my hon. colleagues will admit and appreciate that this is due to the various interventions which the Government of India has actually undertaken. If you look at the Eleventh Plan period which started in 2007 and ends with 2012, our allocation for education has been increased enormously. Rightly the Eleventh Plan period has always been referred to as the 'Education Plan' because the allocation for education in the Eleventh Plan period is around 19 per cent of the Gross Budgetary Support. I am sure never in the history of education in our country has such high allocation been set aside. So, this definitely speaks of the commitment of the UPA Government to ensure that quality education is provided to every child, probably residing in the remotest areas of the country or even belonging to the most disadvantaged areas of the country. We stand committed to ensuring that we provide quality education to every child in our country. Hon. Members have spoken about the various aspects as I had mentioned earlier.

The most important aspect is the regional disparity. We know for sure that some regions in our country have a high number of institutions which actually improves the accessibility to quality education for our children. Some regions in our country do not have the number of institutions required to actually cater to the children living in those areas. Particularly Sir, if you look at the North, South and the Southern India, the private sector had stepped in very, very pro-actively very early. They actually supplemented the efforts of the Government, more particularly in technical education in increasing the number of institutions so that the children in South India had greater access to higher technical education. The private sector was definitely a little delayed in stepping into supplement the efforts of the Government. So, this definitely brought in a lot of a regional disparity. Also when we look at the establishment of the Central Universities in our country, it was noticed that there was a regional disparity and not that every State had a

Central University. So, with the commencement of the 11th Plan period, the decision was consciously taken that 30 Central Universities would be established in the country; 16 Central Universities would be established in such States which did not have the Central University.

Sir, I am sure, everybody will agree with me that Central Universities are established in States so that these would actually be pace-setters for universities within the area. It has been widely acknowledged that quality education in the Central Universities is definitely superior and, therefore, these Central Universities are expected to be the examples for State Universities to follow and to emulate. So, it was a conscious decision that every State that did not have a Central University would have a Central University. It was under that context that Bihar was also identified as one of the States which would definitely need to have a Central University.

Sir, the quality of education has also been a great concern for all of us, even as we, the policy makers, and I am sure for the hon. Members of the Parliament as well. Quality definitely was and remains to be a great concern for all of us.

Sir, there was one hon. Member who spoke of the Mandatory Accreditation Bill. The reason for actually bringing in the Mandatory Accreditation Bill is to ensure that institutions in our country are accredited. Today, when we look at the number of universities and institutions that we have in our country, we have a little over 600 universities and 31,000 plus institutions in our country. But when we look at the accreditation aspect of it; a very few around, 200 plus universities have been accredited and a meagre 6,000 plus institutions have been accredited. The reason why we have been emphasising on mandatory accreditation is to ensure that the required infrastructure is in place which is essential to impart quality education to our children and also to ensure that the programmes that are being given to our children are accredited and qualitative programmes are actually given to our children, so that they would have better prospects in their future lives. So, I hope the hon. House actually would support us in the endeavour that we are doing

and would appreciate while we are bringing in the Mandatory Accreditation Bill and support us in our endeavour. I am sure we will be able to ensure that the quality education is given to every child in our country.

Sir, there are two streams of universities which are established in our country. One steam of universities that are established through legislation passed in the Parliament. They would be the Central Universities and the State Universities are such Universities which are established through a State Legislature.

Sir, there have been concerns raised by some hon. Members that the State Universities have not been receiving the right kind of support which is essential to ensure that their infrastructure is in place and they would impart quality education through the infrastructure. We have always dreamt of setting aside six per cent of our GDP as public allocation to the education sector in our country. This has remained the dream until date because today, the allocations that we have made for education is close to 3.8 per cent. When we talk of public expenditure and we talk of six per cent of the GDP as an allocation for education, we must not forget that public expenditure would include expenditure not only by the Government of India but also by the State Governments as well. When we see that the Government of India has been consciously increasing its own allocations for education, we would only pray and appeal that the State Governments as well support the State Universities that they have established through the State Legislations. If it is done, they would be in a position to impart quality education to the children belonging to those very States and thereby ensuring that we have productive partners in India's growth and development. Therefore, it is very important that the State Governments must realise and increase their own allocations for their Universities even as we are trying to support the State Institutions and Universities. Through the UGC, we have always been trying to provide development funds to the Universities and these would be the Universities which are recognised under Section 12 (b) of the UGC Act which means that the

Universities have achieved certain levels of infrastructure which is very important and essential to avail of the development fund which the UGC tries to extend to these Universities. But, unfortunately, in the past few months, we have realised that not all the institutions are able to reach the standards of being able to be recognised as an Institution or University under Section 12 (b). So, this is mainly because the State Governments have not been able to support their own State Universities. It is, I think, a matter of grave concern for all of us and I feel the State Governments would definitely need to look into this aspect.

Speaking of the Central Universities, there is always this debate as to why the Central Universities are not actually established in areas which are very backward, which, probably do not have connectivity and so on. This has been one of the allegations against the Ministry of Human Resource Development, Government of India that we have been ignoring such areas. Let me apprise this august House that we did establish Universities in very backward areas, more particularly in Koraput which is a very backward area, naxal-affected area. Our intention is in case the Central University is established in such an areas, then, definitely it would lead to the development of the area around it. But, unfortunately, our own experience has proven otherwise. It has not been as encouraging as we expected it to be. When we look at the vacancies in posts – Dr. Pattasani has just mentioned the vacancies that lie in the faculty - like in the Universities, we are very much disappointed. We have the Central University of Odisha, etc.… (*Interruptions*) There are the Universities established in the backward areas in Kerala, Tamil Nadu and Odisha. When you look at Kerala, there is a 94.29 percent faculty vacancy that exists in Kerala where we have established a Central University in a backward area. When we look at Odisha, it has about 90 per cent faculty shortage in the Central University in Odisha. Similarly, in Tamil Nadu, we have a 92.14 per cent faculty shortage. So, in all these three Universities which have been established in the backward areas, there is faculty vacancy. This only implies that the faculty is not very much willing to

go to these backward areas because the social infrastructure which is very essential and required for their family is not available there.

MR. CHAIRMAN: Madam, have you gone through the solution of this problem why the faculty is not going there?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: That is the reason why we have always insisted that the Central Universities must not be in very backward areas but at least close to the urban conglomerates so that they would have access to all the social infrastructure that is required.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: रीजनल इंबैलेंस को कैसे दूर करेंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे करेंगे?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Under the Government of India, there are various other programmes and interventions that we are making to actually address this problem. I am sure, the hon. Members are aware of the 374 backward districts where we intend to establish model colleges which would actually make education accessible to the children. So, the Central University is not the only intervention that we are doing but there are very many other interventions that we are doing. For example, in the school education area, we have model schools where we are looking at the educationally backward blocks for the 374 colleges. So, these are the various interventions that we are making.

May I also take this opportunity to reiterate the increase in the gross enrollment ratio in higher education? I think we proudly feel this because of the pro-active intervention that the Ministry of Human Resource Development has been doing in the area of ensuring that education is made accessible to the children.

Before I come to Motihari, I think I should address the question raised by Dr. Raghuvansh Prasad Singh when he spoke of the Patna University. At the commencement of the Eleventh Plan Period, the Ministry of Human Resource Development had written to various State Governments to give us or avail of the land for the establishment of Central Universities.

At the commencement of the 11th Plan period, a letter was also written to the Government of Bihar. But, unfortunately, the Government of Bihar never

brought forward the proposal of converting the Patna University to a Central University. So, that was the reason why we thought that we would establish a Central University and the State Government felt that Motihari, of course, would be the right place to establish the Central University.

Sir, there were also questions raised as to whether the Central Universities are actually set up according to the population of the States. If we look at Bihar, approximately the population of Bihar is 10,38,04,637 and when you look at two Central Universities, then the population ratio to a university is around 5.10 crore per university. There are States which are in a worse situation than Bihar. For example, if you look at Tamil Nadu, they have a population of 7.21 crore plus there and you have only one Central University there which means that one Central University has to cater to the needs of about 7 crore population.

So, it is not as if we are neglecting the States. But the resources that are required to establish a Central University is very large. I am sure my colleagues will agree with me that to establish one Central University we would require hundreds of crores of rupees and, therefore, probably the Central Government may not be in a position to establish a Central University in every State, in every backward area. However, our endeavour has always been to address the regional imbalance that exists and that is the reason why the Central Universities that were proposed in the 11th Plan period were though of being established in such States which did not have Central Universities so that it would make accessibility of higher education to children a lot more easier there.

Sir, I would now come to the reasons as to why not Motihari earlier and why Motihari now. Initially, when we intended to establish a Central University in Bihar and when we had written to the Government of Bihar, we did receive a reply from them suggesting that Motihari would be the right place to establish a Central University. But when the Committee went and inspected the site that was provided to the Government of India to establish a Central University, it was found to be water-logged, low lying and away from the National Highway which is why the Committee first turned down the request of establishing the Central University at the site that was actually provided to us initially.

MR. CHAIRMAN: Madam, I would like to know whether the mandate was to seek the opinion of the State Government or everything would be finalized by the Committee.

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, when the Committee goes to inspect the site, a representative of the State Government is also there in the Committee.

MR. CHAIRMAN: Then, what is the value of the opinion given by the State Government? Suppose the Committee rejects, then what is the use of taking the opinion of the State Government?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, we write back to the State Government and tell them that this site is not convenient due to these reasons and, therefore, show us an alternate site which is how actually in Motihari the second site was shown to us. This site may not be about 500 acres as the earlier site was. It is about 300 acres. But it is on the National Highway and that makes accessibility a lot more easier. As far as the social infrastructure is concerned, there is a DAV School which is affiliated to the CBSE syllabus which is very close by and similarly it is also very well located on the National Highway as I had mentioned, whereas the earlier site was slightly away from the National Highway and was water-logged. So, that was the reason why it was rejected. Then, the Committee went back and, after having inspected the site once again, found it to be conducive for the

establishment of a Central University. So, we have now narrowed down on the site that has been proposed to us at Motihari itself.

Sir, earlier on, during the course of the deliberation, one of the hon. Members said that this should not be *Gyan Bhoomi* which is Gaya *versus Karma Bhoomi* which is Motihari. It is not *Gyan Bhoomi versus Karma Bhoomi*, but it is both *Gyan Bhoomi* and *Karma Bhoomi* which is very important to us and that is the reason why there will be two Central Universities in Bihar.

So, Sir, I would request the hon. Member to withdraw his resolution.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) सभापति महोदय, विद्वतापूर्ण उत्तर देने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद।...(व्यवधान) इन्हें वैसे भी मानव संसाधन मंत्री बनना चाहिए। इस विद्वतापूर्ण से इनका दर्जा कम है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, since the mover of this resolution, Shri Om Prakash Yadav, is not present in the House, the resolution moved by him has to be put to the vote of the House.

The question is:

> "Having regard to the growing need for higher education in the State of Bihar, this House urges upon the Government to set up a Central University in the Motihari District of the State of Bihar, which has also been the 'Karmabhoomi' of Mahatma Gandhi, the Father of our Nation."

The motion was negatived.

16.31 hrs

(ii) Effective Steps to Curb Rising Incidents of Violation of Human Rights in the Country

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No. 20. Shri Basudeb Acharia.

Mr. Acharia, before you start, I would like to say that the Private Members Business is always on Friday and since Saturday and Sunday are holidays, the presence of the Members is negligible or it is very less. I would like to request to you, since you are one of the senior Members of the House, to move a proposal in the BAC that the day of Private Members Business should be changed.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Yes, Sir. We are also in favour of shifting Private Members Business from Friday to Thursday.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, उस दिन कोई न कोई सब्जैक्ट तो आएगा।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, मैं आपको कहूं कि अगर आपका ज़ीरो आवर होगा तो आप दो घंटे बाद भी आ जाएंगे, लेकिन प्राइवेट बिल में कोई नहीं आता।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : हम आपकी राय से सहमत हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: इस मामले को बीएसी में रखा जाएगा।

सभापति महोदय : हां, आप भी उसके मैम्बर हैं।

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, I beg to move:

> "That this House expresses its serious concern over the rising incidents of violation of Human Rights in various parts of the country and urges upon the Government to take effective steps to curb the occurrence of such incidents."

Sir, I am in this House for the last 32 years. I have never seen this House ever had a structured debate on a very important subject pertaining to millions and millions of people of our country.

We debated and we raised the issue whenever there was any incident of human rights violation, whether it is custodial death, fake encounter or unnecessary harassment by the security forces of people kept in custody without any reason, but there had not been structured debate on this important subject. Today, I am raising this subject because I found that even after constitution of National Human Rights Commission in 1993 the number of incidents of violation of human rights has not reduced.

I have the figures for the last three years where you will find how the number of incidents has increased. In 2006-07, it was 82,233; next year it increased to l,00,616 and then it came down slightly to 90,446, but it is still more than the number of incidents that had taken place in 2006-07. You will be surprised to know that in one year the incidents of custodial death have increased to 1,523 and so also the cases of murder.

Sir, the Right to Life is a Human Right, it is a Fundamental Right. The right to have a decent living is a Fundamental Right.It is a human right. So, the essence is the defence of human dignity, to live with dignity. What is the situation today in our country? Rather a substantial percentage of the population do not have decent living. If one-fourth of the population has to go empty stomach daily even after 65 years of independence, will it be treated as decent living? This is the situation today prevailing in our country. If a substantial percentage of women are suffering from malnutrition,

is it a decent living? The Prime Minister had called it a national shame, a '*rashtriya lajja*'. Is it a decent living? Lakhs and lakhs of people are living in slums without any amenities, without any facilities in unhygienic condition. Is it a decent living? Are human rights not being blatantly violated? The tribals are uprooted from their land; they are displaced. I referred to that only two days back while speaking on increase in Naxalite activities. I referred to you, Kishore *ji*. For the big projects, for mining projects, for irrigation projects, who are at the receiving end? They are tribals. They are uprooted; they are displaced. Will it not be treated as violation of human rights? It is violation of human rights. In Kokrajhar district there was an ethnic clash. It is not a recent clash but a clash in 1996 and 1998 with adivasis. Adivasis means Santhals. They migrated from Chota Nagpur to Assam but they are still not recognised as tribals. Kishore Chandra Deo *ji,* you know that in Assam I fought for it. For many-many years I have been fighting for them. Their forefathers were from my area, Purulia and Chota Nagpur Division. They migrated hundred years back. Britishers took them to Assam to work in the tea gardens but still they are not recognised as tribals. A young woman was stripped on the street of Guwahati – we still remember that incident – six years back. Was it not a human right violation? If 10,000 tribals have to stay in the relief camp after 12 years – these adivasis are still in the relief camp – is it not a violation of human rights? Kashmiri Pandits were displaced. They left their homes, their properties, their houses and are living in Delhi. It is also a human right violation. If a young Muslim was picked up from his house and his parents, till today, do not know where his son has gone, it is also a blatant human right violation. In Jammu and Kashmir and Manipur, Armed Forces Special Powers Act still continues. There is a Commission, there is a Committee in regard to Manipur. That Committee recommended for withdrawal of Armed Forces Special Powers Act from the entire State.But it has not been implemented. There are a large number of violations of Human Rights in the State of Manipur. We know as to how the young women were raped. All these were Human Right violations which were happening.

Sir, Binayek Sen, a social activist was arrested and put behind the bars. He was languishing in jail for one year and by the order of the hon. Supreme Court he was released. What was the case against him? Why was he arrested? I would like to know whether any action has been taken against those who have arrested him. Why a man would suffer because of the motivated action of the administration of the Government?

Sir, I referred to some places when I spoke on Adjournment Motion on Assam because I had been to those places. I saw with my own eyes the plight of the people. Today I refer to a relief camp where 6,665 victims of 15 villages were staying. Women were giving birth to their children in the relief camp without any sanitation, without any hygienic conditions, without proper food and without proper clothing. These are the glaring examples as to how the Human Right violations are taking place in our country and the administration and the Government are silent spectators.

I refer to the incident of 29th June of Bijapur District of Chhattisgarh. Twenty tribals were killed in a cold-blooded manner. The Maoists might have used them as a shield. What was their fault? A six-year child, a school going child and women were killed. I would like to refer to the statement of my friend Mr. Kishore Chandra Deo. He asked this question as to how they could be Maoists when not a single arm could be recovered from them. I would like to know whether any action could be taken against a person or persons who were responsible for killing of 20 *adivasis* including women and child for violation of Human Rights. I ask this question.

When fake encounters took place maybe in Batla House or some other places whether any proper inquiry has been done. When it was proved that it was a fake encounter whether any action has been taken against the culprits.

When there was a bomb blast at Hyderabad or Malegaon, why Muslim youths were arrested and put behind the bar? They had to languish inside the jail for few months. Afterwards it was proved that it was not the handy work of

Muslim fundamentalists but Hindu fundamentalist forces. But 30 or 35 youths had to languish in jail without any freedom. I would like to know whether it was not a blatant violation of Human Right. After their release, when it was found that none of the youths were responsible for this action, whether any penalty or punishment is imposed on those who ordered for their arrest and detention. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, जब गरीबों के ऊपर ऐसा होता है। कुछ नहीं होता है, यही चलता है।

We should seriously think over it as to how human dignity is ensured because this right was given by the Constitution under Article 19. I have referred to this Article while speaking on the exodus of the North Eastern people from various places. Article 19 (d) says: "To move freely throughout the territory of India." Any citizen of our country can move to any State.

What happened in Maharashtra a few years back? The people from Bihar, Uttar Pradesh and North India went to Maharashtra. Most of them were working there as taxi drivers. They were beaten, assaulted and they were asked to leave Maharashtra. A similar incident had also happened in Tinsukia, Assam a few years back. There was an attack on Biharis, who were having small tea shops. They were poor people and they migrated from Bihar, not permanently. They were doing business in Tinsukia, Assam. Their shops were burnt down, put on fire and they were asked to leave Assam.

Sir, we have this fundamental right; under Article 19 of the Constitution of India we can go and reside anywhere and work anywhere in the country; the boys and girls can study anywhere in the country. It is a fundamental right of a citizen. That is being denied now. The situation is very grave. You can find that now there is an increase in the number of incidents of human right violations. How is it increasing? If you analyse it, then you will be able to realise that the situation is very grave.

Sir, I will come to my State, West Bengal. Once I raised this issue and I asked this question – if a fundamental right is violated, where can I raise it? I can raise it in this place, that is, Parliament. I cannot raise it on the street. Right to life

is a fundamental right. If that right is violated, if that right is taken away, and if there is an attack on that right, then I have every right to raise that here, on the floor of this House.

Since the last Assembly election, 75 of our workers, leaders and cadres had been killed. Is it not a human right violation? What is the responsibility of the State Government? State Government do not belong to a particular Party, which I always said. A Member of Parliament does not belong to a particular Party. He is called 'people's representative'. Till election, he is a candidate of a Party. After he is elected, he becomes the people's representative. 'People' means Congress, BJP, CPI (M), Trinamool Congress and all Parties.

I remember, While Shri Advani ji was speaking on the Sixtieth Year of Parliament, he said that two things are required. One is tolerance; and the second is respect to the others, respect to the Opposition. सहनशीलता और प्रतिपक्ष के लिए सम्मान और अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र समृद्ध नहीं हो सकेगा। So, these two things are required the most. But ironically, these two things are lacking in the State of West Bengal.

Sir, you would be surprised to know as to how the Human Rights are being violated in that particular State. How many people are now out of their houses and villages? The number is 40,142. For the last more than one year since election, 40,142 people are homeless. They cannot stay in their homes; they cannot till their land. In the Kharif seasion of 2011 and this year, they could not till their land. They cannot go back to their houses. If they go back, they have the fear that they would be killed. Is it not a blatant violation of the Human Rights? They have the right to live in their houses. But that right is being taken away from them.

What is the responsibility of the State Government? I do not say that the State Government is a silent spectator. But behind the support of the Administration, all these things are being done.

Sir, the other day while replying to a question, the hon. Minister Shri Jairam Ramesh gave the example of West Bengal for implementing "Operation

Barga" to protect the rights of the sharecroppers; and said that other States should emulate West Bengal, where 35 lakh sharecroppers' names have been registered under this "Operation Barga" scheme. He advised that the other States should follow West Bengal to protect the rights of the *Bargadars,* the sharecroppers in their States.

How many of these *Bargadars,* sharecroppers have been evicted? It is 15,000 who have been evicted since last year 2011. That means, these 15,000 persons have the right to a decent living; they have the Right to Live. The Right to Live is a Fundamental Right; it is a human right. But they are taking away their Right to Live. Will it not be treated as the violation of the provisions of the Constitution? If the provisions of the Constitution are being violated, that means, Constitution is being violated.

Sir, the Land Reforms have been implemented in West Bengal. How many landless people have got land? It is more than 30 Lakh landless, who have got land. But how many have been evicted? They are known as *Pattadar,* patta holder; and 17,000 patta holders have been evicted from their land. Is it not an attack on them? Is it not the violation of Right to Live? We are taking away the livelihood of the people to the extent of 17,000 at the behest of the State Government.

Recently, a statement was made by the Chairman of the Press Council of India, Mr. Markanday Katju. He referred to an incident. When the Chief Minister was addressing a meeting at Lalgarh, a young poor farmer, maybe, of 35 years old, asked one question to the Chief Minister. He came in front of the dais. Why the price of fertilizer has increased so much? उर्वरक का भाव इतना क्यों बढ़ा? Immediately, what was the reaction of the Chief Minister? "He is the Maoist. He should be immediately arrested." I think you have gone through the editorials of yesterday's *The Hindustan Times* and today's *The Hindu.* If you have not read, I would request you that when you will go home, at least you go through this one page editorial, an article, a write-up of today's *The Hindu* and yesterday's *The Hindustan Times.*

MR. CHAIRMAN: I am requesting that since you have spoken for half-an-hour and only a few Members are to speak on the subject, you can get the reply today itself if you finish your speech early.

SHRI BASU DEB ACHARIA: * The next day, as there were no charges against him, that young man was released. Then, again he was arrested and bail was denied to him.

16.58 hrs (Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

Then, he said accusing the ...* The Press Council of India Chief, Mr. Markandey Katju had once praised her.

सभापति महोदय: अगर आप नाम न लें तो अच्छा रहेगा। Please do not take the name.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Let me say, the Chief Minister.

He said this over the arrest of a man, who asked her a question during a rally. Katju said the arrest of Shiladitya Chowdhury, the name of that young farmer, who is dubbed as ...* after he asked what steps she is taking to help farmers, amounted to blatant misuse of State power, State machinery.

* *.Expunged as ordered by the Chair*

What he said,

"I had earlier given a statement in favour of the Chief Minister of West Bengal because I thought one should see good points in a person's personality also. But now I have changed my opinion and believe that she is totally unbecoming to be a political leader in a democratic country like India since she has no respect for Constitutional and civil rights of citizens and is totally ....*

17.00 hrs

A former Supreme Court judge said that the administrative police authorities could face criminal proceedings for taking illegal order at the Nuremberg Trial. The Nazi criminal took the plea that orders were orders and they were only carrying out the orders of Hitler as they were superior. But, this plea was rejected and they were hanged. The West Bengal officials should take a lesson from Nuremberg verdict, if they do not wish to suffer a similar fate.

There is one other incident. We have every right to criticism; every right to expression. It is also a Fundamental Right.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA: I am concluding. I am coming to my conclusion. You also realize it that this is a very important subject.

Right to Expression is a Fundamental Right, like Right to Form Union and Right to Association. It is also being denied. The incident took place in the State of Haryana at Manesar Unit of Maruti Suzuki. It was not a sudden outburst but it was a simmering discontent. They denied the fundamental right of the workers to have their unions and that unions should be registered. That right was denied to them for years together. That was the simmering discontent, which outbursted that day. And now, 500 workers are being retrenched and it is being reopened. The

* *Expunged as ordered by the Chair*

retrenchment of the workers at the Manesar Unit of Maruti Suzuki is also a violation of human rights.

I was referring to another incident. It is about one Professor of Jadavpur University. Jadavpur University is a well-known University of our country. He circulated a cartoon.

MR. CHAIRMAN: The Minister also has the right to reply.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Yes, and we hear.

Sir, he circulated a cartoon. After 15 days, that Professor, the gentleman was manhandled by Trinamool Congress' hoodlums as if it was an indecent cartoon to vanish the Chief Minister; vanish means to kill the Chief Minister. He was arrested. He was picked up from his house along with the Secretary of Housing Cooperative Society, Mr. Sengupta. Both were picked up from the houses and put behind the bar. They were for 24 hours in police custody. Then, the West Bengal Human Rights Commission took up the case *suo motu*. What is the observation of the West Bengal State Human Rights Commission?

> "The way the police officers of Purba Jadavpur Police Station arrested Professor Ambikesh Mahapatra and Shri Subrata Sengupta on 12/04/2012 at 11 p.m. for circulation, a fortnight ago, the subject cartoon by e-mail and for which twice regret – he also expressed regret – was expressed by him and did not arrest any one of agitating mob."

None of them among those, who manhandled the professor, were arrested.

> "…who wrongfully confined those two persons in presence of police in office of their residential complex makes out a case of police excess and high handedness specially when those two persons are otherwise respectable citizens without any criminal record. Citizens who are expressing or airing critical opinion about the ruling party cannot be picked up from their residence by the police at the instance of agitated mob whose members are unhappy with the critical views of those two persons. If this is allowed to continue, then not only human rights of dissenters will perish, free speech which is the life-blood of our democracy will be gagged.

> Constitutional provisions will be reduced to parchment promises and we will be heading towards a totalitarian regime in complete negation of democratic values in the largest democracy of the world. The Commission cannot be a mute spectator to such a sordid situation in the name of maintaining rule of law."

Then, a penalty on the State Government has been imposed. The State Government will have to pay Rs.50,000 each as a penalty and order for the proceedings against two officials. This is the situation today existing in a State of our country. How human rights, rights of the people, right to expression, right to form union, right to live in his place, right to livelihood; all these rights are being attacked and the constitutional rights are violated! If the constitutional rights are violated, that means, the Constitution is also violated. The Central Government should not remain as a silent spectator. The Central Government has the responsibility to see that the constitutional rights of the people of our country are protected.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That this House expresses its serious concern over the rising incidents of violation of Human Rights in various parts of the country and urges upon the Government to take effective steps to curb the occurrence of such incidents."

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो आसन पर आप ही होते हैं।

सभापति महोदय: धन्यवाद।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, इस कारण मुझ में कुछ धार्मिक प्रेरणाएं भी जागृत हो जाती हैं। बसुदेव जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, भले ही एक राज्य या कहीं ओर से उदाहरण के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन मानवाधिकार एक व्यापक प्रश्न है कि मानव को क्या अधिकार है। यह केवल सरकार का काम नहीं है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है लेकिन सभी को सोचना चाहिए कि जितना अधिकार मुझे प्राप्त है उतना ही इस सृष्टि में सभी प्राणियों को अधिकार है। अगर हम अपने अधिकार की सुरक्षा चाहते हैं तो पहले मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं किसी के अधिकार का अतिक्रमण न करूं। हम तो दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करें लेकिन मेरे अधिकार का कोई अतिक्रमण न करे। मुझ पर अगर कोई गोली या डंडा चलाए, मेरे घर में घुसकर हत्या करे तो वह मानवाधिकार का हनन नहीं है लेकिन अगर पुलिस अत्याचारियों पर गोली चलाती है, हत्या करती है तो मानवाधिकार हनन का मामला उठने लगता है कि पुलिस ने अन्याय किया, जुल्म किया। आखिर शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था किस के लिए है? देश में कुछ मानवाधिकारवादी हैं उन्हें मानवाधिकार से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सदन द्वारा देश के सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं कि हर आदमी को कितने अधिकार हैं, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार और मानवीय अधिकार। सहज कर्म कौन्तेय, यह भगवान कृष्ण ने क्यों कहा था कि हमारी सभी इंद्रियों को सहज भाव से कर्म करने का अधिकार है। मैं कुछ प्रश्न करने के बाद डा. लोहिया के दो-तीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूंगा। भूख और निर्धनता के कारण तड़प-तड़प कर मरने वालों का मानवाधिकार का हनन इस देश में होता है या नहीं। अगर उनके मानवाधिकार का हनन होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी किस पर है। जाति प्रथा के कारण जन्म से मरण तक कदम-कदम पर अपमान की अग्नि में झुलस-झुलस कर मरने वालों के लिए मानवाधिकार है या नहीं। आज तक भारतवर्ष में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या कोई सरकार है या यह पूरा समाज है और हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल उसमें शामिल हैं। मैं किसी को इसमें वंचित करने वाला नहीं हूं और न अलग करने वाला हूं। सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को बलपूर्वक रोकना क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है। दूर्गापूजा में, रामनवमी में, जनमाष्टमी में जुलूस निकाला जाए और इसी देश में उनके जुलूस को यह कहकर रोका जाए कि इस रास्ते

से नहीं जायेगा, क्योंकि यह एक सम्प्रदाय विशेष पर आघात है और उनके जुलूस को रोक दिया जाए तो क्या वह मानवाधिकार का हनन नहीं है। क्या संविधान में हिंदुस्तान के नागरिकों को सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार नहीं दिया गया है। मैं इस सदन की मार्फत इस देश के नागरिकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हजारों जगह ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और मेरे ही संसदीय क्षेत्र मधुबनी में अभी हाल में भैरवस्थान में इसी तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। वहां कितने गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े और दलित समाज के लोग जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्य को पूरा करने जा रहे थे, जलाभिषेक में उन पर लाठी चली, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी औरतों को अपमानित किया गया। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है। इस देश में कुछ लोग हैं जो तथाकथित प्रगतिशील हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है, वे धर्म की बात क्या करेंगे, वे धर्मनिरपेक्ष हैं। मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं हूं, मैं धर्म पर हूं और धर्म को मानता हूं और मरते दम तक मानूंगा, धर्म सापेक्ष है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे कुछ प्रगतिशील और क्रांतिकारी लोग हैं, जो तथाकथित सेक्युलरवादी बनते हैं, यदि ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वे कहते हैं कि यह साम्प्रदायिक सदभावना पर आघात है। कोई आदमी यदि अपना धार्मिक जुलूस निकाले, सरकार उसे सुरक्षा देकर निकलवाये और यदि मैं धार्मिक जुलूस निकालूं तो सरकार मेरा रास्ता रोक दे, क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? इस आजाद भारत में गांवों में लाखों जगहों पर ये घटनाएं घटित हो रही हैं। पूजा करना वर्जित है, शंख बजाना वर्जित है, घंटे, घड़ियाल बजाना वर्जित है। सत्यनारायण कथा के बाद अगर शंख फूकेंगे तो सत्यनारायण भगवान का जो पूजा का स्थल है, वहां से शालिग्राम जी को उठाकर फेंक दिया जायेगा। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है। इस पर कोई ह्यूमैन राइट्स कमीशन और इस देश के तथाकथित सेक्युलरवादियों का ध्यान क्यों नहीं जाता है। हिंसा और अराजकता द्वारा आतंक फैलाकर लोगों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाना क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है।

महोदय, इसी सदन में महान समाजवादी डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था - मैं हिंसा नापसंद करता हूं। मैं अभी भी इस मत का नहीं बना हूं कि सरकारी हिंसा का जवाब जनता की हिंसा से दिया जाए। मैं अराजकतावाद पसंद करता हूं, यह अलग बात है। कानून टूटे, मैं पसंद कर सकता हूं। आजकल के रिश्ते बदले, मैं इसे पसंद करता हूं। किसी तरह से अस्थिरता खत्म हो, कर परिवर्तन आये, मैं पसंद करता हूं। लेकिन हिंसा नहीं, मारकाट नहीं, किसी की जान लेना नहीं।

महोदय, जब आतंकवादी, उग्रवादी बम विस्फोट करते हैं और वहां शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस के जवान जंगल में जाते हैं और उन्हें डायनामाइट लगाकर उड़ा देते हैं। हमारे पचास-पचास सिपाही, हमारे भाई कश्मीर में मारे जाते हैं, अपने रक्त से भारत की सीमा को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, अपनी

लाशों की दीवार खड़ी करके दुश्मन के कदमों को रोकते हैं, ऐसे लोग जब मारे जाते हैं तो क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है। लेकिन अगर एनकाउंटर होता है, आमने-सामने गोलियां चलती हैं और उसमें अगर उग्रवादी, आतंकवादी मारे जाते हैं तो मानवाधिकार का हनन हो जाता है। बाटला हाऊस में मानवाधिकार का हनन होता है। मुंबई में, करकरे के लिए मानवाधिकार का हनन होता। देश के अंदर ऐसे बेशर्म लोग हैं, जो बेशर्मी के साथ, बिना किसी तर्क के साथ ही किसी बात को उठा दिया करते हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। मतदान केंद्रों पर आज भी लाखों लोग जाते हैं जो पिछड़े हैं, दलित है, अनुसूचित जाति-जनजाति के हैं, निर्धन हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं। आज भी वे मतदान केंद्र पर जाते हैं तो ताकतवर लोग लाठी के बल से उनको मतदान केंद्रों से खदेड़ कर भगा देते हैं। उनकी मां-बहनों की इज्जत लूटी जाती है, उनको खदेड़-खदेड़ कर मारते हैं और उनके वोट को फर्जी गिरा लेते हैं। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मानवाधिकार के बारे में अगर इस सदन में चर्चा हो तो विस्तृत चर्चा हो।

बसुदेव आचार्य जी को मानेसर की घटना बताते हुए मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि उस गांव के चारों तरफ मेरी रिश्तेदारी है। मज़दूर को अपना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन क्या मज़दूर को यह अधिकार है कि कारख़ाने में घुस जाएं, आग लगा दें, एक जीएम की टांग तोड़ दें और आग में जला कर मार दें? वहां दो अधिकारी आग में जला कर मार दिए गए। क्या उनको मानवाधिकार नहीं था? क्या वे जानवर या चूहे थे? उनको हिंसा करने का अधिकार किसने दिया था? 15 गांव के किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने लठ ले कर कहा कि इस कारखाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा तब जा कर वह कारखाना चल रहा है। मज़दूर यूनियन बनाएं, मज़दूर अपने अधिकार के लिए लड़े। मज़दूर को अधिकार मिले। उनको भी सभी अधिकार दिए जाएं। लेकिन उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि कारखाने में घुस जाएं, आग लगा दें, जला दें, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करें और लोगों को मार-मार कर उनकी जान ले लें। यह अधिकार उनको कभी प्राप्त नहीं है। मैं अंत में डॉ. लोहिया की एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इसी सदन में 03, अप्रैल 1964 को डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जो इस देश के सभी हिंदुओं और मुसलमानों को ध्यान रखना चाहिए। यह बात सरकार को, सभी राजनीतिक दलों को और तथकथित सेक्युलरवादियों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। मैं उनको कहता हूँ जो अपने आप को सेक्युलरवादी कहते हैं, वोट बैंक बनाते हैं और केवल ऐसे नाचने लगते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज, जो जाति के दलदल में धंसा हुआ है, अपनी जाति के नेताओं की दुम पकड़ कर के वैतरणी पार होना चाहता है। इसलिए उनकी कोई चिंता नहीं है। चाहे उनकी इज्जत लुट जाए। डॉ. लोहिया ने कहा कि " हिंदुस्तान-

पाकिस्तान दोनों जगहों की जनता के सामने एक महान आदर्श रखें कि किस तरह से जीने का अधिकार सारी दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जीए। मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूँ कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिंदू चाहे जहां का नागरिक हो, लेकिन उनकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्त्तव्य है, जितना कर्त्तव्य हिंदू या मुसलमानों की रक्षा करना है। यह तर्क दे देना कि कौन कहां का नागरिक है, यह व्यर्थ हो जाता है। यह मामले को बिगाड़ देता है। जीवन का अधिकार, जीने की सुरक्षा हमें सबको देनी है। " यह जीने का अधिकार हर नागरिक को है। जितना अधिकार आतंकवादी को है, उतना ही पुलिस को भी है। इसलिए मैं यह मांग करता हूँ कि जो मानवाधिकार की बात करने वाले हैं, आज पाकिस्तान के लाखों हिंदू, वहां से भगाए जा रहे हैं, वे भारत की सीमा में आए हुए हैं, उनको न पीने का पानी देंगे, न रहने का घर देंगे, न उनके बच्चे को कपड़ा देंगे, न उनको राशन देंगे। अगर यह बात उठाते हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात करते है? पाकिस्तान के उन लाखों-करोड़ों हिंदुओ के मानवाधिकार का हनन हो रहा है। उनकी बहू-बेटियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? कहां गए टी.वी. वाले, अखबार वाले और तथाकथित सेक्युलरवादी लोग, उनकी आंखें उधर क्यों नहीं जाती हैं। अगर इस बात को उठाया जाए तो हुक्मदेव नारायण यादव सांप्रदायिक है। बंग्लादेशी के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तानी हिंदू के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर बसाना चाहते हो, बड़े उदारवादी बनते हो तो उनको भी हिंदुस्तान में आने दो, हिंदुस्तान में बसने दो। उनको भी रोटी, कपड़ा और मकान दो। उनके बहू-बेटियों की इज्जत करो। अगर समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया इसी संसद में इस बात को जिस हिम्मत के साथ कह सकते हैं तो आज हुक्मदेव नारायण यादव भी उसी हिम्मत के साथ उनकी बात को दोहराता है और लोगों से कहता है कि सोचो और अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ।

अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों निर्धन, निर्मल, पिछड़े, दलित, शोषित, उपेक्षित, उपहासित मानव से कहना चाहता हूं कि तुम इन तथाकथित मानवाधिकारवादियों के झंझट में मत उलझना, ये बड़े-बड़े लोग हैं, एनजीओ चलाते हैं, पैसा खाते हैं, विदेश से लाते हैं, मौज-मस्ती में उड़ाते हैं, चैनल दिखाते हैं, अखबार में छापते हैं, बाप-बेटा दलाल, बैल के दाम बारह आना, सब मिलकर लिखते हैं, पढ़ते हैं और हिंदुस्तान की सही तस्वीर को सामने नहीं आने देते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर व्यापक दृष्टिकोण बनाये और मानवाधिकार के बारे में हिंदुस्तान की संसद में एक व्यापक बहस होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्राइवेट मेंबर बिल जो बासुदेव आचार्य जी लाए हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय: अगर आप संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे, तो अगला रेजोल्यूशन भी ले लेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, इसे परिभाषित किया जाए तो नागरिकों का उत्पीड़न और उनके जीवन संबंधी अधिकारों का हनन ही मानवाधिकार उल्लंघन है। रोटी, कपड़ा और मकान आरंभ से ही भारत की तीन बुनियादी जरूरतें थीं, लेकिन यह भी गरिमामय नहीं है, इसमें भी बड़ी विषमतायें हैं। अगर देखा जाए तो जो गरीब है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनोरिटीज के साथ ही ज्यादातर उत्पीड़न होते हैं।

महोदय, अगर भारत की तस्वीर देखें तो भारत में आज तीस प्रतिशत लोग गरीबी से त्रस्त हैं और चार करोड़ लोगों के पास तो अपना घर ही नहीं है। तेरह लाख व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है और छह लाख विकलांगता से ग्रस्त हैं। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 27 दिसंबर, 1993 में की गयी। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे। अगर विस्तार से भारतवर्ष की स्थिति देखें तो आज दो करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल आश्रम की यातना को सह रहे हैं। विश्व के भूख सूचकांक को अगर देखा जाए, उन देशों की सूची में भारत का 65वां स्थान है। प्रतिदिन पांच हजार बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं और विश्व में 27 फीसदी भारत में कुपोषित लोग हैं।

महोदय, आज जरूरत इस बात की है कि मानवाधिकार आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता है। पुलिस मुठभेड़ में बहुत से एनकाउंटर होते हैं, या तो सही होते हैं या वे फर्जी होते हैं, बाटला हाउस का मामला अभी बसुदेव आचार्य जी ने बताया। पुलिस लॉकअप में भी मौतें होती हैं, अधिक पिटाई होने पर पुलिस की हिरासत में भी मौतें होती हैं। अगर आज हिन्दुस्तान की जेलों की स्थिति देखें तो क्षमता से ज्यादा लोग वहां पर रखे गये हैं। हम आज भी जेलों की स्थिति पर रो रहे हैं, उस क्षमता को हम नहीं बढ़ा पाये हैं। ज्यादातर यह देखा गया है कि जेल में मौत होती है या आदमी बीमार होता हो, जबकि वहां पर हॉस्पिटल हैं, मरते जेल में हैं और उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है कि वे जेल में बीमार पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट किया और उनकी मृत्यु हो गयी। ऐसे बहुत केसेज़ सामने आये हैं।

महोदय, अपराधों में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसका मुख्य कारण यह रहा है कि जो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल अपराधियों पर होता है, उसमें थोड़ी-बहुत कमी आयी है और यही कारण हुआ है कि अपराध भी

बढ़े हैं। अगर एक तरफ इसका फायदा है तो नुकसान भी है। मंत्री जी आप इस बात पर बहुत हंस रहे हैं। आज राज्य सरकारें धारा 121 और 124(ए) का विरोध कर रही हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने वर्ष 1951 में इस धारा का विरोध किया था। हुक्मदेव नारायण जी अगर गुजरात की स्थिति को देखा जाये तो 19 हजार से ज्यादा लोगों पर वहां पर मुकद्मे चले हैं, वहां की जो रिपोर्ट आयी हे, वह ऐसा बताती है। 2010, 2011 और 2012, इन तीन वर्षों के रिकार्ड अगर देखे जाएँ तो पुलिस संरक्षा में और डिफैन्स में, अर्द्धसैनिक बलों द्वारा मुठभेड़ों के 439 मामले हुए हैं जैसा माननीय मंत्री जी द्वारा अतारांकित प्रश्न के जवाब में बताया गया है। इसमें संदिग्ध मुठभेड़ 155 दिखाई गई हैं। एशियन सैन्टर फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट यदि देखें तो प्रति वर्ष 175 लोग पुलिस लॉकअप में यातना तथा अपराध स्वीकृति के जवाब के चलते मारे जाते हैं। यह रिकार्ड है। यदि सेना के खिलाफ मानवाधिकार हनन कोई शिकायत है तो केन्द्र के मानवाधिकार आयोग को कोई पावर ही नहीं है। 95 प्रतिशत मामले रद्द कर दिये जाते हैं जिन पर कोई सुनवाई भी नहीं होती है। भारत में अगर हर वर्ष मानवाधिकार उल्लंघन के केसेज़ देखे जाएँ तो औसतन 80 हज़ार केसेज़ हर वर्ष दर्ज होते हैं। देश के 11 राज्यों में आज भी मानवाधिकार आयोग स्थापित नहीं हो पाया है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं लेकिन राज्यों में मानवाधिकार स्थापित नहीं हो पाया है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। गुजरात की रिपोर्ट मैं अभी देख रहा था कि आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश डी.एस.सिन्हा ने बताया कि चार वर्षों में 11500 मामले सामने आए जिसमें महिलाओं पर 6000 मामले हुए जिसमें 3001 मामले अल्पसंख्यक महिलाओं पर हैं। वहाँ की जेलों की स्थिति यह है कि वहाँ की जो क्षमता है, उससे करीब 74 प्रतिशत ज्यादा लोग उसमें रखे जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो जल, जंगल और ज़मीन के लिए जो लड़ाई हमारे आदिवासी एस.टी. वर्ग के लोग लड़ते हैं, उन पर धारा 121 व 124 ए लगाई जाती है जो चार-पाँच महीने में खत्म होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी उनको पाँच वर्ष लग जाते हैं। तो इस धारा को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वहाँ भी बहुत सारी शिकायतें आई हैं। मुख्य न्यायाधीश बालाकृष्णन जी ने मीडिया को भी आगाह किया है कि मीडिया भी ऐसी खबरें प्रमुखता से प्रकाशित करे जहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आज अगर आँकड़े देखें तो 20 प्रतिशत भारतीय इस देश की 80 प्रतिशत दौलत के मालिक हैं जैसा हुक्मदेव नारायण जी ने कहा। जो सैन्यकर्मी मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी पाए गए, उनकी संख्या 129 है। यहाँ तक कि कभी-कभी हमारे यहाँ भी कोई घटना घटती है और हम लोग यहाँ लिखते हैं तो उनको मुआवज़े की धनराशि नहीं मिल पाती है। अगर राज्यवार आँकड़े देखे जाएँ तो उत्तर प्रदेश में 12 अगस्त, 2011 को 18000 केस दर्ज हुए। दिल्ली दूसरे नंबर पर है। फिर हरियाणा, एम.पी., बिहार आता है और सिक्किम में सबसे कम है।

सभापति जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि मानवाधिकार उल्लंघन और हनन के बारे में हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, हमें गंभीरता से देखना पड़ेगा कि जो अपराध हुए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जो निर्दोष हैं, उनको कम से कम प्रताड़ना से गुज़रना न पड़े और जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो निर्दोष लोग पिटाई में और फर्जी एनकाउंटर में मारे जाते हैं, उनके परिवारों को मुआवज़ा मिले। इन्हीं बातों के साथ चूँकि आपने कहा कि जल्दी समाप्त करें, मैं अर्जुन मेघवाल जी के बिल की भी चिन्ता कर रहा हूँ चूँकि उन्होंने हमें रिक्वैस्ट किया था, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और बसुदेव आचार्य जी के इस संकल्प का पुरज़ोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

`

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस संकल्प पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। किसी ने कहा है कि '*सब आये एक देश से उतरे एकै घाट।*' सभापति जी, इस संबंध में मुझसे ज्यादा आपका अनुभव है। लेकिन घाट पर आने के बाद मानव की जो दुर्गति समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं के नाते हो रही है, उसकी कल्पना मात्र से सिहरन होने लगती है। मानवाधिकार की बात जब हम करते हैं तो यह बात तय है कि वह वहीं तक सीमित है कि अगर पुलिस ने थाने में किसी को मारा , मैं यह नहीं कह रहा कि उचित करती है, सेना ने किसी को मारा तो मानवाधिकार दिखाई देता है। सबसे अधिक मानवाधिकार पर खतरा उन्हीं से है, जो मानवाधिकार को लागू कराने वाली शक्तियां हैं।

हमारे देश के छोटे-छोटे बच्चे और गरीबों के बच्चों के अंगों को काटा जा रहा है और उनकी तस्करी हो रही है, ऐसी कई घटनाएं सामने आयी हैं। इस बारे में मानवाधिकार क्या कर रहा है? हजारों लड़कियां, जो नाबालिग हैं रोज घटनाएं हो रही हैं देश के कई प्रांतों में और दुनिया के कई मुल्कों में यहां तक कि नेपाल से हजारों लड़कियां प्रति वर्ष भारत के रास्ते दुनिया के दूसरे देशों में भेजी जा रही हैं। क्या उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? सामाजिक न्याय किए बिना मानवाधिकार की बात करना बेमानी है। गांव में एक आदमी से देसी मुर्गा मांगा जाता है, अगर वह नहीं दिया तो उसे पेड़ में बांध कर मारा जाता है और इतना मारा जाता है कि वह मर जाए। क्या वह मानवाधिकार का हकदार नहीं है? व्यवस्थाओं के चलते जो हमारी बेटियां हैं, हमारा संविधान कहता है कि हम अट्ठारह वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं करने देंगे, लेकिन जो बाल विवाह की परम्परा है, क्या यह मानवाधिकार के अधीन नहीं है? आज देश की ऐसी स्थिति है कि तीस फीसदी लोग इतने गरीब हैं, जो अपने छोटे बच्चे को सौ रुपए प्रतिदिन पर भीख मांगने के लिए देते हैं कि अगर गोद में छोटा बच्चा रहेगा तो भीख ज्यादा मिलेगी। उसे मानवाधिकार का हक कब मिलेगा? पूरे देश में जो माहौल है, उसके अनुसार हमारे पास जो मानवाधिकार के कानून हमारे पास हैं, हालत के अनुसार इन कानूनों को बनाना चाहिए। हमारी बनाई व्यवस्थाओं से सामाजिक न्याय दिए बिना हम निश्चित तौर पर मानवाधिकार पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा सकते हैं। मानवाधिकार की घटनाओं के बारे में एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हैं कि सात साल की सजा से कम के जो अपराध होंगे, उसे थाने से ही जमानत मिल जाएगी। उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि जो हमारे अधिकारियों से जो असरदार और प्रभावशाली व्यक्ति है, वह तो उस कानून का लाभ उठाकर थाने से बच जाता है लेकिन जो गरीब आदमी है जो निहायत कमजोर आदमी है, वह कभी भी मानवाधिकार

का लाभ नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसे तजुर्बा नहीं है कि कहां हम शिकायत करें, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है और उसे एक दर्खास्त लिखनी नहीं आती है। इसलिए गांव का गरीब आदमी जो आज हजारों की संख्या में ऐसी जमीनों पर बसाया गया है, जहां की जमीन भी उनके नाम नहीं है। वे क्या कर सकते हैं और कौन-से मानवाधिकार को ले कर रोएं और पूरे देश में इनकी तादाद भी कम नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर चले जाइए। कबाड़ बीनते बच्चे, क्या उनका यही मानवाधिकार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर मानवाधिकार को लागू कराने का जिम्मा है, वे इस बात का इंतजाम करें कि जो होशियार आदमी है वह तो दर्खास्त दे कर मानवाधिकार तक मामला ला देता है, उसकी बात तो पहुंच जाती है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो ओबीसी, एससी और एसटी का आदमी है, जो मायनोरिटी का आदमी है, जिनको ज्ञान नहीं है कि मानवाधिकार का लाभ कैसे ले सकते हैं। उनके साथ बड़ी तादाद में घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वे प्रकाश में नहीं आ रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि ये घटनाएं उनके प्रकाश में भी आएं कि आज लोग एक मुर्गे के लिए मारे जाते हैं, कहीं खड़ा हो जाने पर मारे जाते हैं, मन्दिर में चले जाने के कारण मारे जाते हैं, पूजा में बैठ जाने के कारण मारे जाते हैं।

सभापति महोदय, यह विभिन्नताओं का देश है। यहां पर एक जगह खुशी में शंख बजता है और दूसरी जगह मौत में शंख बजता है, ऐसी विभिन्नताओं का हमारा देश है।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तावित देश में मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति जी, मानवाधिकार वह है जिससे मानव को अच्छे जीवन जीने का अधिकार मिले। जिसके द्वारा स्वतंत्रता, सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान, और शांति के साथ वह अपना जीवन जी सके, उसे मानवाधिकार कहते हैं। अगर विश्व के देशों में देखें तो इंग्लैंड में जो मैग्नाकार्टा आज्ञापत्र प्रस्तुत हुआ था, उसमें मानवाधिकार का ज़िक्र किया गया था। अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और फ्रांस में क्रांति के दौरान इसका उल्लेख किया गया है। हमारे देश में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए 27 दिसम्बर, 1993 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गयी। लेकिन आज आजादी के 65 साल बाद हम देखें तो देश की स्थिति चिंताजनक है। हर क्षेत्र में हम मानवाधिकार का हनन होते हुए देख रहे हैं। गरीबी, असमानता, अन्याय, शोषण हो रहा है। आज 30 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी से त्रस्त हैं। चार करोड़ परिवारों के पास अपना घर नहीं है। डेढ़ लाख बस्तियां शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। दो करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल श्रम की यातना सह रहे हैं। विश्व भूख सूचकांक में 88 देशों में हमारा स्थान 66वां है। देश में आर्थिक असमानता है। देश में 150 करोड़ परिवारों के पास की कुल सम्पत्ति देश के पचास करोड़ देशवासियों की कुल सम्पत्ति से ज्यादा है। आज देश में 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। सदियों से महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। वे कुपोषण का शिकार हो रही हैं। कई निर्दोष लोग बिना ट्रायल चले जेलों में बंद हैं। मानवाधिकारों के हनन के मामले सामने आ रहे हैं

अभी हाल में असम में जो घटनाएं घटीं, वे हमारे लिए चिंताजनक हैं। कश्मीरी पंडित अपने वतन को छोड़कर फुटपाथ पर रह रहे हैं। देश के 220 जिले नक्सलवाद से पीड़ित हैं। भारत में इस असमानता को दूर करने के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत है। समाज के वंचित वर्गों के लिए रोजगार सृजन व सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना होगा।

अन्त में, मानवाधिकारों की रक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज के निर्माण की कल्पना को साकार नहीं किया जा सकता। देश में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु समाज में व्याप्त हर तरह की असमानता को दूर करना होगा और सभी के लिए समान अवसर और आर्थिक सुविधाएं मुहैया करानी होंगी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JITENDRA SINGH): Sir, I thank the hon. Member, Shri Basu Deb Acharia, who has just come in, whom I was missing. I also thank Shri Hukmadeo Narayan Yadav Ji, Shri Shailendra Kumar Ji and Shri Rajbhar Ji, who spoke on a very important matter.

The Constitution of India has provisions and guarantees for safeguarding human rights, including almost the entire gamut of civil and political rights. The Directive Principles of State Policy further require the States to ensure promotion and protection of social, cultural and economic rights particularly of the weaker sections of the society. The civil and criminal laws of the country have in-built mechanisms to safeguard the rights of the individuals and provide special protection to most vulnerable sections of the society.

The Government of India has set up the National Human Rights Commission (NHRC) under the Protection of Human Rights Act in 1993 with the purpose of ensuring that cases of human rights violation are effectively redressed. The NHRC registers cases on the basis of complaints received from individuals, NGOs, *suo motu* cognizance and limitations received from authorities in various State Governments and Union Territories about the death in custody and encounters. Out of these, a number of complaints relate to service and civil matters and do not bring out specific human rights violations. Enquiries are conducted by NHRC into these complaints which bring out specific human rights violations. Therefore, NHRC makes appropriate recommendations for payment of monetary relief to the victims of the next of kin of deceased persons. They also recommend disciplinary action or prosecution or both against the guilty public servant.

The number of complaints registered by NHRC pertaining to human rights violation cases during the last three years from 2010 to 2012 was 80,260, 82,779 and 94,630 respectively. During the same period of three years NHRC had

recommended monetary relief of Rs.6.34 crore in 398 cases, Rs.18.29 crore in 582 cases and Rs.15.27 crore in 588 cases respectively.

NHRC has issued guidelines from time to time to all States for conducting inquiries into the cases of custodial encounter deaths and such cases are required to be brought to the notice of NHRC within 24 hours. 24 घंटे के अंदर उन्हें इन्फोरमेशन भेजनी पड़ती है।

For curbing incidence of human rights violation across the country NHRC has endeavoured to inculcate the human values in the young mind. They conduct training programmes including online training for police officers and administrative officers and internship programmes for the young students.

The NHRC also monitors places of detention, prisons, and police lock-ups to check whether there is any case of custodial torture. Besides this, the NHRC has also been monitoring the prevailing conditions of hospitals for mentally challenged patients at Agra, Ranchi and Gwalior.

The NHRC has been equally concerned with the violation of rights of human rights defenders and a nodal officer has been appointed to follow up such cases.

Sir, I would also like to suggest what Acharia Ji has suggested. I would like to give him some of the instances. As per the records of NCRD, National Crime Record Bureau, the trends shown for the last 2006-2012 are actually decreasing. I may read out the trends of custodial deaths in police custody and judicial custody.

In 2009-10, the number of deaths in police custody was 124 and in judicial custody, the number of deaths was 1473. In 2010-11, it slightly increased to 146 and the number for judicial custody death was 1426. In 2011-12, the number of deaths in police custody came down to 128 and 1302 in case of judicial custody. So, there is a mix trend which is coming up.

I would also like to suggest as per information received from the NCRB, in the years 2009, 2010 and 2011; 45, 38 and 52 cases were registered against policemen respectively. Out of which, 12, 25 and 14 policemen have been charge sheeted in different States and Union Territories.

In the light of above, I am of the view that effective structures are already in place for curbing incidents of human rights violation cases. Therefore, I would request the hon. Member to kindly withdraw the Resolution.

SHRI BASU DEB ACHARIA: I cannot withdraw the Resolution as he has not given any assurance. I have cited a number of examples and I have referred to a number of incidents. Without any firm assurance, how can I withdraw the Resolution? While replying, the Minister has stated measures taken by NHRC and other agencies in regard to certain incidents. But in general, human rights, right to decent living and right to livelihood, these rights are being violated. There is no assurance that the Central Government will have an active and effective role and will also take effective action to curb the incidents of human rights violations.

SHRI JITENDRA SINGH: Sir, I would reiterate to the hon. and senior Member that there are already structures and institutions in place. As regards hon. Member's concerns, the NHRC deals with a wide variety of issues. It could be para-military, it could be matters related to custodial death, it could be matters related to any other issue. It has a very wide scope. So, the structures and processes are already in place.

The NHRC has a mandate to take up, enquire and give judgement on such matters which come within its ambit. So, all those concerns are taken care of by NHRC. Therefore, I would again request the hon. Member to withdraw his Resolution.

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing your Resolution?

SHRI BASU DEB ACHARIA: I am not withdrawing.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House expresses its serious concern over the rising incidents of violation of Human Rights in various parts of the country and urges upon the Government to take effective steps to curb the occurrence of such incidents."

The motion was negatived.

17.49 hrs

(iii) Formulation of an Action Plan to Rehabilitate Persons Displaced from Pakistan

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करे।"

महोदय, आपने मुझे पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, जिनको हम पाक विस्थापित कहते हैं, उनके पुनर्वास के लिए कार्य-योजना बनाने और उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए, राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए या उनको खेती की जमीन उपलब्ध कराने के लिए जो

17.50 hrs (Shri Basu Deb Acharia *in the Chair*)

मेरा प्रस्ताव था, उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अभी आप के ही एक संकल्प पर चर्चा करते समय हमारे एक बहुत वरिष्ठ साथी हुक्मदेव नारायण यादव जी ने डॉ. राम मनोहर लोहिया जी का जिक्र किया था। मैं उस किताब को अभी पढ़ रहा था। वह पुस्तक है 'लोहिया और संसद ' उसमें 3 अप्रैल, 1964 को डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जीने का अधिकार दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): यह बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। माननीय सदस्य अगली बार इसे प्रारंभ से शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : 6 बजे तक तो चलेगा ना।

श्री हरीश रावत : इस समय हम जीरो ऑवर ले लें।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): यह नियमावली के अनुसार 6 बजे तक चलता है।

श्री हरीश रावत : क्या फर्क पड़ता है? He has already moved it.

MR. CHAIRMAN: If the House agrees, then we can start the Zero Hour.

… (*Interruptions*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: श्रीमान् नियामवली को पढ़िये। नियमावली साफ कहती है कि इसका समय साढ़े तीन बजे से छह बजे तक बंधा हुआ है। जब तक नियम में परिवर्तन नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता।

सभापति महोदय : नियम में यह बताते हैं कि अगर सदन राजी हो जाये तो हम कर सकते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: इस नियम को बदलने का अधिकार सदन को नहीं है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : आपकी कांटीन्युटी खराब हो जाएगी, कांटीन्युटी नहीं होगी, अभी पांच मिनट आप बोलेंगे, तो पूरी बात नहीं कह पाएंगे।

सभापति महोदय : ठीक है, नेक्स्ट वीक करेंगे। आप बैठ जाइए।

अभी हम लोग जीरो ऑवर शुरू करते हैं।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां से बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, बोलिए।

श्री सतपाल महाराज: महोदय, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी टाइगर सैंक्चुअरीज हैं, वहां पर पर्यटकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड के अंदर जहां पर टाइगर सेंक्चुअरीज हैं, वहां पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लग गयी है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो टाइगर सैंक्चुअरी है, जिम कार्बेट पार्क है, उसके अंदर कोर एरिया आइडेंटीफाइड है। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर या जो अन्य टाइगर सैंक्चुअरीज हैं, वहां पर कोर एरिया आइडेंटीफाइड नहीं हैं। तो जहां पर कोर एरिया आइडेंटीफाइड है, उसके बाद बफर जोन आती है, वहां पर बफर जोन के लिए जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, वह इसकी अनुमति प्राप्त करे जिससे कि पर्यटक वहां पर आकर के टाइगर को देख सकें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोर एरिया के अंदर टाइगर की ब्रीडिंग होती है और वहां किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए बफर जोन के अंदर पर्यटन आगे बढ़े। हमें राजस्थान से सूचना मिली है कि वहां जो पैलेस ऑन व्हील्स थी, उसकी सारी बुकिंग कैंसल हो गयी, गुजरात के अंदर बुकिंग कैंसल हो गयी और अधिक से अधिक लोग इस समय देखने के लिए नेपाल जा रहे हैं। भारत को टूरिज्म से जो रेवेन्यू आता था, उसकी बहुत क्षति हो रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कोर एरिया को छोड़कर बफर जोन के अंदर पर्यटन को बढ़ाया जाए।

श्री कैलाश जोशी (भोपाल): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं।

<u>17.54 hrs</u> (Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

महोदय, सन् 1984 में भोपाल में विश्व की भीषणतम् गैस त्रासदी की घटना घटी थी। इसमें हजारों लोग, पशु-पक्षी और अनेक जीव मारे गए थे। उस समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन भोपाल में ही मौजूद थे। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था किन्तु कुछ घंटों के बाद ही शासन के आदेश से उन्हें मुक्त कर राज्य के शासकीय विमान से दिल्ली पहुंचा दिया गया था। कुछ दिनों बाद भारत सरकार तथा यूनियन कार्बाइड के बीच आपसी समझौता हो गया था और उस समझौते के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि भी निर्धारित की गई थी। प्रारंभिक जांच में क्षति का जो आकलन किया गया था वह तथ्यपूर्ण नहीं था। साथ ही, जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जितने स्थायी रूप से

अपंग हुए थे तथा अन्य प्रकार की जो क्षति हुई थी वह वास्तविक रूप में निर्धारित नहीं हो पाई थी। तब से यह मामला विवाद का कारण बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा यह मामला न्यायालय तक ले जाया जा चुका हैं जहां यह विचाराधीन है। इस बीच यूनियन कार्बाइड कंपनी का स्वामित्व बदल गया और इसे उत्तराधिकारी के रूप में डाऊ केमिकल्स ने खरीद लिया जो आज उसका मालिक है। इस स्थिति में जो विवादाग्रस्त विषय विचाराधीन थे उनमें से डाऊ केमिकल्स द्वारा अपने को उत्तरदायी मानने को तैयार नहीं हुआ है जबकि तथ्य यह है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी का उत्तराधिकारी होने के कारण वह सब दृष्टि से इसके लिए जिम्मेवार है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया आप अपनी मांग रखें।

श्री कैलाश जोशी: एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस त्रासदी के घटने के 28 वर्ष समाप्त होने बाद भी वहां के रासायनिक कचरे को समाप्त करने के लिए केन्द्र शासन द्वारा कोई परिणामकारी निर्णय नहीं लिया जा सका है, जो अभी भी विवादग्रस्त बना हुआ है। इस कारण अभी भी हजारों लोग उस कचरे के कारण रोगग्रस्त बने हुए हैं और प्रभावित हो रहे हैं।

अतः मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि प्रभावित लोगों का मुआवजे बढ़ाने, चिकित्सा की सुचारु व्यवस्था करने तथा रसायनिक कचरे को हटाने के लिए तात्कालीक कदम उठाए जाएं।

सभापति महोदय : श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती ज्योति धुर्वे और श्री अशोक अर्गल अपने आप को श्री कैलाश जोशी द्वारा शून्य प्रहर में उठाए गए विषय के साथ अपने-आप को संबद्ध करते हैं।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से झारखंड में जो हमारे दस जिले सुखाड़ में हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ आ गई हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जो सूखे में हैं। वर्ष 1875 से ले कर 2012 तक का इतिहास यदि आप देखेंगे तो झारखंड के प्रायः सभी जिले ड्राउट में ही रहे हैं। उसका कारण यह है कि केवल दस परसेंट जो कृषि है, दस परसेंट जो खेती योग्य जमीन है उसमें हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाए हैं और नब्बे प्रतिशत जमीन आज भी सिंचाई के अभाव में है। यदि किसी कारण से मानसून नहीं होता है, पानी नहीं होता है तो हम कोई खेती नहीं कर पाते हैं। जिस लोक सभा चुनाव क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं - देवघर, दूमका, गोड्डा इनके अलावा सात और जिले हैं, यानि ये जिले सूखे से प्रभावित हैं। सूखा से प्रभावित होने के जो कारण हैं वे कारण मैंने आपको बताए हैं ।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि एक्सलरेटेड इरीगेशन बेनिफीट प्रोग्राम में जो वाटर प्रोजेक्ट्स पिछले तीस-चालीस सालों से चल रहे हैं, चाहे वह बटेश्वर पंप नहर योजना, सुग्गाबथान योजना, बुढ़ई योजना या पुनासी योजना, इन सारी योजनाओं से यदि आप पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाना चाहते हैं तो उसके साथ जोड़िए।

दूसरी बात यह है कि वहां के जो बैंक्स हैं वे न लोन देने के लिए तैयार है और न ही किसान क्रेडीट कार्ड देने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार लगातार मीटिंग कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं। वे किसानों को न तो क्रेडीट कार्ड देने के लिए तैयार हैं और न ही ऋण देने के लिए तैयार हैं।

आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि किसान क्रेडिट कार्ड दीजिए।

तीसरा, वहां ड्रीकिंग वाटर की असुविधा है। जानवर के लिए वहां चारा नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है कि कुल एक हजार करोड़ रूपये का पैकेज झारखंड सरकार को देना चाहिए जिससे झारखंड के लोग सूखे से मुकाबला कर पाएं।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman Sir, I would like to raise an urgent matter of public importance regarding Katchatheevu.

Katchatheevu was under the control of India till 1974. This Island has been given to Sri Lanka in 1974 without the approval of both the Houses of Parliament. When the Union Government had taken a decision to give away Katchatheevu to Sri Lanka, the then DMK Government had strongly opposed that move. Our Party had staged a walk-out from the Parliament on this issue.

On the insistence of the then DMK regime, the provisions which were aimed at protecting the traditional fishing rights of the Tamil fishermen, were included. But at a later stage, this clause protecting the Tamil fishermen was deleted despite strong protest by the DMK.

18.00 hrs

It is because of this unilateral decision, Tamil fishermen have been affected since 1974. The unarmed and innocent Tamil fishermen are being mercilessly attacked by Sri Lankan Navy. They are being shot and killed. Their fishing boats and nets are sunk into the sea. Their catch of fish is seized.

MR. CHAIRMAN: Put forth your demand.

SHRI R. THAMARAISELVAN: They are being treated by the Sri Lankan Navy in an inhuman manner whenever they go near this area. They are arrested and jailed.

The DMK has been demanding to retrieve Katchatheevu and to bring it under the control of the Government of India. The DMK has also been demanding to establish an Indian Navy unit at Dhanushkodi or Mandapam to put an end to this atrocity at the hands of the Sri Lankan Navy, as protecting the rights of Tamil fishermen is the paramount duty of our country.

In this regard, a historical Resolution was passed in the just concluded Eelam Tamils Rights Protection Conference organised by the Tamil Eelam Supporters Organisation (TESO) which was headed by our beloved leader Dr. Kalaignar on 12th of this month.

Therefore, I urge upon the Government of India to take necessary and immediate steps to retrieve Katchatheevu from Sri Lanka, bring it under the control of the Government of India and set up an Indian Navy unit either at Dhanushkodi or Mandapam forthwith and save our citizens.

सभापति महोदय: अगर सबकी सहमति हो तो हाउस का टाइम शून्य काल की समाप्ति तक बढ़ाया जाए।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ से संबंधित एक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चंडीगढ़ भारत का एक केन्द्र शासित राज्य है तथा वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र पिछले तीस सालों से जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने एक शर्त लगा दी है कि उन्हीं लोगों को एससी, एसटी का सेर्टिफिकेट जारी हो सकता है जो 1966 से पूर्व का कोई प्रमाण पत्र पेश करेंगे कि हम यहां के रैजिडैंट थे। मसलन अगर उनके पिताजी का प्रमाण पत्र बना हुआ है तो लड़के का भी बन जाएगा और अगर पिताजी का नहीं बना हुआ है, पिताजी अनपढ़ थे और नहीं बनाया तो लड़के का नहीं बनेगा। लड़का पढ़ गया तो

उसका क्या कसूर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे न स्कॉलरशिप मिल रही है, न रिक्रूटमैंट में कोई फायदा हो रहा है। श्री पवन कुमार बंसल, संसदीय कार्य मंत्री भी चंडीगढ़ से आते हैं। पिछले तीस सालों से यह मामला उलझा हुआ है।

मैं पिछली दफा चंडीगढ़ के प्रवास पर था। पार्लियामैंट की कमेटी भी वहां गई हुई थी। मैंने मिलकर भी मांग रखी। पिछले तीस सालों से एक मामला प्रशासनिक कारणों से लंबित है। यह मामला गृह मंत्रालय में पैंडिग है। मेरी गृह मंत्रालय से मांग है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गृह मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, उनके अनुरूप शीघ्रता से निर्णय लिया जाए जिससे चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके और सरकार की योजनाओं के अनुरूप लाभांश मिल सके। यह मसला बहुत पुराना है, यह हल होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है।

श्री अशोक अर्गल (भिंड): सभापति महोदय, मेरा विषय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 एवं 75 से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 जो इटावा-ग्वालियर को जोड़ता है, उसमें बीच में भिंड जिला भी आता है। पिछले पन्द्रह दिन से चम्बल के पुल पर बेरियर लगा दिया गया है, उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पुल में कुछ खराबी आ गई है जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में तत्काल कुछ कदम उठाए जाएं जिससे वह रास्ता चालू हो।

इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 ग्वालियर-दतिया-झांसी को जोड़ता है। यह नार्थ-साउथ कॉरिडोर का हिस्सा है। इसमें काफी विलंब किया जा रहा है जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अभी मैं झांसी गया था। मैंने देखा कि झांसी मात्र सौ किलोमीटर है। मेरी यात्रा चार घंटे में पूरी हुई। गाड़ी मजबूत थी उसके बाद यह स्थिति है। छोटी गाड़ियों की बुरी हालत हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसमें तत्काल कदम उठाए जाएं और उन्हें शीघ्र पूरा करवाया जाए।

श्री प्रेमदास (इटावा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान रेल विभाग की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि जब रेल का आविष्कार हुआ, उस समय देश की आबादी 15 करोड़ थी और जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, तब देश की आबादी 34 करोड़ थी। आज देश की आबादी 120 करोड़ से ऊपर पहुंच गयी है।

माननीय सभापति जी, जिस रेशियो में जनसंख्या बढ़ी, उस रेशियो में रेल की सुविधाएं नहीं बढ़ीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक ट्रेन चलती है, तो उसमें अमीर और गरीब दोनों लोग चलते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। अमीर लोग तो अपना रिजर्वेशन करा लेते हैं, आराम से चले

जाते हैं। ...(व्यवधान) मेरी आपके द्वारा मांग है कि गाड़ी में जनरल डिब्बे बढ़ाये जायें। इसके अलावा हमारे इटावा लोक सभा क्षेत्र में इटावा स्टेशन पड़ता है। कानपुर से दिल्ली के लिए एक शताब्दी चलती है। इसके बीच में इटावा पड़ता है। यह आदर्श स्टेशन है, जो भिंड को भी जोड़ता है। अभी एमपी साहब 92 नैशनल राजमार्ग के बारे में कह रहे थे। वह भिंड, फरुखाबाद और मैनपुरी को भी जोड़ता है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखिए।

श्री प्रेमदास: मेरी मांग है कि कानपुर शताब्दी एक्सप्रैस इटावा रोकी जाये। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में अछलदा एक स्टेशन पड़ता है। क्षेत्र के तमाम लोगों को उससे आना-जाना पड़ता है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इसकी मांग रख सकते हैं। आप एक मांग रखिये।

श्री प्रेमदास: मेरी मांग है कि कानपुर शताब्दी इटावा रोकी जाये और गोमती एक्सप्रैस अछलदा पर रोकी जाये।

माननीय सभापति महोदय, जब हम बोलते हैं तब आप हमें शार्ट में बोलने के लिए कहते हैं। हम नये मैम्बर हैं, इसलिए आप हमें बोलने का समय तो दें।

*SHRI P.LINGAM (TENKASI) : Mr. Chairman, I would like to bring to the notice of this august House a move of the Union Ministry of Environment and Forests to take away the traditional livelihood rights of the Scheduled Tribe people in the Sathyamangalam forest area of Tamil Nadu in the name of saving tigers. In 2006, this House enacted a law moving a bill to protect the rights of Scheduled Tribe People living in the forest areas. Later on Wildlife Protection Amendment Act came giving exception to the tribal habitats in the forest areas. But a contrary move is resorted to now. No move should be made to take away the traditional livelihood rights and inhabitation rights of the Scheduled Tribe people. But the Union Government has announced that the Sathyamangalam forest area in the Western Ghats would be notified under the Wildlife Protection Act. This must be rescinded. Even today there are 19 tribal villages in Sathyamangalam forest area. As this tiger sanctuary that would be set up there would affect the livelihood of those tribal people, all the village Gram Sabhas have opposed this move. Right to life and right to live will be taken away from them. Because of this even the 100-day job guarantee scheme is denied to them. Their village panchayats cannot get the funds for building their infrastructure and other civic needs. Their movement from one place to another is cut. They cannot move their agricultural produce to the marketing centres and nearby places.

They cannot go to their traditional worship places. These tribals have lost their entire life and livelihood. It is not a right move to go in for a Tiger Sanctuary at the cost of the traditional livelihood and habitation rights of the Scheduled Tribe people. Through this august House I urge upon the Union Government to drop the more to bring Sathyamangalam forest area under the Wildlife Act and help save the traditional livelihood rights of the tribal people.

---

*English translation of the speech Originally delivered in Tamil**.**

श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज राजस्थान में बड़ी भारी बाढ़ आयी है, इससे पहले अकाल पड़ा था। यहां कृषि मंत्री जी विराजमान हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि राजस्थान की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। आपने टीवी में देखा होगा कि हमारे पाली संसदीय क्षेत्र से 600 किसान चले गये हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र में छह किसान मर गए हैं। राजस्थान में इतना पानी चल रहा है कि पता ही नहीं लग रहा है कि हमारी जमीन है या नहीं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सात हजार करोड़ रुपया देंगे, तो राजस्थान की क्षतिपूर्ति हो सकती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदय, आपने मुझे गुजरात राज्य की अति महत्वपूर्ण समस्या पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

आप जानते हैं कि गुजरात राज्य सरहदी राज्य है। इसके उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के 512 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सरहद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को विभाजित करती है। सुरक्षा की दृष्टि से यह सरहद अति संवेदनशील है। इस सरहद पर 912 से 1115 नम्बर के जो पिलर लगे हुए हैं, ठीक उनके सामने पाकिस्तान का सिंध इलाका आया हुआ है। इस क्षेत्र में दोनों देशों के लोग सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से जुड़े हैं। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऊंट पर सवार हो कर सिर्फ 24 घंटे में आराम से अंतर्राष्ट्रीय सरहद पार कर सकता है। इसलिए वहां आतंकवादी घुसपैठ की सम्भावना काफी ज्यादा रहती है। इस 512 किलोमीटर की लम्बी सरहद पर कंटीले तार की बाड़ का निर्माण करने की योजना थी लेकिन वह योजना आज भी अधूरी पड़ी है। सिर्फ 263 किलोमीटर की सीमा पर कुछ काम हुआ है, लेकिन वह भी खराब गुणवत्ता के कारण टूट गया है और काफी सरहद खुली पड़ी है, जो हमारे लिए चिंता का विषय बना है, क्योंकि यहां से कभी भी दुश्मनों का हमला हो सकता है या घुसपैठ हो सकती है। आपके माध्यम से मेरी रक्षा मंत्रालय से मांग है कि बाकी खुली सरहद पर कंटीले तार की बाड़ लगाने का काम तुरंत शुरू किया जाए। साथ ही, जो फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, वह बिना रुके जले, इसके लिए ईओपी में बिजली उत्पादन हेतु पूरी संख्या में जेनरेटर सेट्स स्थापित किए जाएं।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): धन्यवाद सभापति महोदय, आज मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के बड़े गंभीर विषय पर बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

आज भी वर्षा थमी नहीं है बेतूल जिले में और मेरे बेतूल संसदीय क्षेत्र में 20 जुलाई से 30 जुलाई तक लगातार दस दिनों तक इतनी अधिक वर्षा हुई कि हर्दा का, नदी से लगी हुई, तवा से लगी हुई जो निचली बस्ती जगह है, जिस क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं, वह पूरा क्षेत्र डूब गया। उस क्षेत्र में लगभग 2000 लोग निवासरत थे और वे सभी प्रभावित हुए। वहां बेतूल जिले के जो चार गरीब लोग रह रहे थे, उनमें से दो लोगों की ऑन दि स्पॉट डेथ हुई और एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर, हमीदिया हॉस्पिटल में जाकर अपने अंतिम समय को प्राप्त हुआ और एक व्यक्ति को हम बड़ी मुश्किल से बचा पाए, लेकिन वह आज अपंग स्थिति में है।

मेरा यह मानना है कि ये जो 3000 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, लेकिन पूरे बेतूल, हर्दा, हंडिया और टिमहनी का जो क्षेत्र है, आज भी हमारी तवा, ताप्ती, माछना आदि नदियों का जो एरिया है, उसमें जो किसान आते हैं, उनमें 40 प्रतिशत किसान हैं। ...(व्यवधान) आज खाद की कीमत बढ़ी हुई है, बीज की कीमत बढ़ी हुई है और किसान की जो लागत लगी है केन्द्र सरकार के द्वारा उन्हें किसानों को अधिक मुआवजे की राहत दी जाए। ..(व्यवधान)

अतः मेरे संसदीय क्षेत्र में 100 करोड़ की राहत राशि की मैं विनम्रतापूर्वक मांग करती हूं।

सभापति महोदय : आप अपनी मांग रखिए।

श्रीमती ज्योति धुर्वे : मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि इसमें जो 40 प्रतिशत किसान प्रभावित हुए हैं, जो 3000 गरीब लोग प्रभावित हुए हैं, इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा एक विशेष पैकेज के रूप में किसानों को केसीसी से मुक्त, ऋण से मुक्त किया जाए किया। उनके जीने के लिए, उनके परिवार के जीने के लिए खाद्यान्न की जो आवश्यकता होती है, वह दी जाए क्योंकि हमारे यहां जो फसल होती है, वह 120 दिनों की होती है। लगातार वर्षा के कारण वह फसल होने की संभावना नहीं है, तो इस स्थिति में वे अपने परिवार को कैसे जिन्दा रखेंगे? इसलिए केन्द्र सरकार वहां के लिए एक विशेष पैकेज दे।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 550 सौ करोड़ रुपये की मांग की है, लेकिन वह राशि बहुत कम है।... अतः इसे बढ़ाकर केन्द्र सरकार 1000 करोड़ की राहत राशि म.प्र. को दी जाए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जीरो आवर में इसको मेंशन कर चुकी हैं। अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती ज्योति धुर्वे : महोदय, यही मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वहां लोगों को विशेष राहत दी जाए। इस क्षेत्र के लोगों के जो घर उजड़ गए हैं, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए,

ठीक किया जाए।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गयी 550 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाया जाए। 1000 करोड़ की मैं केन्द्र सरकार से विनम्रतापूर्वक मांग करती हूं।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी और शिवहर के प्रखंडों में बाल श्रमिक परियोजना के तहत बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों का गठन केन्द्र सरकार के मापदंड के अनुरूप जिला पदाधिकारियों ने स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा तीन वर्ष के अनुबंध पर किया था। नियमों के नाम पर आज इन विद्यालयों को बंद कर दिया गया है और जिन उद्देश्यों के लिए ये विद्यालय चलाए गए थे, वे उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। मेरी जानकारी में आया है कि इन विद्यालयों के गठन हेतु नए सिरे से चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सदन को बताते हुए खेद हो रहा है कि अभी तक श्रमिक विद्यालयों का गठन नहीं हो पा रहा है। साथ ही उपरोक्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों का मानदेय दो वर्षों से अधिक समय से जिला प्रशासन द्वारा नहीं देना मेरी समझ से परे है। मेरा मानना है कि पर्फार्मेंस के आधार पर जब तक प्रखंडों में नए सिरे से श्रमिक विद्यालयों का गठन नहीं हो जाता, तब इनमें पढ़ने वाले बच्चों के पठन-पाठन का कार्य बंद नहीं किया जाना चाहिए था। सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जिन प्रखंडों में बाल श्रमिक विशेष विद्यालय बंद कर दिए हैं, उन्हें उनकी पर्फार्मेंस के आधार पर शीघ्र खोला जाए, जिससे इन प्रखंडों के गरीब छात्र अपनी शिक्षा को जारी रख सकें।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत बालाघाट रेलवे स्टेशन है। वहां से नागपुर तथा रायपुर आने-जाने वालों को सीधी रेल सेवा नहीं होने के कारण इलाके के किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों को और आमजनों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सीधी रेल सेवा के लिए वहां की जनता द्वारा वर्षों से मांग की जा रही है। अभी बालाघाट से गोंदिया तक ही सीधी रेल सेवा है। नागपुर और रायपुर जाने के लिए गोंदिया में ट्रेन बदलनी पड़ती है। इसलिए बालाघाट से नागपुर एवम् रायपुर आने-जाने के लिए बालाघाट रेलवे स्टेशन से नागपुर एवम् रायपुर के लिए सीधी रेल सेवा प्रदान की जाए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, मैं दस तारीख को जन्माष्टमी के दिन उत्तरकाशी में था। आपके सामने मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि वहां कितना विनाश हुआ है, क्योंकि आप भी उसी राज्य के हैं और हरीश जी भी उसी राज्य से आते हैं। उत्तराखंड में बादल फटने के कारण जो बाढ़ आई, उससे काफी विनाश हुआ है। वहां 18 पुल टूट गए हैं, कुल मिलाकर सात गांव पूरी तरह से कट गए हैं

और 70 गांवों का सम्बन्ध टूट गया है। भटवाड़ी ब्लाक मुख्यालय से कट गया है। नगरपालिका का भवन तक बह गया है और अनेक होटल्स वहां पर बह गए हैं। वहां जाने पर जो पता चला, मेरा ऐसा अनुमान है कि सैंकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए होंगे, हालांकि अभी संख्या 28 के करीब मानी जा रही है। कहने का मतलब यह है कि नुकसान काफी हुआ है। असी गंगा में तीन जल विद्युत परियोजनाएं नष्ट हो गई हैं और गंगोत्री का यात्रा मार्ग भी भंग हो गया है। मेरा यह कहना है कि वहां एक तो राहत कार्य तीव्रता से कराए जाएं, ठीक से उनका आंकलन किया जाए। जो अनुमान कहा गया है वहां के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जाकर सलाह दी है कि भजन-कीर्तन कीजिए। यह संवेदनशीलता का अच्छा उदाहरण नहीं है। मेरा कहना यह है कि पुलों का तेजी से निर्माण किया जाए। अगले तीन महीने में जो यात्रा शुरू होने वाली है, उसके आधार पर वहां की सारी आर्थिक व्यवस्थाएं चलती हैं इसलिए यदि यह यात्रा ठीक से नहीं चली तो अगले तीन महीने में वहां के लोगों की कमाई नहीं होगी और वे परेशानी में आएंगे। अतः वहां पुलों को ठीक से बनाने के साथ ही यात्रा मार्ग ठीक किया जाए तथा राहत सामग्री तत्काल वहां पहुंचाई जाए।

सभापति महोदय : श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने जो विषय उठाया है, उससे श्री अशोक अर्गल अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

The House stands adjourned till 11 A.M. on Tuesday, the 21st August, 2012.

18.19 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 21, 2012/Sravana 30, 1934 (Saka).